राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1 पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का नवां दिवस संख्या 7

मंगलवार,

दिनांक 28 मार्च, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-02 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री **अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि सर्व श्री भीमसेन, गोपाल जोशी और मोहरसिंह, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर जिले में वर्षा के अभाव में पिछली खरीफ की फसल की बरबादी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही बहस के दौरान चर्चा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त दिनांक 30 मार्च, 1972 को कार्य सूची में श्री भीमसेन द्वारा इसी विषय पर एक प्रश्न भी पूछा गया है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा केन्द्र सरकार से गेहूँ की खरीद के भाव 66/- व 72/- रुपये प्रति क्विन्टल करने के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस के समय उठाया जा सकता है। वैसे भी यह प्रश्न केन्द्र सरकार के कार्य-क्षेत्र में आता है अतः मैं इसको स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई, सदस्य विधान सभा ने नर्वदा नदी के पानी के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय ट्रिब्यूनल के फैसले से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर इस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा ने तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिनका सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से है :—

(1) दिनांक 23 मार्च, 1972 को गांव सुरजनपुर, थाना पुलिस घड़साना में दो पाकिस्तानियों द्वारा छत्तरगढ़ के तीन

(श्री अध्यक्ष)
ओवरसियरों व तीन बेलदारों को लूट कर ले जाने से सम्बन्धित घटना,

(2) दिनांक 23 फरवरी, 1972 को गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, तहसील रायसिंहनगर में कतिपय गुंडों द्वारा कब्जा करने सम्बन्धित,

(3) रक्षा कोष में जमा करने के लिये जिला गंगानगर के किसानों से प्रति बीघा 1/- रुपया वसूल किया जाना से सम्बन्धित,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

सर्व श्री मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, गिरधारीलाल भार्गव, मोहम्मद गफ्फार अली व योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने सवाईमाधोपुर में जैन मंदिर में हुई चोरी से सम्बन्धित उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने जिला गंगानगर के कतिपय गुन्डों द्वारा गरीब बावरियों की फसलें लूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन प्रश्नों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : वन एट ए टाइम। आप बैठिये।

श्री गोहरसिंह (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर अकाल पीड़ितों के लिये खाने को अनाज नहीं है। पीने के लिये पानी नहीं है। इसलिये मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को रखा है और वह सोच समझ कर रखा है। राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। केवल अभिभाषण में यह कहा है कि जब भी जरूरत होगी कार्य किया जायगा। जो काम अक्टूबर में किया जाना चाहिये था वह करने के लिये मार्च में सोचा जा रहा है। दो-तीन महिने में वर्षा हो जायगी और वहां के किसान खेती नहीं कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर सरकार वक्तव्य दे। किसी तरह से वहां के लोगों को राहत पहुंचनी चाहिये। एकदम स्पष्ट बात सरकार को कहनी चाहिये वहां पर वर्षों से अकाल है और इसको गंभीरता से लेकर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के बारे में, जिन स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी चाही गई है, जिनको रिजेक्ट नहीं किया गया है उन पर बोलने की प्रथा बिलकुल ही नियमों के विपरीत है। तमाम परम्पराओं के विपरीत है। इसलिये माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन एडजोर्नमेन्ट मोशन्स को रिजक्ट नहीं किया है और जिन पर जानकारी चाही गई है वे उन पर बोलने का कष्ठ न करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल) : सवाई माधोपुर में टेन्शन बना हुआ है।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
जनता भयभीत है, कलेक्टर, पुलिस के एस. पी. से। मैं समझता हूं कि जो कोतवाल है वह दोषी हैं। जैन मन्दिर में चोरी हुई है। जैन मन्दिर का रास्ता कोतवाली से होकर जाता है। इसमें पुलिस वालों की साजिश है। पुलिस का ऐसा आतंक है कि उससे जनता भयभीत है। जनता को आश्वस्त किया जाना जरूरी है। वहां पर हड़ताल है। मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव इसलिए रखा जाता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर पहले इस पर विचार किया जाये। जनता वहां पर भयभीत है इसलिये पहले इस पर चर्चा किया जाना चाहिये। आज सायंकाल तक इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये ताकि उस पर बहस हो सके और जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : जो मैंने अभी कहा है उसके विपरीत आप कह रहे हैं। मैंने निवेदन किया है कि इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। जब तक सरकार की ओर से इत्तला नहीं आती है इस पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इत्तला आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप राज्य सरकार को कह सकते हैं कि वह आज ही यह वक्तव्य दे दे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : मुख्य मन्त्री महोदय ने महावीर जयन्ती समारोह में भाषण करते हुए इन मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में एक बयान दिया है। डी.आई.जी. वहां पर जा चुके हैं। इसकी सारी इन्फार्मेशन सरकार के पास में है। इसलिए सरकार को वक्तव्य देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहां पर स्थिति गम्भीर है। लोग घायल हो चुके हैं। डी. आई.जी. वहां पर पहुंच गये हैं और इन्क्वायरी कर रहे हैं। अभी तक लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है। शहर बन्द पड़ा है। कामकाज ठप्प पड़ा है। गम्भीर जन-हानि हुई है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार से अभी पूछ लिया जाये। सारे इन्फार्मेशन सरकार के पास में है। अगर जानकारी सरकार के पास न होती तो महावीर जयन्ती के उपलक्ष में मुख्य मन्त्री अपना बयान कैसे दे देते। इसलिये बयान देने में कोई कठिनाई सरकार को नहीं होनी चाहिये।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा सवाई माधोपुर में चोरी के सम्बन्ध में दिया गया स्थगनप्रस्ताव आपके द्वारा मन्जूर कर लिया जायगा और सम्बन्धित मन्त्री महोदय इसका जवाब देंगे। सवाई माधोपुर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अगर सम्बन्धित मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी वक्तव्य नहीं देंगे तो हो सकता है कि स्थिति और गंभीर हो जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मन्त्री महोदय को उक्त विषय में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस बारे में निवेदन है कि यह पब्लिक इम्पार्टेन्स का प्रश्न है और यह सवाई माधोपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें आज तीन दिन तक का टाइम हो चुका है, और सरकार को इस मामले में आज की आज रिपोर्ट सदन

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया)
के समक्ष पेश होनी चाहिए। यह मेरा नम्र निवेदन है कि पब्लिक इम्पार्टेन्स का क्वेश्चन है इसमें ढिलाई नहीं लगायें। अफसरान पहुंच चुके हैं उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष आज ही प्रस्तुत होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जब अपना जवाब देंगे तब इस क्वेश्चन पर भी प्रकाश डाल देंगे।

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में अकाल के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए····

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ने कह दिया पहले ही।

श्री भीमसेन : उस बारे में कार्यवाही क्या कर रहे हैं ?

श्री **चेतराम** (टोडाभीम) : जिनकी हैडक्वार्टर से सूचना नहीं आई है उनसे मंगाई जाय। आज चौथा दिन है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जल्दी की जाय।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, नर्मदा के जल वितरण के बारे में गम्भीर विषय पैदा हो गया है। आज तक यह मसला चलता था। इसके बारे में तुरन्त सरकार से जवाब आये। इस पर ट्रिब्यूनल ने फैसला कर लिया है कि राजस्थान में इसका पानी काम में नहीं लाया जा सकता है कानूनन। इससे राजस्थान को बहुत बड़ा भारी लास हो रहा है इस बारे में सरकार को डाइरेक्शन हो जाय कि इस बारे में रिप्लाई के अन्दर कुछ कहा जाय, क्योंकि यह सारे राजस्थान का प्रश्न है और इतने वर्षों से हम आशा लगाये बैठे थे तो उस आशा पर तुषारापात हो गया है। लेकिन इस बारे में जो फैसला हुआ है उससे राजस्थान के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। पश्चिमी राजस्थान के लिए यह गम्भीर समस्या बन गई है आज तक जो हम आशा लगाये बैठे थे वह आशा निराशा में परिणित हो गई। इसलिए इस बारे में राज्य सरकार को कह दें आज ही कहने के लिए।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची के अनुसार जो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जानी है उनमें अधिकांश वे अधिसूचनायें हैं जो गत विधान सभा के अन्तिम सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी। जिन अधिनियमों के अन्तर्गत ये अधिसूचनाएं जारी की गई थीं उनमें अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः मेज पर रखा जाता है।

अधिसूचनाओं की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें सदन के समक्ष पढ़ने में समय लगने की दृष्टि से गत सत्र में अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्य-सूची में सम्मिलित सभी अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर रखा हुआ मान लिया जाकर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। अतः मेरा निवेदन है कि आज भी वही प्रक्रिया अपनाई जाय तो

(श्री खेतसिंह)
सदन का समय बच सकेगा और इसका उपयोग धन्यवाद–प्रस्ताव की बहस में किया जा सकेगा।

उद्योग विभाग की अधीसूचनाएं

+ (1) अधिसूचना संख्या एफ. 28 (12) इण्ड. (ए) । 66 (जी. एस. आर. 206) दिनांक 24-8-1968 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में किया गया है।

+ (2) अधिसूचना संख्या एफ. 28 (21) उद्योग (क) 66 (जी.एस.आर. 88) दिनांक 8-1-1968 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों को, राजकीय सहायता (उपस्कर तथा वर्क शेड के लिये ऋण सहित सहायिकी का अनुदान) नियम, 1968 में संशोधन किये गये हैं।

+ (3) अधिसूचना संख्या एफ. 28 (59) इण्ड. (क) । 68 (जी.एस.आर. 89) दिनांक 18-1-1968 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1965 में संशोधन किया गया है।

+ (4) अधिसूचना संख्या एफ. 28 (31) इण्ड.। ए। 67 (जी. एस. आर. 90) दिनांक 22-12-1967 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

+ (5) अधिसूचना संख्या एफ. 28 (24) इण्ड.(ए)। 65 दिनांक 2-1-1969

+ (6) अधिसूचना संख्या एफ. 28 (24) इण्ड.(ए)। 65 दिनांक 26-3-1969 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों को (उपस्कर तथा वर्कशेड के लिये ऋण) एवं सहायिकी के अनुदान द्वारा राजकीय सहायता नियम, 1968 में और संशोधन किये गये हैं।

+ (7) अधिसूचना संख्या एफ. 28 (24) इण्ड. (ए)। 65 (जी. एस. आर. 228) दिनांक 23-3-1968 (जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों को उपस्कर तथा वर्कशेड के लिये ऋण एवं सहायिकी) के द्वारा राजकीय सहायता नियम, 1968 जारी किये गये हैं।

+ (8 अधिसूचना संख्या प. 6 (26) उद्योग (क)। 63 दिनांक 7-10-1971 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

+ (9) अधिसूचना संख्या एफ. 28 (11) इण्ड. (ए)। 66 दिनांक 5-7-1966 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

+ (10) अधिसूचना संख्या एफ. 27 (41) इण्ड.(ए)। 67 दिनांक 18-6-1970 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट एड इण्डस्ट्रीज (ग्रान्ट आफ लोन फोर प्रोवाइडिंग वर्कशोप आर फैक्ट्री बिल्डिंग) रूल्स, 1970 जारी किये गये हैं।

+ (उपरोक्त अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु राजस्थान उद्योगों को राजकीय सहायत

अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इसे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जायगा।)

(11) अधिसूचना संख्या प. 6. (26) उद्योग (क)। 63 दिनांक 7 अक्टूबर, 1971, जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में संशोधन किये गये हैं।

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (23) इण्ड/60, दिनांक 1 दिसम्बर 1967 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (औद्योगिक सम्पदा क्षेत्रों में शैड का आवंटन) नियम, 1964 में संशोधन किये गये हैं।

(13) अधिसूचना संख्या प. 3 (23) उद्योग।(क)/60, दिनांक 20 नवम्बर, 1967 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (औद्योगिक सम्पदा क्षेत्रों में शैड का आवंटन) नियम, 1964 में संशोधन किये गये हैं।

(14) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (23) उ/क।60, दिनांक 19 अगस्त, 1964 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (औद्योगिक सम्पदा क्षेत्रों में शैड का आवंटन) नियम, 1964 जारी किये गये हैं।

(15) अधिसूचना संख्या एफ. 6 (12) उद्योग।71, दिनांक 17-12-1971 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है।

(16) अधिसूचना संख्या एफ. 29 (12) इण्ड. (ए)।64. दिनांक 9 सितम्बर, 1965 जिसके द्वारा राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता (ऋण) नियम, 1963 में संशोधन किये गये हैं।

नियुक्ति विभाग की अधिसूचना

+(17) अधिसूचना संख्या एफ. 8 (1) नियुक्ति (क–4) । 66, दिनांक 18–6–1966

गृह (क) विभाग की अधिसूचना

+(18) अधिसूचना संख्या एफ. 16 (5)होम (ए–ग्रुप–1), 63, दिनांक नवम्बर, 1964 जिसके द्वारा राजस्व होम-गार्डस् नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

+(ये अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी थी परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के तहत राजस्थान होम गार्डस् अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जायगा।)

(ख) यातायात मंत्री गृह (ख) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे :—

+(1) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (3) (4) परि.।70, दिनांक 18-6-1971

जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, 1951 में और संशोधन किये गये हैं।

+(2) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (3) (1) परि.170 दिनांक 13 जून, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, 1951 में और संशोधन किये गये हैं।

+(3) अधिसूचना संख्या प. 1 (1) (17) एच. (बी-ग्रुप-1)167, दिनांक 11-8-1971 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, 1951 में और संशोधन किये गये हैं।

+(4) अधिसूचना संख्या एफ. 1(3) परि।68, दिनांक 30 जून, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, 1951 में और संशोधन किये गये हैं।

+(उपरोक्त अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं पर मोटर व्हिकल्स एक्ट, 1939 के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 1 के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जायगा)

(5) अधिसूचना संख्या प. 1(3) (16) परि.।71, दिनांक 27 अक्टूबर, 1971

(6) अधिसूचना संख्या प. 1 (1)। 21 परिवहन।70, दिनांक 4 नवम्बर, 1971

(7) अधिसूचना संख्या प. 1 (1) (17) एच. बी।1। परि।6 दिनांक 9 सितम्बर, 1971

(8) अधिसूचना संख्या प. 1 (1) (11) एच. बी. ग्रुप।1।65, दिनांक 24 जनवरी, 1972

(ग) पंचायत मंत्री, पंचायत एवं विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:–

(अ) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत

+(1) अधिसूचना संख्या एफ. 8।2।5 (1) रेव।61–62।18402, दिनांक 11-4-1962

+(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।2।9।62।25248, दिनांक 15-11-1962

+(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।2।9।62।1245, दिनांक 21-1-1963

+(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।2।9 62।1960, दिनांक 1-2-1963

+(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।2 9।62।3787, दिनांक 18-2-1963

+(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. जे।2(9) 62।6952, दिनांक 10-4-1963

+(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।2।19।63।21314, दिनांक 18-11-1963

+(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।2।30।63।23875, दिनांक 26-12-1963

+(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।2।22।63।23876, दिनांक 26-12-1963

+(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।2।9।64।2862, दिनांक 10-2-64

Page No 8

+(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।2(9)।62।26281, दिनांक 30-10-64

+(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।2(3)।64।835, दिनांक 17-12-64

+(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।पी एस।ए।64।339-636, दिनांक 2-1-1965

+(14) अधिसूचना संख्या एफ. 6 बी के.यू.।4।बून्दी।63।25121, दिनांक 18-10-1965

+(15) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।2(16)।65।26841, दिनांक 23-11-1965

+(16) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।3(1) 66।6762, दिनांक 13-5-66

+(17) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एफ. जे।3।(1)66।10496, दिनांक 5-8-1966

+(18) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।3(1) 70।2330, दिनांक ?-6-1971

+(19) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. जे।4(1)71।3178, दिनांक 4-8-1971

(अ) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत

+(20) अधिसूचना संख्या एफ।कोडँ।रूल्स।डीडी।60।712, दिनांक 14-4-1960

+(21) अधिसूचना संख्या एफ।एफ।कोडँ।रूल्स।डीडी।60, दिनांक 20-4-1960

+(22) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस।आर।(5) 1(62) 11313, दिनांक 15-3-1962

+(23) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस।रूल्स। (5)। 28।62।31696, दिनांक 25-7-62

+(24) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस।आर (5)।10।62।31993, दिनांक 25-7-62

+(25) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस।आर. (5) 15।62। 4234, दिनांक 5-2-63

(26) अधिसूचना संख्या एफ 4।पी. एस।आर।(5) 21।62।3326, दिनांक 20-2-63

(27) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल जे।पी.एस.।ए (5)।163 6120, दिनांक 28-3-63

(28) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस. आर।(5) 2।62।7717, दिनांक 22-4-63

(29) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल जे।पी. एस.।ए(5) 2।63।7872, दिनांक 24-4-63

+(30) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल. जे.पी.एस.।ए. (5) 7।63 17064, दिनांक 4-9-63।

+(31) अधिसूचना संख्या एफ.14। एल.जे.।पी. एस.।ए(5) 63।16181,दिनांक 5-9-63

+(32) अधिसूचना संख्या एफ. 135 (7) (4) ओ. सी. डी.।इन्सपे।पी. डी.।63। 17692, दिनांक 12-9-63।

+(33) अधिसूचना संख्या एफ. 4।

Page No 9

एल. जे. पी. एस.।ए. (5).8।63 15330 दिनांक 8-8-63।

+(34) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल. जे.।पी. एस.।ए (5).2।63 17994 दिनांक 19-9-63।

+(35) अधिसूचना संख्या एफ. 4/ पी. एस.।रूल्स (5).44।62। 21457 दिनांक 20-11-63।

+(36) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस.।आर.।(5) 21।62 24।86 दिनांक 31-12-63।

+(37) अधिसूचना संख्या एफ. 78। टी. आर. जी.।डी.।62।547 दिनांक 8-1-64।

+(38) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस.।रूल्स/(5) 40।62।1645 दिनांक 29-1-64।

+(39) अधिसूचना संख्या एफ. 4।पी. एस. आर.।(5)30।63।29835 दिनांक 28-11-64।

+(40) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल.जे.।2(3)।41834। दिनांक 17-12-64।

+(41) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल. जे.।पी. एस.।रूल्स (3) 8।63।7817-7910 दिनांक 17-2-65।

+(42) अधिसूचना संख्या एफ. 4। पी.एस.।ए. (5) 14।64।13252 दिनांक 4-5-65।

+(43) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल. जे।पी. एस.।रूल्स (5) 3।63।3253 दिनांक 4-5-65।

+(44) अधिसूचना संख्या एफ. 4। पी.एस.।रूल्स।(5) 37।62।11394 दिनांक 30-3-65।

+(45) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल. जे।पी. एस.।ए. आर.।3।65।20326 दिनांक 13-7-65।

+(46) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल. जे।पी. एस.।ए. आर.।3।65।20325 दिनांक 13-7-65।

+(47) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल.।पी. एस.।आर.।1।65।21790 दिनांक 7-8-65।

+(48) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल.। पी. एस.।ए. आर.।2।65।24157 दिनांक 23-9-65।

+(49) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल.।पी. एस.।सी.।3।66।11811 दिनांक 2-9-66।

+(50) अधिसूचना संख्या एफ 4। एल.।पी. एस.।ए.।आर।6।66। 10061 दिनांक 1-8-65।

+(51) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल.।पी. एस.।ए. आर।7।66।10174 दिनांक 2-8-66।

+(52) अधिसूचना एफ. 4।एल.।पी. एस.।रूल्स। 3।65।14612 दिनांक 26-10-66।

+(53) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल.।पी. एस.।ए. आर.।8।66। दिनांक 24-9-66।

+(54) अधिसूचना संख्या जी.एस. आर.42 दिनांक 5 सितम्बर, 1969 (संख्या एफ. 4।एल.।पी. एस.।आर.।2।69। 7211)।

+(55) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल. पी. एस.।आर.।2।1489–97 दिनांक 19–8–1971।

+(56) अधिसूचना संख्या एफ.4।एल. पी.।एस.।ए.।आर.।1।71।480 दिनांक 11–10–1971।

+(57) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल.।पी.।एस.।ए.।आर.।3।71।5061–69 दिनांक 29–10–71।

+(58) अधिसूचना संख्या एफ. 4।4 पी.एस.आर।2।69(जी.एस. आर. 48) दिनांक 5–9–1969।

+(उपरोक्त अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 व राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जाय।)

(59) अधिसूचना संख्या एफ. 4। एल.।पी.एस.।ए.आर.।6।70 5362–70 दिनांक 27–11–1971।

(60) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल। पी. एस.।सी।7।71।5371 दिनांक 27–11–1971।

(घ) वित्त मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:–

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 71 (3) के अन्तर्गत

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) एफ. डी।एक्स।71–I 3855 दिनांक 4 दिसम्बर, 1971।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) एफ डी।एक्स।71–I दिनांक 10 दिसम्बर, 1971।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) एफ. डी। एक्स। 71–I दिनांक 19 नवम्बर, 1971।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) एफ डी।एक्स।71–II दिनांक 19 नवम्बर, 1971।

+(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) एफ. डी।एक्स।71–I दिनांक 6 नवम्बर, 1971।

+(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) एफ डी।एक्स।71-II दिनांक 6 नवम्बर, 1971।

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 26 (6) के अन्तर्गत

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 5 (66) एफ. डी। सी. टी.। 71 (जी. एस. आर.

49) दिनांक 15 जनवरी, 1972

राजस्थान यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत

+(8) अधिसूचना संख्या एफ. 16 (11) एफ. डी।सी.टी।71–72 (जी. एस. आर. 34) दिनांक 24 सितम्बर, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान यात्री तथा माल कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 की धारा 10 (3) के अन्तर्गत

+(9) जी. एस. आर. 17, दिनांक 27 मई, 1971 (संख्या एफ. 9 (1) वित्त (वा. कर)।70–3 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) (प्रथम संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

+(उपरोक्त अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन को मेज पर रखा जायगा।)

(ङ) राजस्व मन्त्री, उपनिवेशन विभाग को निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगेः––

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (54) रेवा।कोल।68 दिनांक 29 नवम्बर, 1971।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (अ) (108) रेवा।कोल।71 दिनांक 30 नवम्बर, 1971।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (139) रेवा।कोल।68 दिनांक 21 दिसम्बर, 1971।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (1) राज।उप।68 दिनांक 28 दिसम्बर, 1971।

+(च) कृषि मन्त्री, कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 11 (4) कृषि।58 दिनांक 25 अप्रेल, 1966 जिसके द्वारा राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण नियम, 1966 जारी किये गये हैं, को पुनः सदन की मेज पर रखेंगे।

+(ये अधिसूचना गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1964 की धारा 52 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन को मेज पर रखा जायेगा।)

+(छ) समाज कल्याण मन्त्री, समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या आर. सी. ए. (रूल्स) एफ. 1 (1) 71 (जी. एस. आर. 30) दिनांक 24 अगस्त, 1971 को जिसके द्वारा राजस्थान चिल्ड्रन रूल्स, 1971 जारी किये गये हैं। पुनः सदन की मेज पर रखेंगे।

+(उपरोक्त अधिसूचना गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी परन्तु राज-

स्थान बालक अधिनियम 1970 की धारा 59 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 161 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा जाय)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा–डीडवाना कालेज में विद्यार्थी को परीक्षा में न बैठने देने पर

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, डीडवाना कालेज के द्वितीय वर्ष साइन्स के एक विद्यार्थी· · ·

श्री **अध्यक्ष** : बहुत श्रीफली कहेंगे।

श्री **भगराज चौधरी** :. . .को अभी हाल ही में प्रिन्सीपल महोदय ने इस कारण से परीक्षा में बैठने से रोक दिया है उनका चरित्र और आचरण अच्छा नहीं है। कानूनी दृष्टि से श्री लक्ष्मा जाकड़ ने परीक्षा में बैठने का फार्म भरकर जब भेजा था तो प्रिन्सीपल महोदय ने उस पर यह अंकित किया था कि इस विद्यार्थी का आचरण अच्छा और सन्तोषजनक है और इसकी प्रोग्रेस अच्छी है और उससे फीस ले ली जाय और फीस लेने के बाद परीक्षा में बैठने के लिए मन्जूरी दे देना उन्होंने ठीक समझा, लेकिन न मालूम इस अरसे में ऐसी कौनसी स्थिति बदल गई कि जिसके कारण से प्रिन्सीपल महोदय ने यह कह दिया कि इस विद्यार्थी का आचरण ठीक नहीं है। धारा 164 और 165 युनिवर्सिटी आर्डिनेन्स की है जिसके तहत परीक्षा में बैठने के अनुमति पत्र को जो रद्द कर दिया है वह गलत कार्यवाही की गई है। 164–165 युनिवर्सिटी आर्डिनेन्स रूल्स के तहत युनिवर्सिटी को पावर है कि विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। उस पर प्रिन्सीपल को अधिकार नहीं है। प्रिन्सीपल तो खाली पोस्ट आफिस का काम करता है। वहां के विद्यार्थी वर्ग और लेक्चरर महोदय ने प्रिन्सीपल महोदय को कहा कि यह सारी कार्यवाही गलत है। इस पर भी उनकी समझ में नहीं आया और प्रिन्सीपल महोदय ने अपना रवैया नहीं छोड़ा। इसलिए विद्यार्थी वर्ग संघ ने इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया कि अगर लक्ष्मा जाकड़ को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो सारे विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठेंगे और परीक्षा का बायकाट करेंगे। जो अधिकार प्रिन्सीपल का था उसका उन्होंने उपयोग कर लिया और उसके बाद में युनिवर्सिटी को उन्होंने रिकमण्ड कर दिया कि उस विद्यार्थी को सैकण्ड ईअर साइन्स की परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाय। मैं समझता हूं कि प्रिन्सीपल महोदय ने एडमिशन कार्ड रोक दिया और एनरोलमेंट जो परीक्षा में बैठने का है उसको रद्द करने को जो गैरकानूनी कार्यवाही है उसको नहीं रोकेंगे और प्रिन्सीपल महोदय को इस बात का डाइरेक्शन नहीं देंगे कि जो कुछ वे काम करने वाले हैं वह गलत काम करने वाले हैं और उससे विद्यार्थियों में असन्तोष होगा और कालेज में अशान्ति का वातावरण फैल जायगा। प्रिन्सीपल महोदय और टीचिंग स्टाफ वाले कुछ गलत रवया अपनाते हैं और समय पर अपनी गलती सुधारते नहीं हैं तो इससे असन्तोष पैदा होता है। विद्यार्थियों में असन्तोष पैदा होता

Page No 13

(श्री भगराज चौधरी)

है और विद्यार्थियों में अशान्ति होती है और उस बात को लेकर हड़ताल होती है, तोड़–फोड़ होती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह आज ही प्रिन्सीपल महोदय को यह आदेश दे कि जो कुछ वे काम करने वाले हैं वह गलत कार्यवाही है। इससे कालेज का वातावरण बिगड़ेगा और विद्यार्थियों को नुकसान होगा। हो सकता है कि यदि इस विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो सारे विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठेंगे और स्ट्राइक करेंगे और उनके माता–पिताओं में चिन्ता पैदा होगी और शासन का नाम बदनाम होगा। और न जाने क्या कार्यवाही हो। यह परीक्षा 3 तारीख को होने वाली है और आज 28 तारीख है और 4–5 दिन के बाद ही सारा मामला शुरू होने वाला है। इसलिए समय रहते सरकार को उचित कदम लेना चाहिए और आज ही सदन में घोषणा की जाय। प्रिन्सीपल की जो कुछ भी कार्यवाही होने वाली है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और प्रिन्सीपल इन्डिविजुअल नहीं कर रहा है। इसके लिए सरकार कमिटमेंट दे कि जो कुछ गलत कार्यवाही होने वाली है वह नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, श्री भगराजजी चौधरी द्वारा उठाये गये प्रश्न के सिलसिले में युनिवर्सिटी से जानकारी करने पर मालूम हुआ कि युनिवर्सिटी ने इस छात्र को एडमिशन के लिए इजाजत दे दी है और उस संदर्भ में प्रिन्सीपल द्वारा इनको परीक्षा में बैठने से रोका जाना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए युनिवर्सिटी की एडवाइस के मुताबिक प्रिन्सीपल साहब को आदेश दे दिया जायगा कि उनको परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।

स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में आज उत्तर आने वाला था 30 कर्मचारियों को आर. सी. सी. से निकाल दिया उसके सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : आज तो कोई उत्तर नहीं आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज जवाब देने की बात है।

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो नहीं आया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप पूछ लें मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : ऐजेण्डे में शामिल नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था....

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव का जवाब दे दिया गया है।

Page No 14

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसा है कि यह बहुत ही पब्लिक इम्पार्टेन्स का सवाल है। खाद्य निगम किसानों का शोषण करना चाहता है। हमारे प्रधान मंत्रीजी कृषि आयोग की मीटिंग बुला रही हैं। वहां जाने से पूर्व मुख्य मंत्रीजी कम से कम सदन के सदस्यगणों के विचार तो सुन लें जिससे कि वे राजस्थान के बारे में अपना दृष्टिकोण रख सकें ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, आप बैठिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप आसन ग्रहण करिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष ...

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे कई दफा निवेदन कर चुका हूं कि व्यवस्था दी जा चुकी है और आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। यह प्रथा है और आम तौर से सदन का रिवाज है कि और रूल्स भी हैं कि स्पीकर कुछ कहना चाहते हैं तो आम तौर से सदस्य लोग बैठ जाते हैं, लेकिन आप बराबर बोलते ही जाते हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं। मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब स्पीकर खड़े हों और कुछ कहना चाहते हों तो आपको बैठ जाना चाहिए यह नहीं कि भाषण जारी रखें। मेरा यह निवेदन है कि आपको धन्यवाद के प्रस्ताव पर मौका दे दिया जायगा और जो कुछ आप कहना चाहते हैं आप कह सकेंगे। मैं आपको समय दे दूंगा। व्यवस्था कर दी है। आपको जो कुछ कहना है उस समय कह दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of information, Sir.

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of information, Sir. अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव था जो कर्मचारी निकाल दिये गये उनके बारे में व्यवस्था दी गई थी कि आज उत्तर दिया जायगा। अगर आज नहीं हो सके तो कल उत्तर दे दें। कोई व्यवस्था दें उस पर।

श्री अध्यक्ष : आज एजेण्डे में नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह व्यवस्था दे दें कि कल उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है कल इस पर होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर वाले प्रश्न पर जैसा कि आपने कहा था कि शायद मंत्री महोदय धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करेंगे उस समय इस पर कह देंगे तो उन लोगों का शिष्ट मण्डल माननीय मंत्रीजी से मिल चुका है और चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल चुका है।

उनको भी टेलीफोन पर बात हो चुकी है। मैं समझता हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को भी रिजेक्ट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि वह रिजेक्ट नहीं किया गया है। अस्वीकार नहीं किया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, क्या इस पर वाद-विवाद का मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर मिलेगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वाद-विवाद का मौका मिलेगा ? जब ऐसा गोली कांण्ड हो।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ गई है, आप को मौका मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, कल महावीर जयन्ती मनाई गई है और वह कोतवाली के बराबर लगा हुआ है। 24 तारीख को यह घटना हुई है। 25 तारीख की शाम को लोग मिले हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय मेम्बर को यह मालूम होना चाहिए कि यह एक धार्मिक मामला है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह एक धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है। इसके लिए अलग से कोई समय नहीं होता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए समय दिया जाये। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय को जानकारी है। चीफ सैक्रेटरी की यह जानकारी में है। मेरा नम्र निवेदन है कि इस विषय पर पहले से कोई समय निर्धारित किया जाये ताकि उस पर विचार–विमर्श किया जाये ताकि सवाई माधोपुर में जो आज आतंक है, लोगों को उस पर बोलने का मौका मिल सके।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्तर्गत चल रही बहस के अन्तर्गत कई लोगों को बोलना है।

श्री अध्यक्ष : इसका आरम्भ श्री आप ही करने वाले हैं।

श्री मनोहर कोठारी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : (श्री भार्गव से) आप से मैं कह दूं, कल जब एढजोर्नमेण्ट मोशन आप का आये तो मुख्य मन्त्रीजी आप को जानकारी दे दें।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप बोल रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : इन्हीं के बोलने का नम्बर है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है, उस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सब से महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनता ने जो मासिव मेण्डेट दिया है। जनता ने जो प्रबल बहुमत कांग्रेस को दिया है, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राज्यपाल महोदय ने यद्यपि अपने अभिभाषण में गरीबी हटाने और समाजवाद लाने के सम्बन्ध में एक व्यापक कार्यक्रम की सूचना दी है, जब कि स्थिति यह है कि हमें सामाजिक अन्याय और शोषण के खिलाफ

(श्री मनोहर कोठारी)

वातावरण बनाना है । हमें उसके लिए निष्ठापूर्वक काम करना होगा । राज्य सरकार को इसके बारे में प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। लेकिन यह तभी सफल हो सकता है जबकि हमें ब्यूरोक्रेसी का इसके लिए पूरा पूरा सहयोग मिले। आज जिस प्रकार की लालफीताशाही हमारे देश में और हमारे प्रान्त में है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमारे लिये यह आवश्यक है कि हमारे नवीनतम कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ सकें । मैं समझता हूं कि हमारे डेमोक्रेटिक फोर्सेज को सजग करने की आवश्यकता है। हमारी प्रशासनिक प्रक्रिया में हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, प्रान्त से जागीरदारी खत्म हुई है, जो इलाके उस समय उनके पास थे, वही आज भी हैं । वह ज्यों के त्यों कायम है । वे सामन्तवाद के भग्नावशेष हैं और आज भी भ्रान्ति उत्पन्न करते हैं। जागीरदारी समाप्त होने के बावजूद आज भी उनकी सीमाएं ज्यों की त्यों कायम हैं। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता आज इस बात की है कि उनको री-आर्गेनाइज किया जाय। तहसीलों के रूप में उनका एकीकरण किया जाय। इससे वह ज्यादा प्रभावशाली होगा और जनता को भी सुख और शान्ति मिल सकेगी। जहां तक भूमि के आवंटन का प्रश्न है, भूमि का आवन्टन होने के बाद पटवारी उस भूमि का कब्जा नहीं देता। इसमें कई प्रकार के घपले होते हैं। उसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ? इसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, हमारे नेता महोदय ने कुछ दिन पहले ही यह कहा है कि हम हमारे प्रान्त से भ्रष्टाचार को निर्मूल करके रहेंगे। हमें यह सोचना है कि उस दिशा में हम आज तक कहां तक बढ़ पाये हैं । यातायात विभाग को ही ले लीजिये इसमें भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी जमी हुई हैं। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा अड्डा और कोई नहीं हो सकता है।. यह तभी दूर हो सकता है जब कि हम इसके लिए कृतसंकल्प होकर कार्य करें। ब्यूरोक्रेसी में सुधार करें। ब्यूरोक्रेसी में सुधार की बात सोचें । प्रशासन के जो रूल्स और प्रोसीजर बने हुये हैं, उसमें हमें भारी परिवर्तन करना होगा। मैं समझता हूं कि ऐसे महत्व के प्रश्न पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संकेत होना चाहिये था। केवल गरीबी हटाने और समाजवाद लाने के बारे में उल्लेख भर कर देने से लाभ नहीं होगा। इसके बारे में हमको शुरूआत करनी होगी। शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में राज्य-पाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि लोगों के पास काफी जमीनें थीं । सीलिंग से बचने के लिये उन्होंने अपनी बीबी, बच्चों और भाइयों के नाम पर अलग अलग बांट कर कानून की मूलभूत मंशा को ही नष्ट कर दिया है। जो स्थिति भूमि की सीलिंग के बारे में हुई, वही स्थिति कहीं शहरी सम्पत्ति के बारे में भी नहीं हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट में हमें यह परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पर उनकी प्रापर्टी का बेनामी ट्रांजक्शन नहीं हो सकें। अभी

Page No 17

(श्री मनोहरसिंह कोठारी)

तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उच्च न्यायालय से कुछ ऐसे निर्णय हुये हैं कि कोई भी व्यक्ति बेनामी तौर पर ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी कर सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यह कानून लाभकारी नहीं होगा।

इसलिए जबकि अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये शहरी सम्पत्ति के बारे में हम सोचते हैं तो हमें इसके सम्बन्धित अन्य जो कानून हैं उनमें भी तरमीम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज सबसे बड़ी समस्या देश में भुखमरी और बेकारी की है। बेकारी भी उन लोगों की जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों की बेकारी का प्रश्न है। तकनीकी देश में काम करने वाले बेकारों की समस्या है जिसका समाधान करना है। एक तरफ हम पढ़े लिखे बेकारों की भीड़ इकट्ठी करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष बेकारों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम लोग आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, उसकी कोई योजना हमारे सामने नहीं है, अध्यक्ष महोदय अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार 1970 में कुल 1,6 15,89 व्यक्तियों ने एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज में अपने नाम दर्ज करवाये थे, 1971 में 1,73,9 32 लोगों ने एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज में अपने नाम दर्ज करवाये जबकि उसके विपरीत राज्य सरकार 1970 में 13,083 और 1971 में 17 663 व्यक्तियों को ही काम काज दे सकी। और यह भी एक नियम है कि जितने लोग एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज में अपने नाम दर्ज करवाते हैं करीब उतने ही बेकार लोग नाम दर्ज करवाने से वंचित रह जाते हैं। तो मैं समझता हूं आज 6 लाख के करीब बेकार हमारे राजस्थान प्रदेश में हैं, उनके बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं। आज केवल यहां पर राज्यपाल महोदय इंजीनियरों के बारे में एक संकेत दिया है लेकिन इंजीनियरों के अतिरिक्त डाक्टरों की भी समस्या है। एक तरफ गांवों के लोग अपनी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, दूसरी तरफ डाक्टरों की भीड़ इधर उधर नौकरी की तलाश में फिरती है कैसी विडम्बना है ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री मनोहर कोठारी : थोड़े में अर्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आज तीन बजे सरकारी पक्ष द्वारा उत्तर दिया जायगा। तब तक बहस समाप्त करनी है, बोलने वाले काफी हैं, इसलिए हरेक माननीय सदस्य 10-10 मिनट ले लें।

श्री मनोहर कोठारी : ऐसे लोग जो देश में तकनीकी जानकार हैं, उनकी आवश्यकता होनी चाहिए लेकिन बेकारी की समस्या जब सामने आती है तो साथ ही परेशानी जरूर अनुभव होती है।

माइनिंग विभाग जो लीजेज ग्रांट होते हैं, जो पी0 डब्ल्यू0 डी0 और सिंचाई विभाग के ठेकेदार हैं, उन लोगों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि उन लोगों को लीसिज ग्रांट होंगे जो इंजीनियरों को अपने यहां पर मौका दें क्योंकि आम जनता की सुरक्षा का संबंध भी रहता है। पी0 डब्ल्यू0

(श्री मनोहर कोठारी)
डी० और सिंचाई के ठेकेदारों के लिए भी इस तरह की शर्त लग सकती है तो काफी हद तक समस्या हल कर सकेंगे।

इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने भारत–पाक संघर्ष के संदर्भ में कहा है कि यह सिद्धान्त की विजय है और धर्म निर्पेक्षता के संबंध में हमारे देश ने एक आदर्श उपस्थित किया है, भारत–पाक युद्ध ने हमारे देश को सैद्धान्तिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन प्रश्न यह है कि आज शिक्षा विभाग की आंख के नीचे स्कूल साम्प्रदायिकता का अड्डा बना हुआ है। स्कूल के आइने में कई जगह आर० एस० एस० की शाखायें चलती हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी का इस तरह के साम्प्रदायिक संगठनों से संबंध नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब इस समस्या को स्कूलों में व्याप्त देखते हैं तो परेशानी होना स्वाभाविक है। बच्चों के विचार प्रारंभ से ही कुंठित और संकीर्ण बनाये जाते हैं तो यह हमारे लिए करारा चेलेंज है। इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा विभाग में जो भी साम्प्रदायिक तत्व हैं उनको निकाल कर बाहर कर देना आवश्यक है।

भूमिहीनों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिये कहा गया है। हमारे क्षेत्र में पहाड़ी इलाके की जमीन काफी खराब है लेकिन भू-प्रबंध अधिकारी काफी लगान बढ़ाकर, दुगुनी तिगनी लगान बढ़ाकर लोगों के सामने विकट समस्या उपस्थित कर रहे हैं। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में देखे और विचार करे। भूमि का उन्होंने जो वर्गीकरण किया है, वह भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है इस तरह से लगान बढ़ाने का औचित्य मेरे जैसे व्यक्ति की दृष्टि में नहीं लगता।

औद्योगिक दृष्टि से···

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सिर्फ 5 मिनट।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री मनोहर कोठारी : औद्योगिक क्षेत्र और लघु उद्योगों के संबंध में हमारे यहां बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है।

जहां तक नगर विकास न्यास द्वारा नगर सुधार व कस्बों के सुधार का सम्बन्ध है, एक बात बहुत अखरती है, वह यह कि चित्तौड़गढ़ और हिंडौन जैसे स्थानों में भी नगर सुधार न्यास बनाये जा सकते हैं लेकिन नाथद्वारा जैसे बड़े कस्बे में न्यास स्थापित नहीं किया जाता, इसमें कोई औचित्य मुझे ज्ञात नहीं होता है। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ जिला हैडक्वाटर्स है तो फिर हिन्डौन के बारे में क्या कहना है? नाथद्वारा की जनता, जागीरी क्षेत्र में होने के कारण पहले जागीरदारों द्वारा पिसी गई आजादी के बाद आज भी उसी स्थिति में····

एक माननीय सदस्य : हिंडौन में तो न्यास नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : हिन्डौन में विकास न्यास सैंक्शन हुआ है, यह उचित नहीं है। नाथद्वारा की जनता गलियों में

(श्री मनोहर कोठारी)

सकती रहे। बाहर से प्रतिवर्ष लाखों यात्री वहां आते हैं। इसलिये राज्य सरकार इस मामले में विचार करे और कम से कम नाथद्वारा जैसे तीर्थस्थान को, जो संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, वहां पर नगर विकास न्यास स्थापित करने की बात सोचे और उसके लिए कोई योजना बनाकर प्रस्तुत करें।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पिछले तीन दिनों से बहस हो रही है। राज्यपाल की पर्सनल्टी और कन्डक्ट को मैं कान्ट्रोवर्सी मानता हूं। राज्यपाल की इन्स्टीट्यूशन आज महत्व रखती है या नहीं, मैं मानकर चलता हूं कि हमारे हिस्टारीकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक लाइफ में इसको न के बराबर कर दिया है। इसलिए यह इन्स्टीट्यूशन समाप्त हो। इस सदन में राज्यपाल महोदय द्वारा किये गये अभिभाषण को मैंने गहराई से देखा तो अध्यक्ष महोदय इसका जो सब्सटेन्स है, जो डाईरेक्शन दिया गया है, वह न मासिज के मैन्डेट से मेल खाता है, और न ही जो घोषणापत्र है, जिसके बिना पर कांग्रेस ने अपना चुनाव जीता, मिडटर्म इलेक्शन्स के बाद जो कांग्रेस की पोलिसी रही न उससे ही मेल खाता है। मासिज के वर्डिक्ट की बात मैं मानता हूं। हारने के बाद हम लोगों के दिमाग में फस्ट्रेशन की बात नहीं आनी चाहिये। डेमोक्रेसी के नाते, पार्टी के नुमाइंदे के नाते हमें अपनी हार मानकर चलना चाहिये लेकिन मैं मानता हूं कि पैसे का असर रहा, सरकारी मशीनरी का असर रहा, गड़बड़ियां हुई, कहीं टेरर से काम लिया इसके बावजूद कांग्रेस ने कुछ ऐसे काम किए जिससे हमारा इलेक्टोरेट विन ओवर हुआ। मैं मानता हूं कांग्रेस ने इलेक्टोरल एजस्टमेंट्स किया और बाजी मारी। वोट जो कांग्रेस को मिले उनमें स्टेबिल्टी रही लेकिन 1967 के बाद 15–20 प्रतिशत वापस गिर गए। अपनी पोलिसी के जरिये, बंगला देश की जीत के बाद, बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद, प्रिन्सली आर्डर समाप्त करने के बाद, कुछ लैंड रेफार्म्स के बाद, इस एक साल के दौरान इल्लीटरेट इलेक्टोरेट को विन ओवर किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के रैंक एण्ड फाइल में कन्फ्यूजन पैदा हुआ।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो मासिव मेनडेट पब्लिक ने कांग्रेस के फेवर में दिया है उसके लिये अब मैं सरकार से एक्सपेक्ट करूंगा कि वह ऐसी सिचुएशन क्रियेट करे पब्लिक में कि उससे पब्लिक में पोलिटिकल कान्शियसनेस अवेक हो। इसके लिये मैं चाहता हूं कि ऐसी जनता में और सरकार में पावर फुल पोलोटिकल लीडरशिप की आज राजस्थान में आवश्यकता है। आज राजस्थान में पोलिटिकल लीडरशिप कौन दे? ये सोचने की व्यवस्था है। अगर पोलिटिकल लीडरशिप राजस्थान की कमजोर रही तो राजस्थान का डेवलेपमेन्ट ठीक तरह से नहीं हो सकेगा अध्यक्ष महोदय, किसी प्रोविन्स की अगर पोलिटिकल लीडरशिप कमजोर होती है तो इसका असर सेन्टर पर भी पड़ता है ऐसा मौका पहले 67 में आया था। उस वक्त यह कोश्चन एराइज हुआ था कि

(श्री केदारनाथ)

सेन्टर जो अथोरिटी ज्यादा है या मानी जावेगी, या स्टेट्स की अथोरिटी । उस वक्त ऐसी सिचुएशन एराइज हो गयी थी कि स्टेट्स और सेन्टर की रिलेशनशिप क्या होंगे । क्योंकि उस वक्त इलेक्शन्स में कई स्टेट्स में कांग्रेस की मिजोरिटी नहीं आयी थी । उस वक्त डिफिकल्टी हमारे सामने, देश के सामने आयी थी । ऐसे वक्त अगर सी. एम. कमजोर हो तो काफी गड़बड़ रहेगी । इसलिये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बहुत एहमियत रखती है । अगर चीफ मिनिस्टर स्ट्रोंग है तो उससे स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क तो पड़ता ही है so far as quality of administration is concerned वरना जनता को जो बेनेफिट्स मिलने चाहियें वे नहीं मिल सकते हैं और जो रिफार्म्स हम चाहते हैं वे नहीं हो सकेंगे । दूसरे, चीफ मिनिस्टर अगर स्ट्रोंग है तो सेन्टर से ज्यादा से ज्यादा प्रोविनिशियल ऑटोनोमी प्राप्त करने में सक्सेसफुल हो जायेगा । अब ऐसे वक्त क्वेश्चन आता है कि प्राईम मिनिस्टर की पोजीशन उस वक्त क्या रहती है वैसे तो प्राईम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से सुप्रिम होता है पर जब चीफ मिनिस्टर स्ट्रोंग होता है तो प्राई मिनिस्टर का चेक उस स्टेट पर कम होता है । आज ऐसी अवस्था है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत स्ट्रोंग है और उसने चीफ मिनिस्टर्स को एक तरह से खतम सा कर दिया है । लेकिन एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी होती है एक चीफ मिनिस्टर का जो अपनी स्टेट में स्टेट्स होता है, वो बहुत वक्त रखता है । उसमें पोलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिये । मुख्य मन्त्री चाहे कोई भी रहे पर वह स्ट्रोंग होना चाहिये । ताकि वो अपने कार्यों को पूरा एफीशियेन्टली कर सके । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत यह निवेदन राज्य सरकार से करना चाहता हूं कि आज जनता ने कांग्रेस को मासिव मेन्डेट दिया है इसलिये आज हमें सभी कार्यों को करना है ।

जो भी हैं उन सभी को मोबैलाइज करके सभी को चेनेलाइज करना है और नये समाज के क्रियेशन के लिए चाहे वे पोलिटिकल पार्टीज के हों, चाहे वे ब्यूरोक्रेट्स हों, उन सभी को चेनेलाइज करके देश में एक सोशियो-पोलिटिकल, और इकोनोमिकल चेन्ज लाना है । इसके लिये स्ट्रोंग चीफ मिनिस्टर की आवश्यकता रहती है ताकि वह अपनी कैबिनेट से तथा ब्यूरोक्रेट्स से काम करवा सके । क्योंकि जो भी काम होते हैं वे सभी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होते हैं । इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज यह देखने की बात है कि क्या प्रजेण्ट चीफ मिनिस्टर इतना स्ट्रोंग है कि वह अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स से और अपने नीचे जो हाई ओफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे काम करवा सकेगा । उनसे ही आपके प्रोविन्स का स्टेट्स देखा जाता है । आज अगर आपका पोलिटिकल लीडर स्ट्रोंग नहीं है तो काम हो नहीं सकेंगे और एक खायो एक वेकुअम बीच में पैदा हो जायेगा । इसके अलावा एक बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अब की बार इतना स्ट्रोंग ओपोजीशन भी नहीं आया है इसलिए सरकार को ज्यादा हाऊस में डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी । ओपोजीशन के कम आने की बात जो है उसे हम अपनी कमजोरी मानकर चलते हैं । इसके रीजन्स चाहे कोई रहे हों । लेकिन

(श्री केदारनाथ)

अबकी बार जनता ने जो मेनडेट दिया उससे काफी प्रोग्रेसिव लोग आये हैं। जहां तक उन नये प्रोग्रेसिव एम. एल. एज. का सवाल है वो भी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके में व दूसरी बातों में जैसे सोशियल चेन्ज वगैरहा है, अोपोजीशन की बातें मानेंगे और आपस में हारमनी क्रियेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार में जो, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आज करेप्ट प्रेक्टिसेज हैं, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करेंगे जिससे कि देश का करेक्टर बने। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर देश की हालत वही होगी जैसी अंग्रेजों के जमाने में होती थी। उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने के तीन तरीके थे। सबसे पहले तो वे केज्युअल विन ओवर करते, अगर ऐसे नहीं होता तो दूसरा उनका तरीका फोर्स करके या कोअर्स करके था। और तीसरा उनका तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन करने का वो फिर प्रेशराईज करके या टेररा‍इज करके था। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहां की पोलिटिकल लीडरशीप स्ट्रोंग होनी चाहिए। पर यह पोलिटिकल लीडरशिप कौन देगा? इसके लिए टाइम फेक्टर मेन रहेगा। इसमें हमें देखना है कि जो स्टेटमेन्ट आपके चीफ मिनिस्टर ने दिये, जो एश्योरेन्सेज आपके मुख्य मन्त्री ने दिये उसमें कितने उन्होंने इन पिछले छः माह में इम्पलीमेन्ट किये हैं या आगे छः माह में कितने इम्पलीमेन्ट कर सकेंगे। यह करेक्ट है कि अभी हाऊस में अोपोजीशन कुछ फोर्स नहीं कर सकता है। पर इसलिए इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अोपोजीशन समाप्त हो गया है। चाहे सदन में अोपोजीशन कम हो गया है पर बाहर तो हो सकेगा। यह ठीक है कि आज आपको मेजारिटी मिली है इसलिए आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कमेटियां चलाई जायें ताकि जनता के नुमायन्दे जो इलेक्ट होकर आये हैं वो कुछ काम कर सकें। नहीं तो जो आज डेमोक्रेसी के बीस साल बीत जाने पर भी कोई सब्टेन्शियल काम नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी समाप्त होने का खतरा पैदा हो सकता है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जनता में पोलिटिकल फिलोसाफी के इवोल्यूशन के लिए स्ट्रोंग पोलिटिकल लीडरशिप की आवश्यकता होती है। आज अगर हम राजस्थान के पिछले इतिहास को देखें तो यह पता लगेगा कि राजस्थान की पोलिटीकल लीडरशिप हमेशा कमजोर रही। उससे काफी नुकसान रहा और प्रोग्रेस हम चाहते थे वह नहीं कर पाये। आज तक हम राजस्थान केनाल को नेशनल प्रोजेक्ट नही करवा सके हैं। गुजरात का जो कडाणा डेम बन रहा है उसका डिसप्यूट भी हम सोल्व नहीं कर सके हैं आज नरबदा के पानी की प्रोबलम यों की त्यों बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि जिन लोगों के पास ढाई बीघा जमीन नहीं थी उन्होंने 25 बीघा जमीन नहरी क्षेत्र में लेने के लिए क्लेम किया है। आज एक बात जो मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह है कि पोंग डेम बन कर तैयार होने वाला है। यह सन् 1974 में तैयार हो जायेगा। पर जो लिंक चैनल्स आठ लाख रुपये लगाकर बने हुए छः माह हो गये हैं अभी तक उसका रिओपनिंग नहीं हुआ है। इससे राजस्थान की जनता को कितना नुकसान होता है

(श्री केदारनाथ)

यह आप देख लें। हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेन्ट्स अपने को जो आज फायदा मिलने वाला है उसे नहीं लेने दे रही है क्योंकि आज तक हमारी पोलिटिकल लीडरशिप हमेशा कमजोर रही इसका फायदा दूसरी स्टेट्स हरियाणा और पंजाब उठा रही हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि सिक्स्थ फाईनेन्शियल कमीशन आ रहा है इसलिए हमारे यहां पर स्ट्रोंग लीडरशिप होगी तो हम अपनी स्टेट के डेवलपमेन्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा फण्ड एलॉट करवाने की क्षमता रखेंगे। आज राजस्थान केनाल केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया जिससे वह पूरी नहीं हो सकी है। आज तक हम कोशिश करके सिर्फ उसके खर्चे का दो-तीन पर्सेन्ट हो ले सके हैं। आज तक हमारे प्रान्त की लीडरशिप से चूंकि हरियाणा और पंजाब की लीडरशिप स्ट्रोंग थी इसलिए वो प्रान्त हमसे ज्यादा डवलप्ड हैं। और जो फायदे हमें होने चाहिये उसका इल्लीगल फायदा हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेन्टस उठा रही हैं। इसी तरह से मैं आपको ओइल रिफाईनरी की भी प्रोबलम्स् के बारे में बताना चाहता हूं। वह भी अभी तक काम करना शुरू नहीं कर सकी है। इसके अलावा आज जो राजस्थान लेण्ड रिफोर्म्स आज तक नहीं किये गये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो लेण्ड अलोट हुई हैं वह ठीक तरह से नहीं हुई हैं। प्रोपरली नहीं हुई हैं। उसमें भूमिहीन लोगों को लेण्ड नहीं मिली है। आज आपको जनता ने मासिव मेनडेट दिया है इसका मतलब यह होना चाहिये कि आप समाज की प्रोसपरिटी के लिये तथा सोशियल, इकोनोमिकल और पोलीटिकल कौनशियसनेन्स जनता में इवाल्व्ह हो उसके लिए काम करें। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि बावजूद आपकी मासिव मेजोरिटी के आप अपने ही क्षेत्रों का विकास करें। इसके लिए गवर्नमेन्ट को चाहिये कि सभी जगहों पर बिना क्षेत्रीय भावना के प्रोग्रेस करावे। आज हमें जनता की पोलिटिकल कौन्सियसनेस को बदलने की जरूरत है। वह वक्त गया। कितनी जमीन है आपके पास, कितनी आपके कब्जे में इस वक्त बची है, उसके अलॉटमेन्ट का क्या तरीका है? अब सही आदमियों को अलाटमेन्ट और कब्जा मिल जावे तो विश्वास हो कि पब्लिक के मेन्डेट को आपने माना है और अब उम्मीद कर सकते हैं कि हालत बदल सकते हैं।

9 लाख एकड़ जमीन आपने भूमिहीनों को दे दी। मैं पूछता हूं कितनों के पास वह अभी तक बनी हुई है। एक दो साल के बाद ही उनके पास से चली जाती है। भूमिहीनों के पास रहती नहीं है। अगर लैंड रिफार्म्स का आपका यही हश्र है तो यह बहुत गलत है। आप इसकी जांच करावें कि पिछले 15–20 सालों में जितनी जमीन आपने इस तरह से भूमिहीनों को दी है उसको उनमें से कितने लोग रिटेन कर पाये हैं। जमीन अच्छी न होने से, पानी का प्रबन्ध न हो पाने से, बैल नहीं मिलने से, बीज और खाद नहीं मिलने से या और किन्हीं कारणों से वे जमीन को छोड़ बैठे हैं। इस जांच का पूरा पूरा नतीजा निकलना चाहिये और ठीक दिशा में हमें जांच करना और उसका परिहार करना चाहिये ताकि आगे लोगों

(श्री केदारनाथ)
को विश्वास हो सके कि अब आप सही पैटर्न पर हैं।

पैनल की रिपोर्ट है। यह मसला आम हो सकता है। जो असली काश्तकार है चाहे फिर बड़ा हो या छोटा हो, जो वहां शेयर क्रापर्स हैं, उसके बारे में आप को निर्णय करना होगा, और मजबूती से उसको लागू करना होगा, पर आज इस मसले के बारे में राज्यपाल महोदय का यह भाषण साइलेन्ट है। इस शेयर क्राप्स के बारे में कोई रैजोल्यूशन लॉ या ऑर्डर लाना चाहिये। इन्स्ट्रक्शन्स देने चाहियें। यह सारे का 30 परसेन्ट के आस पास है आज यह प्रश्न उभर कर तेजी से सामने आ रहा है। ज्यों–ज्यों पार्टिजन समाप्त रहा है रूरल लाइफ से ये छोटे काश्तकार इलिमिनेट होते गये हैं।

अब लैंडलेस की हालत बयान कर दी। तो यह पोजीशन, यह कम्पोनेन्ट 35 परसेन्ट बनती है सारी की सारी। ये लोग जिस जमीन पर काश्त करते हैं उस पर उनका पूरा अधिकार नहीं होगा तो कैसे समाजवाद की बात उनके गले में उतरेगी। उनके लिये कोई सपोर्ट नहीं, ला नहीं। प्रोड्यूस में शेयर नहीं।

आज आप किसी शहर में चले जाइये, उसके चारों तरफ मीलों तक, दिल्ली जयपुर या बीकानेर कोई हो, लैण्ड रिफार्म्स का इफैक्ट आपको मालूम पड़ेगा। दस–दस मील बीस–बीस मील के फासले तक एक नई क्लास पैदा हो गई है। दस बीस साल के इस कांग्रेस के शासन में यह एक नई क्लास पैदा हो गई है। इनमें बड़े–बड़े ठेकेदार हैं, एक्स आफीसर्स हैं, आफीसर्स हैं, पोलिटिशियन्स हैं, स्मगलर्स हैं, टैक्स इवेडर्स हैं। उन सबके फार्म्स ही फार्म्स आपको वहां नजर आवेंगे जिस की आड़ में वे अपना रिश्वत का पैसा, टैक्स चोरी का पैसा, भ्रष्टाचार से प्राप्त पैसा, सफेद कर रहे हैं। मालामाल होते जा रहे हैं। शहरों में जिसकी प्रापर्टी है, रूरल लाइफ में जिसके पास फार्म्स हैं, और जो समाज और शासन और सत्ता में बैठे हैं और आपके पोलिटिकल लाइफ पर भी हावी हैं। यह आर्डर समाप्त होना चाहिये। वैसे यह ट्रान्जिशनल पीरियड में सब जगह होता है। पर हमारे यहां कुछ लम्बा चला यह पीरियड। इसे समाप्त होना चाहिये। इसके बाद रिफार्म्स आता है और इसके बाद कहीं जाकर सोशलिज्म आवेगा। इस ट्रान्जिशनल पीरियड में यह जो एक नई क्लास पैदा हो गई है इसके साथ आप किस तरह से निपटेंगे और समाज के शरीर पर से इसे कैसे इलीमिनेट करेंगे यह आपकी परीक्षा है। इसे आपको सोल्व करना होगा। इस क्लास के पावर्स कैसे मिनिमाइज हों, कैसे यह क्लास शक्तिविहीन हो ताकि इसके बाद रिफार्म्स आ सकें, और इसके बाद सोशलिज्म लागू हो सके यह मैं कांग्रेसी बैंचों पर बैठने वालों से पूछना चाहूंगा। चीफ मिनिस्टर इन सबके बारे में क्या घोषणा करने जा रहे हैं, क्या तरीका इवाल्व करने जा रहे हैं ताकि ट्रस्ट पैदा हो सके कि वास्तव में आप समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं।

शिड्युलकास्ट के लोगों को आपने

Page No 24

(श्री केदारनाथ)

जमीनें दीं, पर आप थोड़ी जांच तो करा-कर देखें कि उनमें से आज कितने उसे रिटेन कर पाये हैं। आप जांच करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि करीब-करीब सारी जमीन पर और लोग बैठे हुए हैं। हरिजनों के हाथ में कुछ नहीं है। आप इसके लिये कानून जरा सख्त बनावें। उनसे फौजदारी केस की तरह डील करें। फौजदारी का केस बनाकर उनको कब्जा दिलावें आप के पास आज कहने को यही है कि जमीन बेची है तो सिविल ला उनके पास है। उसमें कीमत ले सकते हैं, इससे ज्यादा-कुछ नहीं कर सकते। तो मैं पूछता हूं यह सब कैसे चलता रहेगा, हमारी आंखों के सामने यह सारा खेल क्या यों हीं चलता रहेगा। आखिर इसके लिये क्रान्ति-कारी कदम कौन उठावेगा। शिड्युलकास्ट की इन जमीनों के बारे में आप कोई घोषणा करें कि उनकी जमीन लेने पर उन पर फौजदारी केस चलेगा और जमीनें उनको वापिस लौटाई जावेंगी। आपने उनके बी. ए. पास लड़के को 150 रुपया दे दिया, एम. ए. को 250 दे दिया। यह कौनसा जनतान्त्रिक तरीका है? बेकार वे हैं जो अनपढ़ हैं या मिडिल क्लास से नीचे हैं। उनके लिये आप स्टीपेण्ड दे सकते हैं, बेकारी भत्ता दे सकते हैं। इस तरह से उनको आप सपोर्ट दें ताकि उनमें फैल रहा फ्रस्टेशन रुके। वह कम हो आपकी तरफ से आज घोषणा होनी चाहिये कि जो भी शिड्यूलकास्ट के लैण्ड लैस लेबर, मजदूर का बेटा, पढ़ा लिखा है, बेकार है तब तक उसको आप भत्ता देंगे जब तक कि वह काम पर नहीं लग जावे। घोषणाएं तो इस तरह की आप करिये और टाइम बाउण्ड प्रोग्राम इसके लिये दीजिये ताकि जो जनता ने आपको वोट दिया और इतना बड़ा आपके आह्वान पर वर्डिक्ट दिया, आपको क्लाइमेक्स पर पहुँचाया, तो आखिर उनके लिये भी कुछ करना होगा। शिड्युल-कास्ट के बारे में पंजाब में एक वेलफेअर बोर्ड बना है आप उसको देखिये कौन कौनसा ला बनाया गया है उसको देखिये, उस सबको आप अपने यहां इन्ट्रोड्यूस करिये। आज उनका आर्थिक शोषण हो रहा है उसको रोकिये।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आज तक पिछले बीस सालों में जिन विधायकों के विरुद्ध एक्स या प्रेजेन्ट विधायकों के विरुद्ध, जो एलीगेशन्स लगे हैं करप्शन के, नेपोटिज्म के चार्जेज लगे हैं, जो जो जिस जिस तरह के भी एलीगेशन्स लगाये गये हैं इस तरह से या उस तरह से, उनकी जांच का या तो कोई रास्ता आप लेकर दें या इस चैप्टर को क्लोज कर दें। मैं इस माने में कहता हूं कि परसनल एलीगेशन्स नहीं रहने चाहिये। या तो उनकी जांच करके सफाई कर दी जानी चाहिये और उनको अपनी सफाई का भी मौका देना चाहिये, हालांकि हम जानते हैं कि मौजूदा पोजीशन में इसके इम्प्लीकेन्ट्स क्या हैं। आप यह भी जानते हैं कि इसकी बैक ग्राउण्ड क्या है। पांच छः महीने का आप या तो समय दें कि अपनी कमजोरियों का वे स्वयं प्रायश्चित कर लें, इनटोक्सिकेशन में होकर करलें या किसी तरह से कर लें। सुधार होना चाहिये, किसी तरह से हो। हम इस में भी विश्वास करते हैं। प्रायश्चित स्वयं भी कर सकते हैं और बाहर के जो दूसरे एम.एल.ए. हैं वे वाच डाग्स

(श्री केदारनाथ)

का काम कर सकते हैं। तो इसके दो ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है। या तो चीफ मिनिस्टर साहब, यहां फ्लोर पर बयान दे दें कि उन्होंने इन सब एलीगेशन्स को एग्जामिन कर लिया है और उनका परिणाम यह आया है और इस तरह से हमें भी विरोधी पक्ष के लोगों को भी उनके बारे में कान्फीडेन्स में ले, और इस तरह से प्रायश्चित करके अपने आप, उन एलीगेशन्स को रद्द कर दें और आइन्दा के लिये जिस दिन यह लोकपाल की मशीनरी इवाल्व होवेगी तो वह सब देख लेगी। सन् 1947 के बाद में राजस्थान बनने के बाद से, जो भी इलेक्टेड या नोमीनेटेड पोस्ट पर चुना गया हो या उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर आया हो, मेम्बर हो, पंच हो, सरपंच हो, एम. एल. ए. हो, एम. पी. हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई हो, उनकी इस तरह की शिकायतों को जांच करने वाली मशीनरी इवाल्व हो जावे, उनकी सही जांच हो जावे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जांच के बाद जो एक्शन सरकार लेगी उससे लगभग तीन पंचवर्षीय योजनाओं जितना धन आपको मिल सकता है। इनसे राजस्थान की भूख, बेकारी, राज्य की बेकवर्डनेस आदि सब मिट सकता है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि यह सब आप करें तो इससे एक तरह का सोबरनेस हमारे में आवेगा, जस्टिस करने के प्रति हम अपने कर्तव्य को समझ सकेंगे, एक प्रोपर थिंकिंग आ सकेगा और जो एलीगेशन्स, करप्शन के चार्जेज आदि जो भी लगाये गये या लगाये जाते रहेंगे। उनमें, जो आगे से [illegible] जावेगा। फिर भी इस तरह का एलीमेंट सिर नहीं उठा पावेगा। लोगों में सन्तोष की सांस आवेगी, लोग तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, लोगों का विश्वास आप में जमेगा। लोग अपनी शक्ति पहचानेंगे, कर्तव्य के प्रति सभी सजग होंगे, इससे हम प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की लोकायुक्त और लोकपाल की मशीनरी इवाल्व करने के लिये आप क्या एस्योरेन्स देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अर्बन प्रोपर्टी पर सीलिंग लागू करने के बारे में आप क्या करना चाहते हैं। देश की आठ स्टेटों में इसका बिल इन्ट्रोड्यूस हो गया है। पंजाब में अरबन और रूरल में, एक ही पेटर्न है, एट पार हैं सीलिंग दोनों जगह एक सी होनी चाहिये। पांच लाख पर, तीन या दो लाख पर करें। कुछ भी करें पर एक सी करें, यह हमारी मांग है। आखिर आप अरबन और रूरल लाइफ में कृत्रिम भेद क्यों करते हैं। प्रोपर्टी कैसी भी हो, सीलिंग का एक ही आधार होना चाहिए, आमदनी का अगर आप इस तरह के किसी बिल को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

पिछले तीन सालों से यह चर्चा होती है कि जिन्होंने अपनी अरबन प्रोपर्टी को डिस्पोज आफ कर दिया और उसे किसी और के कब्जे में दे दिया तो उसके बारे में भी आप क्या कानून बनाने जा रहे हैं। जब से प्रिन्सली आर्डर समाप्त हुआ और राजा महाराजा रिआर्गेनाइज हुए, इसका भी अन्त होना चाहिये। आज कामन मैन को [illegible] कानून उन पर भी लागू होने

(श्री केदार नाथ)

चाहिए। कितनी प्रोपर्टी उनके पास है, पुरानी इन्वेंटरी में उनके पास क्या क्या है, जेवरात उन के पास क्या हैं, उनको आमदनी क्या क्या है, किस मात्रा में सीलिंग वहां आना चाहिये, तो इसको देखते हुए आप किस तरह का कानून यहां लाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कोई भी इस सदन में ऐसा नहीं होगा कि जो यह न चाहता हो कि सभी समान स्तर पर ट्रीट होने चाहिये। अगर प्रिन्सलो आर्डर आपके पक्ष में आ जावे तो वह बच जावे और जो आपके बाहर रह जावे वह पकड़ में आ जावे, यह डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिये, यह भी नहीं रहना चाहिये। फिर अगर आप यह चाहते हो कि इसको अभी पोस्टपोन रखा जावे ताकि आप इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहें तो यह भी नहीं होना चाहिये। मेरा यह सीधा चार्ज है आप की नियत इसमें साफ नहीं है। इस प्रकार के स्टेटमेंट की जनता आपसे मांग करती है। वह आज आना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं बेकारी के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। आज यूथ ने आपको अधिकतर वोट दिये हैं। वे आज बेकार हैं। पर उनमें जोश है। इनीशियेटिव लेने की पावर है। पर उस के बारे में कोई उल्लेख नहीं है इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। यह ज्वलन्त समस्या है आज की आज उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है। अगर आपने सावधानी से इस बारे में कदम नहीं उठाये तो उपद्रव होंगे। इसके लिये एक ही रास्ता है कि जहां हम बात करते हैं कि 18 साल की उम्र वाले युवक को वोटिंग राइट मिले वहां आप उसको यूनीवर्सिटि सिण्डीकेट में, कालेजों में, प्राईवेट संस्थाओं में, संचालन बोर्ड में उनको हिस्सा दें और जो पढ़े लिखे स्टूडेण्ट्स हैं उनको भत्ता दें, बेकारी का उनको रास्ता दीजिये। सिस्टम समाज का बदलें। आप अपनी सर्विसेज को बदलें। उसका तौर तरीका बदलें। फलेक्सिबिलिटी उनके दिमाग में आनी चाहिये कि सरकार ने जब हमारे लिये इतना किया है तो अब हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि इसका लाभ सरकार को और समाज को दें। यूथ को आप एनकरेज करिये, उनमें विटेलिटि है, इनर्जी है, उसका बेस्ट उपयोग किस तरह से किया जा सकता है यह आप तरीका इवाल्व करें। इस इनर्जी को प्रोपर वे में चैनेलाइज करें। यह चैनेलाइज होगा सोशल और एजूकेशनल सिस्टम को बदलने से। तो इस इनर्जी को कैसे देश के हित में आप चैनेलाइज करेंगे यह जानना चाहते हैं।

हमारी स्टेट एक बोर्डर स्टेट है। बंगला देश की आजादी के बाद और पाकिस्तान की सैनिक हार के बाद बचा हुआ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसको इन्सपायरेशन मिलता है चीन से मौजूदा प्रश्न हमारे सामने अपनी बोर्डर की सिक्योरिटी का है। वैसे मैं इन्टरनेशनल पालिटिक्स में इस मौके पर आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता कि रूस की, चीन की और अमेरिका की सरकार क्या रोल प्ले करेगी। हमारे में अगर ताकत होगी तो जो भी नोटोरियस रोल वे प्ले करें उसका मुकाबला करने के लिये हमारे पास पूरी ताकत है।

पर पाकिस्तान और हमारी बोर्डर के आस पास का जो भी इलाका है उसकी

(श्री केदार नाथ)
तीन केटेगरी हमें बनानी चाहिये ताकि हमला हो तो हम सावधान रहें और पूरी ताकत से उसका जवाब दे सकें । पांच मील तक का एरिया, 10 मील तक का एरिया और पन्द्रह और पचीस मील तक पड़ने वाली एरिया, अब इन इलाकों की अलग अलग जगहों की अलग समस्याएं हैं । कैनाल भाखरा की अपनी अलग समस्या है; पानी की, विजली की सड़कों की, उनकी समस्याएं हैं, अन-एम्पलोयमेंट की वहां की समस्या है, पानी की, बिजली की, सड़कों की, पाकिस्तानी नेशनल्स की समस्या है, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये और इनकी पूरी देखभाल के लिये एक बोर्ड बना दिया जावे, इसका एक मिनिस्टर अलग से कायम कर दें इसका पोर्टफोलियो एक अलग से बनाकर उसको दे दें जो बोर्डर सिक्योरिटी की जितनी समस्यायें हैं उनको एक फेज्ड प्रोग्राम बनाकर हल करता रहे । इसके लिये कितना पैसा चाहिये, क्या हल है, इसका क्या साधन चाहिये, किस तरह से काम किया जाना चाहिये, यह मालूम हो सके और इस पर उन लोगों में एक विश्वास पैदा हो सके । पाकिस्तान का हमला हुआ तो उन लोगों का मोरल बहुत ऊंचा रहा । लोग अपने खेत छोड़ कर युद्ध के दौरान भी भागना नहीं जानते थे । मिलिटिरी के लोगों को वहां बसाया जावे, उनके बाल बच्चे वहां आकर रहें । ऐसे बहादुर लोग जो हैं उन लोगों की जो नीड्स हों उनको पूरा किया जावे । अगर हमने यह सब कर लिया तो हमारी बोर्डर काफी सुदृढ़ और मजबूत बन सकेगी ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, दो शब्द मैं अपने जिले की समस्याओं के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, यह इलाका भाखरा कैनाल का इलाका है । बड़ा इलाका है । वहां की समस्याएं भी काफी हैं । इनको लेकर वहां एजीटेशन भी हुआ । आपको मालूम है । कुछ का निराकरण हुआ । अब भी समस्याएं काफी बची हैं । ये फौरन सही तरीके का हल चाहती हैं । हम जो सोचते थे इसके समाधान के बारे में वह पूरा नहीं हुआ । भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसका एक मुद्दा में लेना चाहता हूं । जमीनों का अलाटमेंट हुआ । कुछ जमीनों की तबदीलियां हुई । पुरानी बंजर पड़त जमीनें नई नहरी जमीनों में बदल कर आ गई । नाजायज कब्जे हुए । हाई पावर कमेटी बनी । आप इसको पूरे पावर दीजिये और पूरी तरह से इसे फंक्शन करने दीजिये । इसने इन्टेरिम रिपोर्ट तो पेश कर दी है । पर जमीनों की तबदीली भी कर दी गई है । ऐसी स्थिति में क्या वहां हारमोनी रह सकेगी है यह सरकार स्वयं सोचे ।

वहां का मेन क्वेश्चन है, रैवेन्यू मिनिस्टर सदन में उपस्थित नहीं हैं, कई कानून हैं 55 के पहले के । चाहे राजस्थान कैनाल का क्षेत्र हो, चाहे गंग कैनाल का हो । अगर इन क्षेत्रों में अरसे से किसान काबिज है तो आप उनको खातेदारी हक दीजिये और उसके पास और कोई रोजगार भी नहीं है केवल यही खेत है, 25 बीघा जमीन है तो आप खातेदारी हक दीजिये । उनको रेगुलेराईज कीजिये । मेरा खयाल है इसमें किसी को ऐतराज नहीं

(श्री केदार नाथ)

होगा। मगर जिसके पास प्रोपर्टी और है, बिजनेस है ब्लेक मनी है इन्कम टैक्स देता है कुछ बचाता है, पूरे समाज में और राजनीति में जो हावी है और जिसके लिये आप समझते हैं कि एन्क्रोचमेंट किया है जमीन पर, तो आप उससे छीनिये और लैंडलेस टीनेन्ट को दीजिये। वरना तो आप जमीन वहां ले नहीं पायेंगे।

मैं समझता हूं वहां के इलाके की अपनी ही समस्याएं हैं। बीमार के इलाज की समस्या हैं, गरीबी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है हमारे सामने। अस्पताल की है। डिफेन्स फण्ड में 22123 लाख इकट्ठे किये। यह पैसा आज डाइवर्ट किया जाना चाहिये अस्पताल बनाने के लिये। वार मैम रियल अस्पताल और बनावें ड्रेनेज के लिये कुछ कुछ करें।

पचास हजार की आबादी का जो भी शहर हो आप आज घोषणा करें कि वहां छः महीने के बाद कोई झुग्गी झोंपड़ी दिखाई नहीं देगी। चारों तरफ जमीनें हैं, पर वे सब हैं आपके हमदर्दी के पास। जो आपके साथ रहे हैं। उनकी जमीन आप एक्वायर करें हिम्मत करके। नहीं तो जमीनें नहीं मिल पावेगी या तो आप उनको खुश रखें गरीबों को जमीन दें। दोनों में से एक काम करना होगा। 6 महीने में यह समस्या आप करने की घोषणा करें हम यह सुनना चाहते हैं, जनता ने अपना विश्वास आप में अपना प्रकट किया है। अपना वर्डिक्ट जनता ने दे दिया है। अगर आपने यह नहीं किया तो छः महीने के बाद जनता बिखर जावेगी।

पंचायतों के चुनावों की घोषणा आप करें। बाई इलेक्शन जो रह गये हैं उनकी घोषणा करें। वहां की समस्याओं के बारे में उनको दी जाने योग्य अमेनिटीज के बारे में बैठकर बात करें ताकि विश्वास जनता में पैदा हो। राजस्थान में नई हवा चले, नई क्लाइमेट पैदा हो। नये प्रोसपेक्टिव के साथ सारी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके।

इन शब्दों के साथ धन्यवाद के प्रस्ताव का, यह तो कहने वाला नहीं हूं कि ठीक है, जो वही पुराना ढर्रा देखा, उसके प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता के शब्दों में से यह मानता हूं आज जो ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठे हुये हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। 1967 के चुनावों के बाद जो अवसरवादिता हमारे जीवन में आई उससे जनता बड़ी दुखी हुई। उसके बाद लोक सभा के चुनाव हुये और चौकूटे ने एक व्यक्ति का नारा देकर सिद्धान्तों को भुला दिया, इसलिये आपका विरोध पक्ष निराश होकर आपके खेमे में जा बैठा। उसके बाद यह चुनाव हुए उसमें मैं जनसंघ के साथियों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं—कांग्रेस है, इसकी एक नीति है और नीति के आधार पर ही चुनाव लड़कर आ गई है। जनसंघ ने हमारे भारतवर्ष में 57 करोड़ लोगों को कहा और राजा-महाराजों को साथ लेकर कहा, बड़े बड़े हस्ताक्षरों में कहा, राणाजी कहें जैसे करना और वोट दीपक को देना। वह राणाजी चले गये इसलिये जन संघ को

Page No 29

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

हार खानी पड़ी। अब मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आपके इस भाषण में एक बहुत बड़ी बात कही गई–भूमि आवंटन की। मैं जब बहुत गहराई से सोचता हूं तो पाता हूं जमीन भगवान की दी हुई है और वह बहुत पड़ी है। इतनी जमीन पड़ी हुई है कि राजस्थान में 8 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन है। 6 करोड़ 45 लाख एकड़ जमीन अब तक दे चुके हैं। पर हमारी राजस्थान की जनता जो 89–90 प्रतिशत खेती पर आश्रित है उसकी पूर्ति कैसे हो? आखिर योजना क्या है आपकी? अगर गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं और यह जीवन मायातृष्णा में फंसा है तो मेरा मत है सरकारी जो आंकड़े हैं वह गलत हैं। लेकिन मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं हम गरीबी का डिस्ट्रिब्यूशन कर रहे हैं जमीन को देकर न उनके पास साधन हैं और न कुछ है। आखिर कितने पर्सेन्ट हम खेती पर लगाना चाहते हैं–99 पर्सेन्ट को, केवल एक पर्सेन्ट को छोड़ना चाहते है। राजस्थान में 6 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं या गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग सर्विस में हैं या और किसी सर्विस में हैं। एक या दो पर्सेन्ट ऐसे हैं जो दूसरे काम करते हैं। सबको राजस्थान में जमीन दें और खेती करें किन्तु उनके लिये पानी नहीं है, शीत से उसका बचाव नहीं है, गर्मी से उसका बचाव नहीं है। गरीबी हटाओ आन्दोलन भी चला जायगा। गरीबी हटे या नहीं हटे, आज इस देश की 13 अरब रुपये की पूंजी जो भारतवर्ष के 7 प्रतिशत काश्तकार हैं वे उसका उपयोग करते हैं, गरीब आदमी को कोई रुपया नहीं पहुंचा है। आज मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी यहां विराजमान हैं, इन गत वर्षों में उस गरीब को जो छोटी जोत वाले हैं, जिनकी मिनिमम जोत है, जिसकी अहितकारी जोते हैं उसको आपके आर्थिक कार्यक्रमों का कितना लाभ होता है। मैं निश्चित रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं एक प्रतिशत काश्तकार को उसका लाभ नहीं हो पाया है। न उन्नत खाद है, न उन्नत बीज, न उन्नत साधन हैं और न ही किसी प्रकार के उन्नत यंत्र है। वही गांवों में आज भी बनिये का शोषण है। वे ही सड़े हुये बीज उनको मिलते है, खाद का और यंत्र का तो नाम ही नहीं है। गरीब को अगर शक्ति देना है तो जिस बात को लेकर हम यहां आये हैं और जिस बात के लिये हमने वोट मांगे हैं उसको पूरा करिये उसका मखौल मत करिये। काश्तकार अब अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा। वह इस बात से निश्चित हो चुका है और उसकी सारी शक्ति एक ही तरफ लगी है और एक ही कारण है कि गरीबी कैसे दूर हो। तो मेरा निवेदन है कि गरीबी जमीन देने से दूर नहीं होगी, जमीन देने से और गरीबी होगी। आज आपके 60 लाख एकड़ के अलावा सिंचित जमीन में और टोटल आपके जो रिसोर्सेज हैं; जो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट करके चला है वह डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन में पानी दे सकेगा। वह भी 5, 20, 5 साल की आपकी योजना है। 375 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती होती है और केवल भगवान की दी हुई बरसात पर ही खेती होती है। आपका और हमारा आज यह मानना है कि हर तीन वर्ष

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

बाद अकाल पड़ता है और उसमें काश्तकार का खाद बेकार चला जाता है, बीज बेकार चला जाता है, मेहनत बेकार चली जाती है और उसके उपरान्त भी फेमीन में अनाप शनाप खर्च करना पड़ता है। आपका कोई प्लान नहीं हैं—राजस्थान के कितने पर्सेन्ट को आप जमीन देंगे और कितने पर्सेन्ट को उद्योग देंगे। हमारे राजस्थान का नहीं हमारे भारतवर्ष के प्लानिंग कमीशन भी यह तय करके बैठा है कि हमारे देश में गरीबी है और गरीबी की विप्लव की आन्धी न आये इसलिये उसको जमीन देकर शान्त किया जाय।

12. 15. म.प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

आज ट्रेजरी बैंचेज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गरीब को जमीन तब दीजिये जब साधन उपलब्ध हो सके और उसको सिंचाई उपलब्ध हो सके। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम दो एकड़ से जो नीचे वाले लोग हैं उनको अगर कम्पलसरी आप इन्योरेन्स नहीं दे सकते है तो कृपया गरीबी का अधिक विस्तार न करिये। एक मेरा निवेदन यह है कि आपकी हमारी योजना क्या है? 1952 में जिस तरह हमने वोट मांगे थे उसी तरह आज 1972 में भी मांगे लेकिन आज हालत यह होगी कि पांच वर्ष बाद काश्तकार बख्सेगा नहीं। 1952 में मैं वोट मांगने गया था तो काश्तकार ने यह कहा, वोट तो ले जाओ आपकी मरजी। आप आये हो तो वोट जरूर ले जावो लेकिन 1972 का काश्तकार यह नहीं चाहता है। वह चाहता है गरीबी दूर हो, उसकी समस्या का समाधान हों और अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं निकला तो जो झोली उसने भरी है उस झोली को वह फाड़ देना चाहता है। आज सड़कों की हालत गांवों में ऐसी है—भीलवाड़ा में ही नहीं सारी जगह पर है। सारे राजस्थान में गांवों से खेत तक पहुंचने वाली गाड़ियों को 8 घंटे लगते हैं आज तक हमने कुछ नहीं किया। सड़कों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है आज बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण बन्द कर दीजिये जैसे हरियाणा में हुआ है, लेकिन गांवों से खेतों की सड़कें अगर हम 1973 तक नहीं दे सके, पुलियायें नहीं बना सके तो आगे अब काश्तकार बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अनफारचुनेटली अगर पानी का नल लगता है तो वह अनप्रिविलेज क्लास में नहीं लगता है, अनप्रिविलेज क्लास को न पानी जाता है और न बिजली जाती है। मेरे जनसंघ के भाई भाषण दे रहे थे कि तुम लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, पानी पहले मेरे यहां आयेगा, बिजली पहले मेरे यहां आयेगी तुम तो गरीब हो, कहां है समाजवाद, क्या ऐसे ही समाजवाद की कल्पना करके चल रहे हो। मेरा निवेदन है कि इससे तो समाजवाद नहीं रहेगा और न आने वाले समय में समाजवाद ही आयेगा। मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। इस आवंटन के सम्बन्ध में यहां सदन में बहुत बड़ी चर्चायें हुई। इस आवंटन पर और क्या हुआ—जमीन का आवंटन किया और एक पांच आदमियों की कमेटी बनाई जिसमें एम. एल. ए. प्रधान, सरपंच है, तहसीलदार भी है, और बी. डी. ओ. भी है। ये सब लोग जमीन

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

को बांट कर देते है। फिर इन सारी जमीनों का आवंटन कहां गया ? हो सकता है जो जमीनें आवंटित की गई हैं उसमें सरपंच का रिश्तेदार हो सकता है, प्रधान का रिश्तेदार हो सकता है, पटवारी का रिश्तेदार हो सकता है। उनको सारी फाइलें यहां आई किन्तु आज दिन तक उसका जवाब नहीं। कहते हैं आवंटन हो रहा है। 35 लाख एकड़ जमीन दी गई है। आपके दिये हुये भूमि सुधार कानून 1968 में प्रकाशित हुये हैं। 37 लाख एकड़ जमीन ऐसे लोगों को दी है जिनको नहीं मिलनी चाहिये थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके लिये एक कमीशन कायम कीजिये जो ऐसे लोगों से छीनकर जमीनें दूसरों को दें। जरूरतमन्द और वास्तविक लोगों में जमीन का बंटवारा होना चाहिये। जिन शिड्यूल्डकास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीनें दी हैं क्या उन लोगों की हालत सुधरी है, क्या उनकी गरीबी दूर हुई है, क्या वास्तविक उनका विकास हुआ है ? कुछ नहीं हुआ है। भगवान को दी हुई जमीन तो वहुत है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। इस सदन के प्रांगण पर मैंने एक बात उठाई थी कि आपके स्कूल और प्राइवेट संस्थायें अड्डे बने हुए हैं, करप्शन के अड्डे। गलत हो सकता है मेरा चार्ज मैं सहज शब्दों में इसको नहीं उठाना चाहता हूँ; लेकिन एक अनुभव है जिसको मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को देना चाहता हूँ। प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स जो कि अड्डे चल रहे हैं, 208 रुपये टीचर के नाम पर मंढे हुए हैं और 60 रुपये महीने उनको तनख्वाह दी जाती है। मैंने इसके लिए पहले भी सुझाव दिया था कि ट्रेजरी और बैंक के मार्फत तनख्वाह दें लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सरकार के जूं तक नहीं रेंगती। हमारा कहना गलत हो सकता है लेकिन कम से कम एक कमीशन बैठाकर तो इसकी जांच कर ली जाये कि यह कहां तक सही है हमारा कहना। अब हम यहां पर इतने बहुमत से आये हैं और अब आप अंधेरे में ज्यादा नहीं चल सकते। जो अब तूफान आया है आप इन मठाधीशों को बैठाकर सरकार का रुपया इस तरह से उड़ाने मत दीजिए। मुझे मालूम है ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं। कितनी संस्थायें हैं, महेश्वरी स्कूल, अग्रवाल स्कूल, मौनिया इस्लामिया स्कूल, जितने भी सम्प्रदायवाद के अड्डे बने हुए हैं हमने उनको कोई सहायता देने का निर्णय नहीं लिया लेकिन चले जा रहे हैं। सिद्धान्त और नितियों के आधार पर वोट नहीं लेते। मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यहां पर लीज एण्ड रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट बना था, उसमें अवधि थी। मूलभूत हमारा ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी है, वह पार्टनरशिप है, कान्ट्रेक्ट है जितने भी कानून हैं ये पूंजीवादी व्यवस्था को बल देने के लिए बने हैं। आपके लैण्डलाड्र्स को पावर्स दी गयी हैं ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के द्वारा। पता नहीं कहां से निकाल कर लाये–दिल्ली से लाये या अमेरिका से लाये या रूस से निकल कर आया। लीज एण्ड रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में 20 साल की जिन्दगी रखो। लेकिन आप यह बीस साल में तो आवासीय समस्या हल नहीं कर पाये और यह दिन दूनी रात चौगुनी द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ती जा रही है। 20 साल

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

और मियाद बढ़ाने की चर्चा थी तो मैंने निवेदन किया था कि इसको कम से कम 50 साल कीजिए। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कानून आज बने हैं और जो हाईकोर्ट को रूलिंग्स निकली हैं उनसे आपके किरायेदारों को कोई राहत नहीं मिली। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अर्बन प्रोपर्टी सीलिंग का क्या होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम किरायेदारों को यह हक दीजिए कि सिवाय किराये के मकान मालिक खाली कराने का दावा नहीं कर सकता। यदि ये अधिकार दे सकें तो अच्छा होगा। यहां पर 25 परसेन्ट ओनरशिप के मकान हैं और 75 परसेन्ट किरायेदार हैं उन गरीबों को कौन देखेगा। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन एक और निवेदन करूंगा कि मैंने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना है और उन्होंने आपकी इस केबिनेट को कहा है कि पहली साल में भूमि सुधार का कानून लेना है। सरकारी कामों में तो कम से कम ठेकेदारी प्रथा को बन्द कीजिये। टेनेन्सी एक्ट लेप्स हो चुका है, सिलेक्ट कमेटी में से हो चुका है और पता नहीं यह विधान सभा 30 को एडजर्न हो रही है और उसके बाद 7-8 तारीख को फिर मिल रही है और फिर बजट के लिए 25 को मिलेगी और हम नहीं समझते कि टेनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और इस तरह के कितने ही कानून हैं जिसमें कि अमेन्डमेन्ट करने की आवश्यकता है और वह भी नयी योजनाओं के साथ। 145 आदमियों को भेजकर जनता आशा करती है कि रेवेन्यू ला में परिवर्तन कीजिये अब आप उठेंगे तो फिर अगला सेशन आने में अक्टूबर हो जायेगा और टेनेन्सी एक्ट में कम से कम 3 महीने लगेंगे पास होने में। आप शेयर की बात कह रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि यह तो वही चीज है जो कि बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है। कम से कम इसको तो खत्म करने का प्रयत्न कीजिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

और नहीं खतम कराते तो फिर हम खतम हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सांभरिया!

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय दिया जाना चाहिए मेरी पार्टी के साथ इस तरह से जिद्द नहीं करनी चाहिए। मुझे बोलने का मौका दिया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इकलौती सन्तान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सांभरिया!

श्री मूलचन्द सांभरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं लेकिन मुझे खेद है कि पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद उनके अभिभाषण में शराब जैसी बुराइयों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय महामहिम गवर्नर साहब पूर्ण रूप से

(श्री मूलचन्द सामरिया)

गांधी विचारधारा के व्यक्ति हैं लेकिन सखेद कहना पड़ता है कि हमारी व्यवस्था में यह अभिभाषण पढ़वाया गया है और उनसे स्वयं को भी पूछा जाये तो इस तरह से इन्डोपेन्डेन्ट तरीके से यह स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया शराब बन्दी के लिए पूर्व की सरकार ने घोषणा की थी कि 72 तक इसका उन्मूलन कर दिया जायेगा। उसके बारे में राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा आप जानते मे उपाध्यक्ष महोदय, शराब किस तरह की बुराइयों को जन्म देती है और उन लोगों के लिए अभिशाप है जिनकी बदौलत इस सरकार के समर्थक 145 व्यक्ति इस सदन में पधारे हैं। आप जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय समाज कल्याण विभाग जिसके लिए चलाया गया है। उसका सिर्फ इतना काम है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन इसके बदले में उनकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा इस शराब पर खर्च किया जाता है जिससे उनकी तन्दुरुस्ती ही नहीं समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी गिरती है और सरकार उनकी गाढ़े पसीने की कमाई को गारन्टी सिस्टम के जरिये उनके ऊपर इस तरह की पाबन्दी है कि कम से कम हर ठेकेदार को इतनी शराब तो बेचनी ही पड़ेगी गरीब मजदूरों की और गरीब हरिजन भाइयों की गाढ़ी पसीने की कमाई उस शराब में वापिस चली जाती है और वही सरकार उनके उपाध्यक्ष महोदय प्रलोभन देकर वोट लेकर कामयाब हुई है। मैं इस ओर निवेदन करना चाहूंगा जब चीन में अफीम बन्द हो सकती है तो मैं समझता हूं कि सरकार इस तरह से सोचे तो शराब जैसी बुराई को हमारे प्रदेश से भी निकाला जा सकता है। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण विभाग को और बन्द कर दिया जाये चाहे एक पैसा भी अनुसूचित जाति और आदिवासियों के उद्धार के लिए खर्च नहीं किया जाये लेकिन अगर शराबबन्दी कर दी जाये तो वे अपने आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यह एक ऐसी चीज है कि सरकार इसके जरिये सबको खत्म कर देती है। उनके बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए किताबें नहीं है। उनके पास आज रहने के लिए मकान नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और उनकी सारी इन्कम में आपको सही कह सकता हूं कि उनकी इन्कम का बहुत बड़ा हिस्सा आप ठेकेदारों के जरिए उन लोगों से लेते हैं जिन लोगों के पास देने को कुछ नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि इससे समाज में जटिलता पैदा होती है। वे अपने मकानों को गिरवी रख देते है और सेठों के चक्कर में पड़ जाते हैं। सेठों से रुपया उधार लेते हैं ब्याज पर और रुपया लेने के बाद उनको चुका नहीं सकते। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि शराब के ठेके की प्रथा तुरन्त बन्द की जाय और इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाय जिसमें इसके लिए बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ताओं ने खास तौर से बहुत कुछ कहा है कि जो आज राजस्थान और देश में कांग्रेस की जीत हुई है वह जीत कांग्रेस की समाजवाद के नारों की वजह से हुई है। ठीक है, मैं इसको मानता हूं। आज का गरीब समझता है

Page No 34

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कि उसे रोटी मिले, वह समझता है कि उसको कपड़ा मिलना चाहिए। उसको रहने के लिए मकान मिले और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके बच्चे भी पढ़ लिख सकें और उसको बिमारी के टाईम पर दवा मिल सकें तथा उसको पीने के लिए पानी मिल सके। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन सब बातों के अलावा आप इस बात पर गौर करें कि राजस्थान सरकार के आबकारी मंत्रीजी ने इलेक्शन से पूर्व गारण्टियां, शराब के ठेकेदारों से दस लाख रुपया रिश्वत का लेकर खर्च किया है, तो उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले की जांच होनी चाहिए। इन दस लाख रुपयों से कितना रुपया कांग्रेस के किन किन चुनाव क्षेत्रों के उम्मीदवारों को दिया गया इसकी जांच होनी चाहिए। आपके आबकारी मंत्रीजी के कहने से आबकारी कमिश्नर ने, उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन किया दौसा में श्री रामलाल बंसीवाल को चार सौ बोतल शराब की निकाल दो। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले की जाच करवाई जानी चाहिए। इन बातों की वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह गारण्टी प्रथा···

(हां पक्ष के अनेकों माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य–भारी शोरगुल)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं वे बिल्कुल निराधार है···

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर र र,···

श्री रघुनाथ विश्नोई : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर···

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष :(श्री रघुनाथ विश्नोई की ओर मुखापेक्ष) : मैं निवेदन करता हूं कि आप विराजिए।

श्री रोशनलाल शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोरगुल–कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप बीच में व्यवधान न डालें···

(अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : बीच में बोलने का प्रश्न है। हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको पहले बोलने दीजिए।

श्री रोशनलाल शर्मा : पहले हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

श्री रघनाथ विश्नोई : आप नियमों को देखिए। जब पोइन्ट आफ आर्डर है तो पहले उस पर व्यवस्था होनी चाहिए।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : One at a time.

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई माननीय सदस्य बिना किसी प्रकार का नोटिस दिए बाहरी व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कि इस सदन का सदस्य नहीं है, इस प्रकार उसके बारे में कोई बात नहीं कह सकता। इसके अलावा इन्होंने माननीय मंत्रीजी के खिलाफ आरोप लगाया है कि आबकारी मंत्रीजी ने दस लाख रुपये की रिश्वत ली। इस प्रकार का डायरेक्ट एलीगेशन इन्होंने लगाया है तो ऐसा एलीगेशन लगाने से पूर्व चेयर को सूचना दी जानी चाहिए ताकि मंत्री महोदय तैयार होकर आवें और उसका जवाब दिया जा सके। एटरेंडम इस प्रकार से डायरेक्ट एलीगेशन लगाया जाता है तो उसका जवाब देना मुश्किल है। ऐसी हालत में कार्य संचालन के नियमों में प्रावधान है कि इस प्रकार के एलीगेशन किसी मंत्री के खिलाफ लगाने से पूर्व बाकायदा नोटिस दिया जाना चाहिए और उसके बाद में ही मामला सदन में उठाया जा सकता है। इसलिए इसके बारे में आप व्यवस्था दीजिए।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मूलचन्दजी सांमरिया, आप अपने भाषण में इस तरह के एलीगेशन न लगावें। ये एलीगेशन्स निराधार हैं।

श्री मीठालाल (लालसोट) : हमारी पार्टी से जब कोई भी कांग्रेसी सदस्य बोले तो उनके बीच में किसी तरह का व्यवधान नही डाला था ...

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो पोइन्ट आफ आर्डर है। बीच में व्यवधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न की व्यवस्था दे दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लेकिन इसकी व्यवस्था क्या हुई कि ऐसे डायरेक्ट एलीगेशन लगाए जा सकते हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में निर्णय दिया जा चुका है। आप कृपया इनका भाषण सुनें।

श्री मुंशीलाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है वह बिल्कुल गलत है। वे तो बीमार पड़े हुये हैं और उनके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया और उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया गया कि वे शराब के नशे में धुत्त होकर पड़े हुए हैं। इस प्रकार के गलत प्रचार करके जीत कर आए हैं।

(शोरगुल व्यवधान–अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सांमरिया : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि शराब के बारे में मैंने जो कुछ कहा हैं वह सही है लेकिन अभी

(श्री मूलचन्द सांमरिया)
तक मैं यहां पर नया हूं, मुझे नियमों की जानकारी नहीं है, इसको डेफिनेटली मैं स्वीकार करता हूं लेकिन यह बिल्कुल सत्य है, इसकी जाच करायी जाय। इस बात के लिए तो कम से कम घोषणा करें मुख्य मंत्रीजी कि इसकी जांच की जाएगी। और इस बात के बारे में मैं दावे के साथ कहता हूं....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : चेयर की रूलिंग के बाद भी ऐसी बात करते हैं तो ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री मूलचन्द सांमरिया : वहां के लोगों को कहा गया कि सड़कें नहीं मिलेंगी। अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, लोगों से कहा कि अगर सड़क बनानी है तो कांग्रेस को वोट दो। एक तरफ तो उपाध्यक्ष महोदय, सड़क का काम शुरू हुआ और दूसरी तरफ वोट पड़ रहे थे।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चांदराणा बांध के बारे में भी कहा गया कि वोट दोगे तो बांध बन्धेगा नहो तो बांध नहीं बनेगा। इस बांध की योजना काफी पहले से बनी हुई है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता है और लोगों को इसके नाम पर वोट देने के लिए बाध्य किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक पब्लिक इन्टरेस्ट में किसानों के लिए अहम् मसला है। जमुवा रामगढ के बंधे से पानी देना बन्द कर दिया गया है जयपुर में पानी लाने के लिए। जब कि सारे देश में अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं लेकिन इस बांध के लिए रुपया नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, दौसा, बस्सी, जमुवारामगढ़ ये अभागी तहसीलें हैं जिसके किसानों को पानी देना बन्द कर दिया गया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए निवेदन करूंगा कि क्या राजस्थान सरकार यह घोषणा करेगी कि वह बनास नदी का पानी जयपुर के पेय जल की व्यवस्था के लिए लाएगी। आज इन तीनों तहसीलों के लाखों लोगों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हुई है। आज वे भुखमरी के शिकार हैं और इसकी वजह से उन्हें अपने 13–13, 14–14 साल के बच्चों को मजदूरी के लिए विवश करना पड़ता है। उनके बच्चों को जिन्दा रखने के लिए, कम से कम ईश्वर के लिए उनके बच्चों को अनाज देने के लिए यह सरकार घोषणा करे कि उस नहर को चालू कर दिया जाएगा जो जमुवारामगढ़ की है तथा चादराणा बांध का निर्माण कराया जावेगा। विकल्प के तौर पर बनास नदी से जयपुर को पानी देने की व्यवस्था कराई जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जोत समाजवाद की जीत नहीं हुई है बल्कि परमिट, कोटा और लाइसेंस की जीत हुई है। लोगों को वोट देने के लिए मजबूर किया जाता है कि वोट दोगे तो यह काम होगा, वह काम होगा।

आज समाजवाद का नारा देने वाली सरकार जगह जगह लोगों के ट्रान्सफर करती है। सरकारी नौकरों को दबाया जाता है और उनको कांग्रेस के पक्ष में कार्य करने के लिये मजबूर किया जाता है।

(श्री मूलचन्द सांमरिया)
जो इसके लिये तैयार नहीं होते हैं तो उनका तुरंत स्थानान्तरण कर दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इस तरह से सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होते हैं और उनको दूर भेज दिया जाता है और उनको परेशान किया जाता है। इसी तरह की चीज को मैं कहता हूं कि किसानों को फर्जी नोटिस दिये गये, सैंकड़ों किसानों को नोटिस दिये गये। चुनाव के समय उनसे सवाल किया गया कि वोट आप हमको दोगे तो नोटिस कैंसिल होंगे नहीं तो वसूली होगी। ऑफिसर्स के द्वारा उनको दबाया गया और परेशान किया गया। फिर भी आप कहते हैं कि यह समाजवाद की जीत है। उधर बैठने वाली पार्टी के लोग 90 प्रतिशत लोग उस बसहरे की तरह है कि जब मौत सामने आयी है तो पसीने पसीने हो जाता है। उनके साले और रिस्तेदारों के नाम कोटा परमिट लाईसेन्स है। क्या उपाध्यक्ष महोदय, उन जमीनों को वापिस ट्रान्सफर करा सकते हैं कि बेनामी के नाम पर हजारों लाखों एकड़ जमीन दबा बैठे हैं कम्पनीज के शेयर हैं। मै समझता हूं कि इन्दिराजी बहुत अच्छा नारा दे सकती हैं लेकिन उधर बैठे हुए उसका कितना पालन कर सकेंगे यह देखने की बात है।

बेरोजगारी को मिटाने के लिये बड़े बड़े वायदे किये गये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनिट। Please two minutes।

यदि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया तो फिर आप के लिये ही वे तैयार होंगे। किसानों का गला घोटा जा रहा है। मूल्य नियन्त्रण किया गया किसान के लिये। एक तरफ तो मंहगाई होती जा रही है और दूसरी तरफ उनको उनकी उपज का मूल्य कम मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यही समाजवाद आ रहा है? मैं तो कहता हूं कि समाजवाद के नाम पर किसानों को गुलाम बनाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, दौसा कस्बे में पानी की समस्या को हल करने के लिये लिख कर दिया था। भीखा भाई पहले मंत्री थे। पम्प करके सीधा पानी दिया जावेगा लेकिन हम देखते हैं कि वह तो दूर रहा दूसरी तरफ 1 लाख 30 हजार रुपये बिजली की लाइन डालने को लेकर बैठ गये। वहां की जनता पीने के पानी के लिये परेशान है उनको खारा पानी पीना पड़ता है। फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। स्कूल की बिल्डिंग के लिये चुनाव के समय रातों रात पत्थर और रोडी डाली गयी और ज्यों हि इन्दिराजी का भाषण हुआ रोडी और पत्थर वहां से गायब हो गये। इस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर लोगों की भावना के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ किया जाता रहा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके दल के लिये जो समय निर्धारित है अब आप दूसरे माननीय सदस्यों का ही समय ले रहे हैं। आप ही सारा समय लेना चाहेंगे तो दूसरों को नहीं मिलेगा।

श्री मूलचन्द सांमरिया : उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सेक्टर के लिये मैं निवेदन

(श्री मूलचन्द सांमरिया)

करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये। वोटों के चक्कर में आकर अच्छी बातों को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इनमें ऐसे लोगों को ही लिया जाय जो कि इसमें दक्षता रखते हों। मिट्टी का घड़ा आठ आने मे लेते हैं लेकिन उसको ठोक बजा कर लेते हैं इसी प्रकार से जहां हम इन उद्योगों में लगी करोडों रुपयों की पूंजी को इन बिना दक्ष लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं तो इससे इन उद्योगों में लगी पूंजी सुरक्षित नहीं रह सकती। चूंकि राज्यपाल का यह अन्तिम भाषण है इसलिये इसका समर्थन करता लेकिन चूंकि इसमें गरीबों के हित की कोई बात नहीं है इसलिये इसका समर्थन करने से मजबूर हूं। जयहिन्द

श्री उपाध्यक्ष : ओल्ड कांग्रेस।

श्री झावरमल (फतेहपुर): उपाध्यक्ष जी आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसके मुतल्लिक मुझे दो शब्द कहने है। इस भाषण में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे इसका समर्थन कर सकूं। न इसमें समाजवाद के लक्षण ही दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिये मैं इस भाषण के विरोध (अगेन्स्ट) में दो शब्द कहूंगा। क्योंकि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकूंगा।

चुनाव की बात सबसे पहले जो कहीं गयी हैं उसमें मुझे बहुत निराशा से कहना पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है इसमें जिसमें प्रजातन्त्र की मजबूती के लक्षण हों क्योंकि एक ही व्यक्ति को तानाशाह बनाया जा रहा है, उसमें सारी शक्तियां केन्द्रित हो रही हैं और यह चुनाव जो लड़ा गया है इसमें कम्यूनिस्ट पार्टी से आपका गठजोड़ था। इसमें कोई न्यूनतम कार्य-क्रम नहीं जिससे कायदे अमल करते और उस पर चलते। बिना किसी समझौते के दूसरे देश के इशारे पर किया गया गठजोड़ था जो भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। ट्रेजरी बैंचेज पर भी वे ही लोग बैठे हैं और अपोजिशन में नाजुक से नाजुक मसलों पर उनका साथ दें यह प्रजातन्त्र की मजबूती के लक्षण नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां सत्ता पक्ष से लड़ने के बजाय कम्यूनिस्टों से लड़ना पड़ रहा है। अगर यह बात नहीं है तो सत्ता पक्ष के साथ ही क्यों न बैठ जांय। क्यों टारपीडो की तरह से हमारा पीछा करके हमें डुबोने की कोशिश करते हैं? या तो सामने वाले पक्ष में बैठाया जाय या मेरा निवेदन है कि यदि विरोधी पक्ष में बैठें तो नाजुक मसलों पर हमारा साथ देना चाहिये। अगर यह बात नहीं है तो प्रजातन्त्र में भ्रष्टाचार फैलने के अलावा कुछ नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार): डूबते हुए जहाज में हम नहीं बैठ सकते।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : यह प्रिन्सिपल अलायन्स है नोनप्रिन्सिपल एलायेन्स नहीं है।

श्री झावरमल : इन्दिराजी ने जो भाषण किया था उसका हमारे जिले में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहां सत्ता पक्ष को दो सीट मिली और विरोधी पक्ष को पांच सीट मिली।

Page No 39

श्री **रोशनलाल शर्मा** : उनमें आप भी चुन कर आये हैं।

श्री **झावरमल** : हां मैं भी हूं।

दूसरी बात जो मन में आयी वह यह है कि या तो उन लोगों का पोलिटिकल आोपरेशन हो चुका है या ये आत्मा गिरा चुके हैं, किसी भी बात का विश्वास नहीं कर सकते। उदयपुर के खून पर विश्वास था राणा प्रताप की कहानी सुनी थी। जब वे लोग भी एक भी झटका नहीं सह सके तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ कि अब प्रजातन्त्र का मामला खत्म है।

श्री **रोशनलाल** : उदयपुर की जनता ने महाराणा का हाथ नहीं पकड़ा। आपने हाथ पकड़ा इसलिये डूब गये। उनका पता हीं नहीं लगा।

श्री **झावरमल शर्मा** : ये जो चुनाव हुए इसको शांति से निभाया गया इसमें भी हमारा ही ज्यादा हाथ था। मैं खुद ऐसे चुनाव स्टेशन पर लड़ाई का शिकार हो जाता अगर में धैर्य से काम नहीं लेता।

लेकिन हमें यह उम्मीद थी कि सरकार हमारी बनेगी इसलिए हमें शांति से काम लेना चाहिये लेकिन जब नतीजा विपरीत निकला...

श्री **राजेन्द्रकुमार भारतीया** : अफसोस!

श्री **झावरमल** : अफसोस तो हुआ लेकिन हम ऐसी बातों से घबरा कर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और क्योंकि अब आत्म-बल सत्ता पक्ष का कमजोर नजर आता है इसलिए मुझे दृढ यकीन है कि पांच साल यह सरकार नहीं चलेगी...

श्री **गुलाबसिंह शक्तावत** (वल्लभनगर): आपकी चलेगी आपकी अकेले की।

श्री **झावरमल** : यह लोग जो समाजवाद की बात करते हैं, इसमें भी छिछलेपन के अलावा और क्या हो सकता है क्योंकि समाजवाद की डेफीनेशन तो यह कर नहीं सकते...

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : आप कर लीजिये।

श्री **झावरमल** : लोगों को दिखाने के लिए कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं यह कम्युनिस्ट का सहारा लेते हैं, इससे साफ नजर आता है कि यह समाजवाद की ओर नहीं बल्कि साम्यवाद की तरफ जा रहे हैं। यह इस देश को साम्यवाद की तरफ ले जा चुके हैं। इन लोगों की यह साजिश जब जनता के सामने उभर कर आयेगी, खुल जायेगी. इस पर से पर्दा हट जायेगा तो इन लोगों को जनता माफ नहीं करेगी देश माफ नहीं करेगा। समाजवाद के नाम पर देश में धीरे धीरे, शनैः शनैः साम्यवाद को सहारा दे रहे हैं पनपा रहे है। मेरा निवेदन है कि समाजवाद की बात करने से या समाजवाद का नारा लगाने से समाजवाद नहीं आ सकता है। समाजवाद एक वे आफ लाइफ है, इसको जीवन में उतारना पड़ता है। लेकिन मैं यह देखता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का रहन-सहन, खान-पान, चाल-ढाल, बातचीत यहां तक कि भाषा प्रयोग जो है, उससे मुझे ऐसा लगता है यह इम्पीरियलिस्ट्स का तरीका है, यह समाजवाद का कैसे

(श्री झावरमल)
हो सकता है । जिस घड़ाके से, जिस शान से, जिस तबीयत से यह बोलते हैं, उसमें समाजवाद की सुगन्ध नहीं आती है, उसमें गंध आती है, डिक्टेटरशिप की, इम्पीरियलिस्ट्स को ये सरकार के नुमाइन्दे···
(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अभी तो प्रारंभ ही किया है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह भूमिका अदा की है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : समय समाप्त हो चुका है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : इनका पांच बजे तक का समय है ।

श्री झावरमल : सुनिये, धैर्य रखिये । मैंने बहुत धैर्य रखा है अब आप धैर्य रख कर सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय कम है । तीन बजे से गवर्नमेंट का जवाब शुरू होना है । आप जल्दी समाप्त करिये ।

श्री झावरमल : कितना वक्त मुझे दिया जा रहा है ? आप बता दीजिये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पांच मिनिट समाप्त कर दिये ।

श्री **उपाध्यक्ष** : बारह मिनिट हो गये हैं, बारह–तेरह मिनिट ।

श्री झावरमल : कितना टाइम दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करिये ।

श्री झावरमल : मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन कितना वक्त दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट और बोल लीजिये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप बोलिये ।

श्री झावरमल : मेरी पार्टी के साथ अन्याय की यह बात है कि मुझे बोलने का समय नहीं दिया जाता है । इस बात पर मैं सदन छोड़ता हूँ ।

(श्री झावरमल द्वारा बहिर्गमन)

श्री परसराम मदेरणा : आप बोलिये, बोलिये ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय · · ·

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेश चन्द्र शर्मा ।

श्री सुरेश चन्द शर्मा (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि आज सबसे बड़ी बात जो इधर पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यगण हैं उन्होंने यह कही है कि वह बहुत बड़ी संख्या में आये हैं वह इसलिए आये हैं कि उनकी नीति और उनका कार्य-क्रम समाजवादी है, गरीबी को हटाने का नारा उन्होंने दिया है । यह बात ठीक है कि जनता ने उनको बहुमत में जिताया है, जनता ने इनको भरोसा दिया है और एक अवसर

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

दिया है काम करने का। लेकिन गरीबी कैसे आती है, गरीबी कब हटती है? मैं मानता हूं कि हमारे प्रान्त का हर तबका, हर नागरिक गरीबी को हटाना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि गरीबी हटे, लेकिन गरीबी नारों से नहीं हटती है। यह गरीबी हटाना चाहते हैं, और क्योंकि यह आम जनता का सवाल है इसलिए जनता द्वारा इन्हें अन्तिम अवसर सत्ता पक्ष में आने का दिया गया है। अब यह किस प्रकार से गरीबी हटाते हैं, इसकी जनता कसौटी है, जनता इसको जांचती है, जनता इसको परखती है। मैं समझता हूं कि गरीबी हटाने का जो नारा दिया गया है, उसको यदि सफलता मिलती है तो विरोध का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। लेकिन बात ऐसी है नहीं। वास्तव में गरीबी हटाना चाहते हैं जिसकी कि अपेक्षा थी, आशा थी, तो इस सदन में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसी योजना रखी जाती, कोई कार्यक्रम रखा जाता जिससे कि किसी निर्णय पर पहुँचा जा सकता और जनता सोचती कि असल में गरीबी को हटाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नजर नहीं आई। जो गरीबी हटाने का कार्यक्रम है, मैं यह कह सकता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में केवल यह नारा है। समाजवाद की बात बहुत जोरों से की जा रही है समाजवाद की बात के अलावा गरीबी को हटाने की बात यहां कही जा रही है, लेकिन समाजवाद किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है? यह प्रश्न ऐसा है जिसके लिए गांव की जनता पुकार कर रही है। गांवों में सड़कों की मांग की जाती है तो कहा जाता है, समाजवाद आने दो। बिजली की बात कही जाती है तो कहा जाता है, समाजवाद आने दो। पेट के दर्द की बात कही जाती है तो कहा जाता है, समाजवाद आने दो। अर्थात् सब रोगों की दवा समाजवाद है। लेकिन वह समाजवाद कैसा है, कौन लायेगा, कहां से लायेगा, वह कोई वस्तु है, या कोई हैवान है। जनता इसको जानने की प्रतीक्षा कर रही है। आज मैं कह सकता हूं कि लोग समाजवाद का मखौल उड़ाते हैं। पिछले दिनों मेरे इलाके के अन्दर दस पन्द्रह चोरियां हुई हैं लेकिन पुलिस उनका पता नहीं लगा सकी है। जब उनकी रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो पुलिस के लोग कहने लगे कि समाजवाद आ रहा है। क्या चोर और डकैतों का समाजवाद आ रहा है। अगर इस बात को समाजवाद कहा जाता है तो मैं कहता हूं कि आज चोर और डकैतों को पुस-अप किया जा रहा है। क्या उनके जरिये से समाजवाद लाना चाहते हैं, क्या वह समाजवाद को लाने में मदद कर रहे हैं?

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, एलाटमेंट की बात कही गई है। कई एलाटमेंट ऐसे हुए हैं कि जो भूमि भूमिहीनों को दी जानी चाहिए थी, वह भूमि उनको और गरीबों को नहीं मिली है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूं, पिछले दो सालों में जो एलाटमेंट हुए हैं वह ऐसी जगहों में हुए हैं जो बन्दोबस्त में पशुओं के चारे की जमीन थी। उस जमीन का एलाटमेंट कर दिया गया इससे क्या आप गरीबों को भूमि देना चाहते हैं?

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

इसका साफ मतलब है कि गरीबों को भूमि नहीं देना चाहते केवल अपनी जेब अधिकारी भरना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों ने एक लाख रुपये बनाये हैं। जनता चिल्लाती है कि हमें भूमि नहीं मिली, एलाटमेंट नहीं किये जा रहे हैं लेकिन अधिकारी एक एक व्यक्ति से तीन तीन सौ रुपये रिश्वत के लेते हैं। लोगों ने इस सम्बन्ध में शिकायतें की, हड़ताल की, मेमोरेन्डम पेश हुए और डेपूटेशन मुख्य मंत्री जी से मिला। लेकिन हालत यह है कि ऐसे अधिकारी को सजा नहीं दी गई, बल्कि उनको प्रमोशन दिया गया, और प्रमोशन देकर दूसरी जगह भेज दिया। इस प्रकार उनको इनाम दिया गया जिन्होंने एलाटमेंट न करके एक लाख रुपया कमाया। क्या यही समाजवाद है? क्या यही गरीबी को हटाने की बात है? क्या यही भ्रष्टाचार को खत्म करने का तरीका है? मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि वह भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे नहीं तो स्वयं समाप्त हो जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आया, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक भी शब्द भ्रष्टाचार को खत्म करने के बारे में क्यों नहीं कहा। यदि लोक पाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो मैं मान सकता हूँ कि यह सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है। लेकिन यह सरकार दरअसल भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहती बल्कि उसको बढ़ाना चाहती है। आज भ्रष्टाचार किस विभाग में नहीं है। यह हम सब जानते हैं। इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सब माननीय सदस्य जानते हैं, कोई विभाग में ऐसा आदमी नहीं है जिसका कोटा बंधा हुआ न हो, लक्ष्य बना हुआ नहीं हो। एक तरफ तो लोगों को सौदा करना पड़ता है कि इतने पैसे होंगे तो सड़क बनेगी, इतने पैसे होंगे तो बिजली लगेगी। दूसरी तरफ आज पन्द्रह हजार रुपये में थानेदार बनता है, सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर पांच हजार में बनता है। यह तो लक्ष्य बना हुआ है, यह आप सब जानते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो आपको लोक पाल की नियुक्ति करनी चाहिए, लोक आयुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए। जिनके द्वारा चाहे विधायक हों, और चाहे मंत्री उन मामलों की जांच हो। आप जानते हैं जो दस पन्द्रह साल से मंत्री बने हुए हैं उनकी आज क्या हालत है। पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उनके पास बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, उनके पास फैक्ट्री है सिनेमा के मालिक हैं। कहां से उन्होंने पैसा पैदा किया? क्या भ्रष्टाचार से आया? या क्या समाजवाद से आया यह गरीबी हटाने का तरीका अच्छा है। जो सत्ता पक्ष से सम्बन्धित व्यक्ति थे, जो प्रभावशाली थे उनकी गरीबी जरूर हटी है आम जनता की हालत नहीं सुधरी है। गांवों में कुछ सड़कें बनीं, कुछ में बिजली लग गई, कहीं कुछ अस्पताल बन गये तो क्या इससे आम जनता खुशहाल हुई है, क्या लोगों की हालत सुधरी है मैं समझता हूँ, जो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वह महसूस करते हैं और सदन में जाहिर भी कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के पड़ोस

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

में हरियाणा प्रान्त लगता है। दो कदम दूर पर हरियाणा है, जहां बिजली नजर आती है और सड़क भी नजर आती है। जब उधर से आते हैं तो बोर्डर पर लिखा है "राजस्थान" और उसके ऊपर रेत नजर आती है, रेत आ गई तो यह राजस्थान है। बिजली नहीं है तो यह राजस्थान है। चिमनी है तो यह राजस्थान है। बिजली है तो यह हरियाणा है। यह स्थिति हमारे सामने है। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार का यह परम कर्तव्य है कि जनता को सस्ता न्याय मिले। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान हाई कोर्ट के बेंच की जयपुर के लिये मांग की जा रही है। सरकार ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने इसको वाजिब मांग मानते हुए भी कोई निर्णय नहीं लिया। मेरा निवेदन है कि इसमें दलगत राजनीति नहीं आनी चाहिये, पार्टी-बाजी नहीं होनी चाहिये। यह सारे राजस्थान का सवाल है। यह किसी दल का सवाल नही है। पूरे राजस्थान का सवाल है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बार पूरे राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई है। मुख्य मन्त्री जोधपुर के हैं तो जयपुर शहर में हाई कोर्ट की बेंच अवश्य ही होनी चाहिये (हर्ष ध्वनि)। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में इस बार कांग्रेस का बहुमत आया है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जब जयपुर शहर में कांग्रेस तीन सीटों पर आयी है तो उस खुशी में जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कर दी जाये। जनता को सस्ता न्याय मिलना चाहिये और यह हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में स्थापित होने पर ही हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। बिजली के बारे में बार बार यह कहा जाता है कि हम बिजली देना चाहते हैं। यह भी कहा जाता है कि बिजली हमारे पास में काफी है। परन्तु देखने में यह आ रहा है कि काश्तकारों को आज बिजली बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। पहले गांवों में बिजली जाती ही नहीं है और जाती है तो कनेक्शन नहीं मिलता है, जब तक उनके पास पैसा नहीं पहुंचता है बिजली नहीं मिलती है। वास्तव में आप काश्तकारों को राहत देना चाहते हैं, वैसे हमारी सरकार काश्तकारों की हिमायती है, तो काश्तकारों को सुविधा देने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस बार चेपा की बीमारी चली, शीत लहर चली, परन्तु इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। किसानों की सारी फसले खराब हो गई। पहले तो बरसात से फसल खराब हो गई, चना खराब हो गया, उपाध्यक्ष महोदय आज किसानों की यह हालत नहीं है कि वह तकावी दे सकें, लगान दे सकें और किसी प्रकार की वसूली का वह चुकारा कर सकें। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि किसानों के हितों को देखते हुए उनकी फसलों की हालत को देखते हुए, सरकार इस प्रकार की घोषणा करे कि वह किसानों से इस साल लगान की वसूली नहीं करेगी। लगान की वसूली

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

और दूसरी वसूलियों को स्थगित किया जाये। आज किसानों की वह हालत नहीं रही कि वे कोई रकम जमा कर सके।

मैं यहां पर बेरोजगारी की समस्या के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। इस बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बेरोजगारी के सम्बन्ध में केवल इतना ही इस अभिभाषण में कहा गया है कि एक हजार मजदूरों को मजदूरी दी जायेगी। लेकिन इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। आज शिक्षितों में असन्तोष है और इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अगर शीघ्र ही कदम नहीं उठायेंगे तो स्थिति ऐसी आ जायेगी कि वह स्थिति सम्भाले नहीं सम्भलेगी। आज लोग निराश हैं। वे बड़ी मुश्किल से परीक्षाएं पास करते हैं और उसके बाद भी उनको रोटी, रोजी नहीं मिल पाती है। यहां पर हम क्रान्ति की बात करते हैं समाजवाद की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ युवकों को रोटी, रोजी नहीं मिले तो यह समाजवाद की बात थोथी रह जायेगी। इसलिये मेरा अर्ज करना यह है कि जल्दी से जल्दी कोई योजना इसके लिये बनाई जाये ताकि जितने शिक्षित निकलें उनको रोजगार मिल सके। चाहे इसके लिये आप उनको कोई परीक्षण दीजिये जिसके द्वारा युवकों को रोजगार मिल सके। हम यह बात करते हैं देश को युवक सम्भालेंगे। परंतु आपकी यह बात वोट लेने के लिये है। उनकी जो व्यवहारिक कठिनाई है रोटी रोजी की, परिवार को सम्भालने की उसके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या को उच्च स्तर पर लेना चाहिये और इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये ताकि हमारे नवयुवकों को जीवन के प्रति जो निराशा महसूस हो रही है उसके बारे में हल निकल सके और युवक तेजी से आगे की ओर बढ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। पिछले सदन में यह घोषणा की गई थी कि नगरपालिका की चुंगियों को समाप्त कर दिया जायेगा और सरकार इसको सेल्स टैक्स में व्यवस्था करेगी जगह जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार की चुंगीयां कायम हैं और ये अड्डे हैं भ्रष्टाचार के। यहां पर पैसा लिया जाता है ट्रकों से, बसों से, और परेशान किया जाता है जनता को। जितना पैसा सरकार के कोष में नहीं जाता है उससे ज्यादा लोगों की जेबों में जाता है। इसलिये इन भ्रष्टाचार के अड्डों को समाप्त करना चाहिये। ये जगह जगह पर हमारे भ्रष्टाचार की ऐजेन्सीज हैं। अगर ये कायम रहीं और पैसे की वसूली होती रही तो मैं समझता हूं कि जिस गति से हम चल रहे हैं, वही ठीक है तो आपकी ये घोषणाएं केवल घोषणा मात्र हैं। वास्तव में हम भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, समाजवाद को लाना चाहते हैं, जनता को भुलावा देना है और चुनावों के अन्दर वोट प्राप्त करना है तो हमें बदलाव करना होगा, त्याग करना होगा। त्याग और कुर्बानी के लिये

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

लोगों को तैयार रहना चाहिये जो समाजवाद और गरीबी को मिटाने की बात करते हैं। उनको त्याग करना होगा, जिनके पास बड़े बड़े फार्म हैं, कारखाने हैं, सिनेमाघर हैं उनको समाजवाद लाने से पहले अपनी सारी सम्पत्ति का त्याग करना पड़ेगा। केवल यह कह कर कि सीलिंग ला रहे हैं, भूमिहीनों को जमीन का अलाटमेन्ट कर रहे हैं, कह देने मात्र से स्थिति बदलने वाली नहीं है।

अन्त में मैं सत्ता पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को मुबारिकबाद देता हूं कि जनता ने उनको मौका दिया है और इस मौके पर वे खड़े होकर जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करें ताकि इसी संख्या में रहने का अवसर आपको फिर मिल सके। जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को आप पूरा नहीं कर सके तो आपकी यह संख्या दुबारा नहीं आने वाली है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने गवर्नर साहब के अभिभाषण का अध्ययन किया है और मैं यह मानता हूं कि गवर्नर साहब ने कुछ ऐसी दिशा में कदम उठाने का वायदा किया है जो बहुत जरूरी है।

गवर्नर साहिब ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि अभी एक साल के अन्दर अन्दर अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग का कानून ले आयेंगे। इस प्रकार का संकेत किया गया है, लेकिन जैसा कि आचार्य जी ने यहां कहा कि यह हो सकता है कि यह कानून इनइफेक्टिव हो जाये, और इसी सन्देह को ध्यान में रखते हुए मेरा यह दृष्टिकोण है कि गवर्नमेंट अगर कानून नहीं ला सकती है तो कम से कम कोई इस किस्म का आर्डीनेन्स जरूर ले आना चाहिये जिसके मातहत यह तय किया जाये कि जो ट्रान्सफर्स अर्बन प्रापर्टी के इस उम्मीद पर किये जायेंगे कि यह कानून आने वाला है, तो वे गैर कानूनी माने जायेंगे। इस किस्म का कानून पहले जब इवेक्युई प्रापर्टी एक्ट लागू हुआ था, तो इस प्रकार का प्रावधान आर्डीनेन्स के जरिये लाया गया था और इस किस्म का कानून पहले भी बना था कि ऐसे ट्रांसफर्स इनवैलिड माने जायेंगे।

इसके अलावा कुछ और चीजों की तरफ कदम उठाये गये हैं, पर मुझे अर्ज करना है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर गवर्नर साहब ने कुछ रोशनी नहीं डाली और जिनको हल करना हमारा कर्त्तव्य है। इस अभिभाषण में एक जगह यह कहा गया है कि कच्ची बस्तियों में रोशनी और पानी पहुंचाया जायेगा। हम यह आशा करते थे और हम से यह वायदा किया गया था कि यह कच्ची बस्तियां रहनी नहीं और वह पक्की बस्तियों में तब्दील हो जायेंगी, और अब यह कहा जाता है कि पानी और बिजली दी जायेगी तो यह ठीक नहीं होगा। दरअसल गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि जो लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनकी जितनी मुश्किलातें हैं, उनको दूर करना गवर्नमेंट का कर्त्तव्य है। गवर्नमेंट को चाहिये कि उन लोगों को प्लाट्स दें और कर्जा दें ताकि वह लोग अपने कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बना सकें।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

अभिभाषण में यह कहा गया है कि वहां पर बिजली और पानी की व्यवस्था की जायेगी, तो मैं समझता हूं यह चीज अपनी जगह दुरुस्त नहीं है और गवर्नमेंट को कम से कम एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम इस किस्म का बनाना चाहिये कि जो कच्ची बस्तियां हैं उनको अमुक तारीख तक पक्की बस्तियों में तब्दील कर दिया जावेगा।

बस्सी सीतारामपुरा में प्लाटस् का मामला तय हो गया था और यू.आई.टी. ने ऐप्रूवल भी दे दिया लेकिन उसके बाद जितने नगर विकास न्यास हैं उनको सस्पेंड किया गया और हालत जैसी की तैसी ही रही।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा वह एक कांग्रेसी विधायक के क्षेत्र की है, और वह यह है कि अजमेरी गेट के परकोटे के अन्दर कुछ लोग आबाद थे। उनको उठाने का प्रश्न पैदा हुआ तो हमने सुखाड़िया साहब से कहा कि जहां मजदूर लोग रहते हैं, आप उनको मौका दीजिये कि वे दुकान और मकान बनावें। क्या गरीब आदमी को अपने लिये मकान बनाने का हक नहीं है? क्या गरीब आदमी को अपना स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा करने का अधिकार नहीं है? तो उन्होंने कहा था कि यह सब कुछ तो सही है। लेकिन हमारे अधिकारियों की वजह से हमारी गवर्नमेंट कोई तरक्की नहीं कर पाती। जहां इन्दिरा गांधी का नारा था कि गरीबी हटाओ, वहां अधिकारियों ने तय किया कि गरीबी तो हटती नहीं, अगर गरीब को ही हटा दिया जाये तो ठीक रहेगा। आज अजमेरी गेट के अन्दर जो गरीब बसते हैं उनको बेदखल किया जाये। तो गरीबी हटाओ का मतलब आज हमारे अधिकारियों ने यह निकाला है। उन अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है और गवर्नमेंट को चाहिये कि उनको सही रास्ते पर लावे।

इसके अलावा हमारे यहां खुद चीफ मिनिस्टर साहब मानते हैं कि जयपुर शहर के अन्दर बहुत गन्दगी है। जिस किस्म की जिंदगी हमको बसर करनी पड़ती है उसका सही तजुर्बा हासिल करना चाहें तो मैं एक प्रस्ताव यह रखूंगा कि हमारे सिविल लाइन्स में रहने वाले अगर कुछ दिनों के लिये रैगरों की कोठी या मोहल्ला शिकारियों में आकर रहें तो उनको सही अहसास होगा कि इस शहर में रहने वाले किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं। अगर कोई मिनिस्टर वहां आकर रहना चाहे तो मैं अपना मकान भी उनके तजुरबे हासिल करने के लिये दे सकता हूं। तो कच्ची बस्तियों के मसले को हल करने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिक मीटिंग में मन्जूर की है और मैं प्रस्ताव करूंगा कि यहां की म्युनिसिपल कमेटी इस मसले को हल करने में नाकाम रही है और कमेटी का तो यह हाल है कि 15 रोज से शहर में गन्दगी हो रही है। यहां पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के जीतने के कारण स्वतन्त्र पार्टी और जन संघ पार्टी के जो चैयरमैन हैं और मेम्बर्स हैं वे यह प्रेशर ला रहे हैं कि कांग्रेस जहां से जीती है वहां गन्दगी करके सड़ाया जाये।

दूसरा मसला जो मैं पेश करना चाहता हूं वह है जयपुर शहर में हाई कोर्ट बैन्च

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

का सवाल । यह सवाल बहुत दिनों से चल रहा है और मैं समझता हूं कि इस सवाल को राजनीति से अलग कर राज्य सरकार को सोचना चाहिये । गवर्नमेंट को इस सवाल को मानवता के नाते हल करना चाहिये । चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बयान शाय किया है उससे जयपुर शहर में बहुत उत्तेजना उत्पन्न हुई और ऐसे लोग, ऐसे तत्व पैदा हुए जिन्होंने नारा लगाया कि अब ईस्टर्न और वेस्टर्न राजस्थान अलग अलग होने चाहिये । यह नारा बहुत खतरनाक है और मैं इसको दुर्भाग्य पूर्ण मानता हूं । लेकिन मैं साथ साथ यह चेतावनी देना चाहता हूं कि बाजे वक्त छोटे छोटे नारे जिन पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है, बाद में ऐसे भी हालात पैदा हो जाते हैं कि उनके बहुत गम्भीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं । इससे हमने इस मुल्क के छोटे छोटे टुकड़े होते हुए देखे है, इससे हमने इस मुल्क को पिटते हुए देखा है । तैलंगाना का इश्यू आपके सामने आ चुका है । इस नजरिये से मैं इस बात को मानने वाला हूं कि राजस्थान एक है और एक रहना चाहिए । मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ऐसे लोग जो होते हैं वे पढ़े-लिखे होते हैं तो गम्भीर नतीजे हो सकते हैं । मैं जोधपुर के लोगों से जयपुर के लोगों से और ऐडमिनिस्ट्रेटर्स से अपील करूंगा कि इस सवाल से रीजनेलिज्म हटा दें । इसका हल यह हो सकता है कि इस सवाल पर यहां पर मतदान ले लिया जाय, असेम्बली में यह सवाल तय हो जाय तो हाई कोर्ट की बैंच यहां पर रखें वर्ना इस प्रश्न पर मैं इसरार करने को तैयार नहीं हूंगा । यह प्रश्न है जिसको अगर हल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय होना चाहिए । वर्ना मैं आपसे अर्ज किया चाहता हूं कि यहां पर नहीं होगा तो बार एसोसियेशन के लोग और बार एसोसियेशन में भी ऐसे तत्व हैं जो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा करना चाहते हैं । इस साल यहां पर कांग्रेस जीतकर आई है तो उसको बदनाम करना चाहते हैं । वे भी इस इश्यू को उठा सकते हैं । इसलिए मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए ।

इसके बाद जिस चीज की तरफ मैं तवज्जुह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि 5 लाख की आबादी में एक अस्पताल बड़ा है जनाना और एक अस्पताल है जिसमें मर्दों का इलाज होता है । यह जो शफाखाने हैं दो वे यहां की आबादी को देखते हुए मैं मानता हूं कि इनमें उनकी चिकित्सा ठीक नहीं हो सकती है । उसके मैनेजमेंट पर आज कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि टाइम कम है । इसलिए मैं अर्ज किया चाहता हूं कि हैल्थ मिनिस्टर को यह तय करना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या ये शफाखाने काफी हैं, और अगर नहीं हैं तो मेरा यह सुझाव है कि मेरे उन चारों क्षेत्रों में कम से कम चार छोटे पैमाने पर शफाखाने कायम होने चाहिए ।

अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं एक और बता दूं कि जनता कालोनी में जब मैं अपनी कान्स्टीट्यूएंसी में चक्कर लगा रहा था तो मैंने एक पड़त जमीन को देखा । पता यह चला कि यह शफाखाने के लिए एलाट की गई है और फिर ज्वेलर्स

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
एसोशियेशन के प्रेसीडेन्ट हैं उन्होंने मुझे यह खत लिखा···

(समय-समाप्ति–सूचक–घंटी)

मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि मैं 25 मिनिट बोलूंगा और स्पीकर साहब ने मुझे यह बताया था। तो क्या केवल इशारों के अन्दर ही मैं अपनी बात को रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनिट और मिल जायेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो ज्वेलर्स एसोशियेशन के प्रेसीडेन्ट ने यह लिखा है कि यहां पर हम अपने खर्चे से अस्पताल बनाने को तैयार हैं। एक तरफ तो डाक्टर्स बेकार बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ लोग अपने पैसों से शफाखाना बनाना चाहते हैं उनको आप सैंक्शन नहीं देते हैं। एक साहब हैं मेरे दोस्त राधेश्यामजी उन्होंने कहा कि वे एक नर्सिंग होम बनाना चाहते हैं गरीब आबादी के लिए तो उनको आज्ञा न दें। जब आप अपने साधन से नहीं कर सकते हैं और जनता अपने साधन इस्तेमाल करना चाहती है तो उनको क्यों रोकते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा अस्पताल 50 लाख की लागत का बना है, लेकिन मैं मानता हूं कि उससे गरीबों का भला नहीं होगा। अगर 12, 12 लाख के चार अस्पताल बना देते तो ज्यादा भला होता। फिर भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं अगर उन्होंने काले धन का उपयोग नहीं किया हो तो।

एक सुझाव अनएम्प्लायमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें पूरे अभिभाषण में कह दिया कि अनएम्प्लायमेंट को दूर किया जायगा। इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये। जहां पर इन्जीनियर्स में बेकारी का सवाल आता है तो उनके लिए कुछ मुकर्रर किया गया है वहां पर 450 डाक्टर बेकार हो गये हैं और यह स्थिति बड़ी विकट है। इसके लिए मेरी गुजारिश है कि जो सहूलियत बेकार इन्जीनियर्स को दी गई है वही सहूलियत बेकार डाक्टरों को भी दी जानी चाहिए। यह मेरा सुझाव है इसको मैं गवर्नमेंट में पेशे नजर रखना चाहता हूं।

लेडी डाक्टर्स को जगह हैं, लेकिन जेण्ट्स को कोई जगह नहीं है। इसके अलावा यहां और रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। उनके बारे में मुझे जिक्र करना है। मुझे यह कहना है कि शक्कर के बारे में अभिभाषण में जिक्र किया गया है। साढ़े तीन सौ ग्राम राशन में रखी गई है। शक्कर की वजह से सभी परेशान हैं, सिवाय डायबिटीज के मरीजों को छोड़ कर। बाकी सभी परेशान हैं। सरकार को हर एक आदमी के लिए 700 ग्राम शक्कर कर देनी चाहिए। मुझे यह मालूम हुआ है कि इस मैदान में भी भ्रष्टाचार है। मुझे यह एक लेटर प्राप्त हुआ है। पता चला है कि यहां के जो अधिकारी हैं, वह हर एरिया के जितने यूनिट्स हैं, उनमें एक एक हजार यूनिट का इजाफा कर के अपना निजी फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे 2,285 हैं तो वह वहां पर 3,285 दिखा रहे हैं। 2,991 हैं तो 3,991 हो गये हैं। इस तरह से एक हजार यूनिट का सब जगह पर इजाफा किया गया है। यह एक संगीन मामला है। यह एक हजार

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यूनिट की जो शक्कर है वह दुकानों को प्राप्त होगी। इनमें एक 65 नम्बर की दुकान है और एक 66 नम्बर की दुकान है। ये 2 दुकानें हैं। ऐसी और भी दुकानें होंगी। जहां ज्यादतियां की गई हैं।

दूसरी चीज जो मुझे यहां कहनी है, बिजली की दरों के बारे में कहनी है। जैसा कि गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में फरमाया है। दो तीन पैसे यूनिट में बड़े बड़े कैपटिलिस्टों को दी जाये और गरीब लोगों को 40 पैसे फी यूनिट में दिया जाये और सरचार्ज लिया जाय। जब सुखाड़िया साहब की मिनिस्टरी थी तो उन्होंने यह कहा था कि जब यह कारखाना मुकम्मिल हो जायेगा तो यह नहीं दी जायेगी। मेरा कहना है कि यह बोझ हमारे ऊपर क्यों है। भरतराम और चरतराम के इस दावे से क्या पता चलता है। इसके अलावा यहां पर जो साम्प्रदायिकता का इजहार होता है, उसके बारे में कोई एड्रेस नहीं किया गया है। उसमें चें चें मैं मैं जरूर होती है लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे इस मुल्क में एक कौम और एक मुल्क ही सब हों। जो ऐसे उसूलों के खिलाफ हैं, उनके लिए हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे भाई कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगाने को कहते हैं, उसके लिए मैं छोटा सा एक अखबार का आब्स्ट्रेक्ट पेश करना चाहता हूं। हाल ही में जनसंघ पार्टी ने एक पत्रिका निकाली है उसके 10 मई, 1971 के अंक में, जो अहमदाबाद और गुजरात में दंगे हुये थे, उससे पहले अहमदाबाद में जनसंघ का जोर बहुत कम था। उसके बाद बहुत तेजी से हुआ है। और यह बहुत मजबूत हो गया है। यह आब्स्ट्रेक्ट उस पत्रिका का है। जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के जरिये से बैन लगाने की बात करते हैं। वही लोग दंगा और फिसाद करके अपनी ताकत को बढ़ाने की बात करते हैं। मैं जनसंघी भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि जो इल्जामात उन्होंने हमारे ऊपर लगाये हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं सन् 37 से कांग्रेस से ताल्लुक रखता हूं। सन् 37 से लगातार प्रगतिशील नीतियों से ताल्लुक रखता हूं। गांधीजी के जमाने में भी कांग्रेस में दो दल थे। कांग्रेस दो दलों में बंटी हुई थी। एक वह थे जो सिण्डीकेट कहलाते थे। दूसरे वह जो जवाहरलाल नेहरू और प्रगतिशील नीतियों के साथ में थे। जो लोग बैठे हुये थे उन्होंने हमको बदनाम करने की कोशिश की है। हमने आजादी की जंग में हिस्सा लेने की कोशिश की है। हम यह नहीं चाहते थे कि जर्मनी और इटली दुनिया के ऊपर हावी हों। अगर ऐसा होगा तो दुनियां का क्या होगा। यही हमारा नारा उस वक्त था। आज जो इस किस्म के हम पर इलजाम लगाते हैं, उनका या तो सियासत में उस वक्त प्रवेश नहीं हुआ होगा या वो पैदा नहीं हुये होंगे। वह सिण्डीकेट के लोग थे जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। 1963 में हमने रखा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। हमारा प्रगतिशील रास्ता था। इसलिए हमने इन्दिरा गांधी को समर्थन दिया है। उन्होंने समाजवाद की तरफ कदम उठाया है। यह समाजवाद की नीतियों के गठन की बात है। अगर जनसंघी भाई यह समझते हैं कि ये नीतियां सही चीज हैं, तो उनको भी इन्दिरा गांधी का समर्थन करना चाहिये।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और समाजवाद इन तीन नारों का हमने समर्थन किया है इन नारों के बिना पर हम सोशलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। हमारा और कांग्रेस का यह मिला जुला फर्ज होगा। हम उस पराजय को याद रखेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : ये जो जन संघ की टेबिल पर बैठते हैं। दूसरों को नफरत की निगाह से देखते हैं। वह हिटलर और फासिस्टों को यहां पैदा करना चाहते हैं। वह गांधी और रवीन्द्र नाथ टैगोर को यहां जन्म नहीं देना चाहते हैं। वह यहां पर याहिया खां को जन्म देना चाहते हैं। यह उनका इरादा सफल नहीं हो सकता है। (सत्ता पक्ष द्वारा हर्ष ध्वनि) हमारा मोर्चा समाजवाद को आगे बढ़ायेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप के लिए तो ये चार ही बहुत हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ताकि गरीबों को राहत मिले। हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि हम इस शहर को पाक करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पाक नहीं कहो। उन्नत करेंगे, कहो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उन्होंने कहा है कि एक हाई पावर कमेटी बनायेंगे। इसकी जिम्मेदारी लोकल सेल्फ मिनिस्टर की है। जो इस बात को जिम्मेदारी लें। ताकि इस में भ्रष्टाचार क्रियेट नहीं हो सके। शहर गन्दा हो रहा है, इसकी सफाई हो। जो स्लम है, कच्ची बस्तियां हैं, उनको साफ किया जाये। पाक का मतलब यह नहीं है कि उनको निकाल दिया जाये, इसका मतलब है कि उनका परिवर्तन किया जाये।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर आज जो बहस हो रही है, इससे सदन में अनोखा वातावरण उपस्थित हुआ है। यह एक ऐसा अवसर है जबकि धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में इतने अधिक सदस्य अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। यह सिर्फ सदन के गौरव की बात नहीं लेकिन इसके पीछे जनता की अपेक्षायें और अभिलाषायें हैं, इसके पीछे जनता की परिवर्तन के लिए मांग है। इस चुनाव के होने के बाद कुछ विशेष तथ्य इस सदन के और सारे देश के सामने आए हैं। ये तथ्य स्वीकार करने होंगे। राजस्थान की जनता के लिए विशेष तौर से ये महत्व रखते हैं। आज तक राजस्थान की जनता के लिए यह माना जाता था कि राजस्थान की जनता पर लोकतंत्र की हवा ही नहीं लगी है, राजस्थान की जनता भोली है, अनपढ़ है और आज भी सामन्तों और राजाओं का हुक्म चलता है लेकिन ये सब बातें चुनाव के बाद गलत साबित हुई और देखा गया कि राजस्थान की जनता में राजनैतिक सूझबूझ है, वह राजस्थान को खुशहाल

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

बनाना चाहती हैं और राजस्थान का विकास चाहती हैं, प्रगति चाहती हैं। इस चुनाव के बाद एक और भी तथ्य हम लोगों के सामने आया है। भारत की आजादी के 25 वर्ष बाद लोकतंत्र की हवा पैदा हुई। नवयुवक जिनको विधान सभा चुनाव में पहली बार मत प्रयोग करने का अवसर मिला है। उसने भी राजनैतिक सूझबूझ का प्रदर्शन किया है। जहां राजस्थान का जमा हुआ खून विकास और प्रगति चाहता है वहां पर लोकतंत्र में अटूट आस्था रखने वाला नया खून भी खुशहाली और प्रगति चाहता है। चुनावों का श्रेय जहां पर पुराने खून पर है, उसके साथ साथ नए खून पर भी है।

मैं इस मौके पर इस बात पर जोर देना चाहती हूं। नवयुवक जो इतनी राजनैतिक सूझबूझ रखता है, उसकी बेरोजगारी का मसला हमारे सामने है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ मोटे मुद्दे कहे हैं उनमें खास तौर से स्नातकों के लिए कुछ बातें कही हैं। आज जरूरी है कि देश में उन नवयुवकों को जो कम पढ़े लिखे हैं, चाहे इंजीनियर्स हों, डाक्टर्स हों या कोई मैट्रिक पास हो या बिल्कुल अनपढ़ हो, उन लोगों को रोटी रोजी मिलना बहुत जरूरी है और हमने सबसे मोटा मुद्दा जो जनता के सामने रखा है, नेताओं ने रखा है, वह है बेरोजगारी व गरीबी मिटाना, उसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। युवा खून जो हमारे सामने है उसको अच्छी तरह से जीवन के काम काज और रोटी रोजी का जरिया उपलब्ध न कर सके तो निश्चित ही जो उनका जोश काम करने का है वह दूसरे डाइरेक्शन में डाइवर्ट हो सकता है जिससे अच्छे बच्चे भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। यह मसला बहुत ज्यादा जरूरी है और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सिफ स्नातकों के बारे में कहा है, उससे आगे नहीं कहा है। मैं सरकार का खास तौर से इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इस मुद्दे को सबसे अहम मुद्दा समझकर उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राज्य की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें जो पिछले वर्षों में हुई हैं, उनकी तरफ भी अपना ध्यान दिलाया है। कुछ आगे के कार्य-क्रम का विवरण दिया है। इस संदर्भ में कुछ मुख्य बातें मैं कहना चाहती हूं। कहा गया है कि राज्य सरकार ने शहरी सम्पत्ति पर निर्धारित करने का निश्चय किया है। शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण की चर्चा देश में जोरों से चल रही है। मैं इस मौके पर राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि पंचायती राज के सिलसिले में राजस्थान ने अगवानी की थी। पिछड़े हुए राज्य होने के बावजूद हमने इस बात को बताया कि राजस्थान के लोग आगे बढ़ने के लिए कितना सोचते हैं और कितनी प्रगतिशील विचार धारा रखते हैं। उसी तरह से शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण करने में भी राजस्थान अगवानी करेगा और मैं सुझाव इस रूप में भी देना चाहूंगी कि कानूनी पेचीदगियां तय करने के बाद तय किया जाए कि हर परिवार की सम्पत्ति दो लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
शहरी सम्पत्ति ज्यादातर सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु है, लोगों की भावना बन गई है। शहरी सम्पत्ति से न कोई आर्थिक उपजाऊ लाभ होता है न कुछ और, सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बन कर लोगों के बीच में विषमता को फैलाती है। इसलिए आवश्यक है कि यह कदम राजस्थान सबसे पहले उठाए। दो लाख रुपए से ज्यादा एक परिवार के पास शहरी सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और भी बातें जो कही गई हैं उनके बारे में उनको धन्यवाद देते हैं लेकिन समय के अभाव में कुछ मुख्य मुद्दे जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नहीं कहे हैं, उनकी तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी। उन्होंने नगरीय जल योजना के बारे में कहा है। लेकिन ग्रामीण जल योजना के बारे में सिर्फ कहा है कि सरकार सजग है। हिन्दुस्तान में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उन लोगों को अगर हम वेलफेयर स्टेट में पानी भी नहीं पहुंचा सकते तो वेलफेयर स्टेट कहने लायक नहीं है। मैं खासतौर से अपने इलाके की बात करती हूं। कोलायत पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। वहां आज भी 10–10 मीलों से लोग पानी को घड़ों में लाते हैं। ऊंट पर चार घड़े ले जाते हैं और वापस आते हैं तो गर्मी के कारण रास्ते में एक घड़ा तो खुद पी जाते हैं और तीन घड़े घर ले कर आते हैं। इस तरफ बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात वहां का पानी खारा है। बोर्डर एरिया होने के कारण लड़ाई के समय जो वहां जनता प्यासी बैठी है और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अकाल की जो घोषणा अमूमन अक्टूबर में होनी चाहिए अब जाकर हुई है जिससे वहां की जनता को बहुत तकलीफ है। जहां पानी की दिक्कत है, पानी पहुंचाया जाए और जहां पर पानी की नयी योजनाओं के माध्यम से स्थाई हल नहीं है, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स से जब पानी पहुंचाया जाता है तो अकाल के समय उससे सिर्फ पानी पहुंचाया जाता है और आराम नहीं दे सकते हैं। इसलिए आवश्यक हैं कि हम लोग देखें कि कोई नल योजना बन सकती है या नहीं। जैसे मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में चडियाला से बजू इत्यादि स्थानों पर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बना कर लोगों को पानी पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां न कुए हैं न पानी है इसलिए ग्रामीण नल की योजना सबसे ज्यादा महत्व रखती है और हम लोग उसकी तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपने को वेलफेयर स्टेट कह कर चलें तो सही बात नहीं होगी।

राजस्थान केनाल के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। अकाल के बारे में हम बार बार कहते हैं और अकाल में करोड़ों रुपए राज्य सरकार व्यय करती है लेकिन कोई भी स्थाई हल नहीं होता। इस सदन में कई बार इस बात को कहा गया है कि राजस्थान नहर को एक राष्ट्रीय योजना मानकर हमारी सरकार की तरफ से इस बात का जोर दिया जाए कि इसे केंद्रीय सरकार अपने स्तर पर लेकर इसको युद्ध स्तर पर कार्य कराए और यह पानी जो

कुंए आमी के थे, सिपाहियों को दिये गये, राजस्थान से बीकानेर जैसलमेर और बाड़-

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

मेरे के हिस्सों में जायगी, वहां खुशहाली आएगी और अकाल में जो करोड़ों रुपए का व्यय करते हैं, उसकी भी बचत होगी। इसलिए राजस्थान नहर की जो पिछली प्रगति बताई गई है अपर्याप्त है। इसको जल्दी से जल्दी लाकर अकाल को हमेशा के लिये भगाना पड़ेगा। आज राजस्थान में जब तक यह योजना पूरी नहीं हो जाती तब तक पश्चिमी राजस्थान से अकाल का खातमा होना मुश्किल है। पहले भी अक्टूबर में यहां पर अकाल घोषित किया गया। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में अकाल का काम शुरू पहले से ही हो गया था। इधर तो अकाल पड़ जाये, उधर अकाल राहत कार्य नहीं चले, तो उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जरा सोचें कि जनता को वहां पर कितनी तकलीफें होती हैं। जो पैसा राज्य सरकार द्वारा पहले दिया गया था वह भी वहां पर पूरी तरह से नहीं लगा। इस तरह पश्चिमी राजस्थान के इलाके की आज तक उपेक्षा होती आयी है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि जो कार्य अकाल राहत के समय शुरू हुए थे उन्हें तुरन्त पूरे किये जायें ताकि जनता को रोटी रोजी मिले। इसके लिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी ऐसे कार्य-क्रम उस एरिया में खोले जायें। काम नहीं होने से और अकाल की वजह से लोग वहां से अपने मवेशी वगैहरा लेकर चले गये। चुनावों के दिनों में भी गांव पर लोग नहीं थे क्योंकि वो वहां से चले गये थे दूसरी जगह। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपको जो निवेदन करना चाहती हूं वह बीकानेर के इलाके की है यह पश्चिम राजस्थान कहलाता है। वह पाकिस्तान के बोर्डर से सटा हुआ है, वह बोर्डर एरिया है इसलिये वहां पर राज्य सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि बोर्डर सेफ रहने के लिये वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाया जाय। इसके अलावा वहां पर जल्दी से केनाल लाई जाय ताकि लोग वहां पर काश्त कर सकें और यहां पर जो लोग अकाल की वजह से इधर उधर चले जाते हैं और उससे बोर्डर जो अनसेफ हो जाता है, वह सेफ होना शुरू हो जाय। लोगों के वहां मकान, जमीन, जायदाद, बना लेने से बोर्डर की सेफ्टी अधिक हो सकेगी। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ग्रामीण एरिया के उत्थान के लिये काफी कहा गया है और उसमें काफी प्रयत्न भी किये गये हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि बीकानेर डिवीजन में अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने जो ऋण देने की योजना बनायी है उसके तहत बीकानेर डिवीजन की उपेक्षा होती आदि है उसे बन्द की जानी चाहिये। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी निवेदन करूंगी की राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में काफी योजनायें बनायें जाने का जिक्र है, कुछ पुरानी योजनायें हैं और कुछ नयी योजनायें हैं। लेकिन इसके बारे में आपसे यह निवेदन करूंगी कि उन योजनाओं की पूरी होने की गति बहुत धीमी है।

इसके लिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जो औद्योगिक विकास के बारे में नयी योजनायें बनायें,

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
उसमें पहले पूरी जांच आपको करनी चाहिये कि अमुक योजना के लिये वह पर्टीक्यूलर साइट सूट करती है या नहीं । कई योजनायें बिना जांच किये ही आपने पहले अलोट करदीं जिससे पूरी तरह योजनायें समय पर काम करना शुरू नहीं करती हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पहले देखना चाहिये कि कौनसी कौनसी योजना कहां पर करवायी जाय। आज नयी योजना की बात तो ठीक है पर बीकानेर में जो पहले योजनायें चल रही थीं वे भी अभी तक पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं जिससे जो फायदा उस योजना का होना चाहिये वह तो हो नहीं रहा उसके साथ साथ लोगों को रोटी रोजी भी जो उससे पूरी तरह चलने से मिल सकती है, वह नहीं मिलती। इसलिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह उन्हें ठीक तरह से चालू करें । इसके लिये मैं आपको एक उदाहरण देती हूं बीकानेर में एक वुलन फैक्टरी है जिसमें लाइसेंस 1250 स्पिन्डल्स का मिला हुआ है वहां पर दो मशीनें हैं, परन्तु एक ही काम कर रही है और अगर दूसरी मशीन काम करने लग जाय तो आज जहां पर 500 आदमी काम कर रहे हैं वहां पर 1250 आदमियों को काम मिल सकता है। वह दूसरी मशीन बेकार पड़ी हुई है। आज जिस फैक्ट्री के लिये 1250 स्पिन्डल्स के लिये लाइसेन्स मिला हुआ है वह राज्य सरकार की उपेक्षित नीति से, दूसरी मशीन बन्द होने से पूरी तरह काम नहीं हो रहा है उससे एक तो उत्पादन में कमी दूसरी लोगों को रोजगार जो मिल सकता है नहीं मिल पाता अगर उसे शुरू करदें तो कुछ लोगों को वहां एम्प्लोयमेंट मिल सकता है। उस वुलन फैक्ट्री पर राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया हुआ है पर उसका प्रोपरली यूटिलाईजेशन नहीं होने की वजह से उसका पूरा प्रोफिट हमें नहीं मिल पा रहा है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि बेरोजगारी हटाने के लिये यह दूसरी मशीन चालू करदें जो कि वहां पर बेकार पड़ी है । इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि वह पलाना कोयले की खान के बारे में। आज वहां पर सरकार का करोड़ों रुपये का इनवेस्टमेंट किया हुआ है परन्तु बन्द पड़ी है। अगर उसे शुरू करने का कहते हैं तो कहते हैं कि उसमें आग लग गई थी इसलिये बन्द है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि आग क्यों लगी इसके लिये कौन दोषी है ? उसके बारे में जांच की जानी चाहिये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अगर आप उस माईन को चालू कर देंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जो माईन बेकार पड़ी है वह काम करना शुरू कर देगी। मैं पूछती हूं कि वह क्या पलाना खान ऐसी हो गयी कि उत्पादन वह शुरू नहीं कर सकती ? आप उसके कोयले की जांच कीजिए। कितना अच्छा कोयला है और अगर वह कोयला दूसरी जगह काम नहीं आ सकता तो क्या डोमेस्टिक फ्यूल के काम में नहीं आ सकता है ? मैं समझती हूं कि उसमें तो काम आ सकता है। इसके अलावा एक बात मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहती हूं कि पहले जब आपने करोड़ों रुपये लगाकर यहां पर माईन शुरू की थी उस वक्त इसके आसपास जो भी काश्तकारों की जमीनें थीं वह आपने ले

(श्रीमती कांता कथूरिया)

ली थी। उधर तो काश्तकारों की जमीनें चली जाने से वे बेचारे भूमिहीन हो गये इधर माइन के बन्द हो जाने से लोगों को बेरोजगारी हो गई। इसके लिये मेरी राज्य सरकार से प्रार्थना है कि वह इन काश्तकारों को जमीन दे। ताकि वो खेती करके अपना पेट पाल सकें। ये कहां तक राज्य सरकार का काम उचित है कि लोगों से पलाना माइन के लिये जमीनें ले लो और अब पलाना माइन बन्द पड़ी है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि पलाना माइन को जल्दी से जल्दी शुरू करवायी जाय। आज सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहती है कि हम प्राईवेट सेक्टर को बढ़ावा न देकर, पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहती हैं तो उसे चाहिये कि जल्दी से पलाना माइन को वापिस शुरू की जाय। नहीं तो काश्तकारों को दूसरी जमीन का एलोटमेंट करके उन्हे दें। ताकि वो लोग अपना पेट खेती करके भर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत राज्य सरकार से एक बात और निवेदन करना चाहूंगी वह है शिक्षा के बारे में और जनता को चिकित्सा देने के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह औद्योगिक विकास के लिये बीकानेर पिछड़ा हुआ है राजस्थान में उसी तरह शिक्षा के बारे में भी वह पिछड़ा हुआ है। इसलीये पश्चिमी राजस्थान में जहां से कि मैं आई हुई हूं वहां पर शिक्षा के विकास के लिए स्कूलें खुलवायी जायं। इसके अलावा चिकित्सा के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। बीकानेर के पास एक गंगाशहर कस्बा है वहां सेठों के माध्यम से पहले एक चिकित्सालय खोला गया था। आज वहां की यह हालत है कि वहां पर पूरे डाक्टर नहीं हैं, नहीं पूरी दवाइयां है। अगर कोई मरीज चला जाता है तो उसे कहते हैं कि पट्टियां लावो किसी को कहते हैं मल्हम लेकर आवो पर वहां पर जनता को दवाइयां तक नहीं मिलती हैं। आज वहां पर जनता अपने पैसों से अस्पताल बना देती है। लेकिन राज्य सरकार वहां पर जनता के भले के लिये डी.एम.एच.ओ. की नियुक्ति नहीं कर सकी है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर आप जल्दी से जल्दी डाक्टरों को नियुक्ति करें। वहां पर दवाइयों का भी प्रबन्ध करें ताकि जनता को चिकित्सा की सुविधा मिल सके। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वैसे तो पूरे राजस्थान में पानी की समस्या सभी जगह है पर राजस्थान के पश्चिमी इलाके में और खास तौर पर मेरे इलाके कोलायत और उसके आसपास के इलाके में पीने के पानी की बहुत ही बड़ी समस्या है। आज जब अकाल पड़ा तो राज्य सरकार ने अकाल राहत के अन्तर्गत कुछ ट्यूब वैल खुदवाये पर अभी तक उनके चलाने के लिये राज्य सरकार ने कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया है जो पीने के पानी की समस्या पहले बनी हुई है थी वह यों की यों बनी हुई है। आज जब इसके बारे में राज्य सरकार से कहा जाता है तो राज्य सरकार इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देती। दूसरे अगर कोई जबाव मिलता है तो यह कहते हैं कि ट्यूबवेल अन्दर

(श्रीमती कान्ता कतूरिया)

ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने खुदवाये थे इसलिये वो इसे शुरू करेंगे। उनके पास जाते है तो वो कहते है यह हमारा काम नहीं है यह काम पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले का है वे ही शुरू करेंगे। इस तरह से दो तीन जगह पर इसे अटका रखा है। लोग इधर उधर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर डालते हैं। यह बहुत खेदजनक विषय है कि एक तो जनता को पीने का पानी नहीं। दूसरी ओर जो राज्य सरकार ने लाखों रुपये अकाल के समय लगाकर ट्यूब वेल खुदवाये हैं वे काम करना शुरू नहीं कर रहे हैं। अगर इसके अलावा भी राज्य सरकार को लिखा जाता है तो पहले तो जबाब ही नहीं मिलता और अगर मिल जाये तो वहां पर यह कहा जाता है कि दो हजार रुपये देवो तो शुरू होंगे। मै उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि जिनके पास खाने को रोटी नहीं हैं वे आपको दो हजार रुपये कहां से लाकर देंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की पाबन्दियां हटाकर गरीब जनता को पीने का पानी की समस्या का तुरन्त हल किया जाना चाहिये और इन ट्यूबवेलों की किसी भी महकमें से चाहे अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड हो, चाहे पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, चाहे जल्दी से जल्दी शुरू करा कर जनता को राहत पहुंचाई जाय। इतना कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया हूँ उसका समर्थन करती हूं। इसके साथ–साथ मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को एक बार और निवेदन करना चाहती हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जनता ने हमें जो इतना विश्वास देकर यहां भेजा है उससे हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गयी है। हमें उन वायदों को पूरा करना है जो कि हमने जनता से किये हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से पुन: अनुरोध करती हूं कि हमें समाजवाद लाना है, एक नये समाज का निर्माण करना है, एक नयी व्यवस्था समाज में करनी हैं, ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि जनता में जाग्रति हो, जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा उठे। अगर हम यह सभी बातें नहीं कर सके, और जो वायदे हमने जनता से किये वो पूरे नहीं किये गये तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जायेगा। इसलिये राज्य सरकार को इसकी तरफ जल्दी से जल्दी कार्य करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय इसमें कोई शक नहीं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में समाजवाद के लाने और गरीबी हटाने के लिये काफी कुछ कहा गया है। पर उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा–नारा ही रहा तो गरीबी हटेगी नहीं हां इसकी जगह ये जरूर हो सकता है कि जो लोग चुनाव जीत कर कांग्रेस के टिकट पर आये हैं वे जरूर साल दो साल में इस जयपुर में बंगले बना लेंगे। या कोई बड़ा फार्म बना लेंगे। उससे गरीबी उन पर से जरूर हट जायेगी पर जो लोग गरीब है वो गरीब ही रहेंगे। उपाध्यक्षजी चुनावों में भाषण देने मिनिस्टर्स वगैरहा आये उन्होंने कहा कि आपके यहां काम इसलिये नहीं होता है कि आप

(श्री मीठालाल)
कांग्रेस को वोट नहीं देते। इसका मतलब तो यह हुआ कि विकास वहीं होगा जहां पर से कांग्रेस जीत कर आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जनता को इस तरह से डरा, धमका कर, और जनता को झूठे वायदे देकर आना क्या यही समाजवाद है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्योंकि आज इनके पास सत्ता है इसलिये आप कहीं भी काम करवा सकते हैं। आज आपने चुनावों में यह कह कर वोट लिये कि हम आपके बिजली लगवा देंगे, मैं तो यही समझता हूं कि आपके जीत क श्रेय यही आश्वासन है।....

एक माननीय सदस्य : ये किसने कहा था कि आपके यहां वोट नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। यह कहां पर कहा था...

श्री मीठालाल : यह बामनवास, लालसोट आदि में कहा गया था। आप मुझे बोलने दें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह सही है कि जनता ने हमारी अपेक्षा आपको ज्यादा मत दिये परन्तु इन गरीबी हटाओ के नारे से आपको समाजवाद नहीं मिलेगा। समाजवाद तो आयेगा असलियत में गरीबों की गरीबी मिटाने से। आज एक कांग्रेसी जब चुनाव जीत कर आता है तो चाहे पहले उसके पास एक–दो बीघा या दस बीघा जमीन भी न हो पर साल दो साल में वह एक हजार बीघा तक जमीन अपने नाम करा लेता है। इसलिये अगर इस तरह से ही आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो मैं इसे आप लोगों को गरीबी हटाने की बात मान सकता हूं। किसानों के नार्म-एलाटमेंट होते हैं, लेकिन जो कांग्रेसी विधायक बन कर आ बैठते हैं, उनके कुछ दिन बाद ही एक हजार बीघा के फार्म बन जाते हैं। उनकी गरीबी मिट जाती है, लेकिन आम लोगों की गरीबी मिटती नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि असलियत पर जावे और खाली नारेबाजी पर नहीं रहें। यह चुनाव तो हो गये लेकिन ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए आपने क्या किया? आप बहुत से राजा-महाराजा के लिए कहते हैं कि उनको हटा दिया लेकिन पंचायतों में सरपंच, पंच, जिला प्रमुख आदि जागीरदार बन कर सात–सात साल से बैठे हैं, उनके लिए क्या किया। सात साल में कितने परिवर्तन हो गये, लेकिन आप कानून को हमेशा अमेंड कर देते हैं कभी साल भर की अवधि बढ़ा देते हैं और कभी छः महीने की। माननीय राज्यपाल महोदय ने संकेत दिया है कि पंचायतों के चुनाव शीघ्र होंगे। मेरी सम्बन्धित मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी निर्णय करके घोषणा करें ताकि जनता में फैली गलत भ्रांति दूर हो सके।

सभी माननीय सदस्य, कोई व्यापारी के पक्ष में, कोई मजदूरों के पक्ष में बोलते हैं लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सभी माननीय सदस्य अस्सी प्रतिशत किसानों के वोट लेकर आते हैं, लेकिन सबसे कम वकालत किसानों की करते हैं। मैं राज्य कर्मचारियों की मांगों के खिलाफ नहीं हूं, मेरी उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है। राज्य कर्मचारियों को पूर्ण वेतन मिलना चाहिए, उनके बच्चों की शिक्षा का पूरा–पूरा इन्तजाम होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहे इसका प्रबन्ध रहना चाहिए। मंहगाई के जमाने में राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता

(श्री मीठालाल)

समय के अनुसार, जैसे-जैसे कीमत बढ़ती जाती हैं, उस ढंग से बढ़कर मिलना चाहिए, लेकिन किसानों के लिए क्या हो रहा है। केन्द्रीय सरकार ने कर बढ़ाया, तो सबसे ज्यादा भार डाला है किसानों पर। लेकिन कोई भी व्यक्ति बोलता है तो शहर की बात करता है, स्कूल खोलने हैं तो शहर में स्कूल खुलते हैं, सड़क बनानी हैं तो शहर में सड़क बनाते हैं, अस्पताल खोलने हैं तो शहर के क्षेत्र में अस्पताल खोलते हैं। शहर के एक-एक क्षेत्र में चार-चार पांच-पांच अस्पताल हैं जब कि गांवों में बीस मील तक कोई औषधालय नहीं हैं। हम गांवों में बड़े-बड़े अस्पताल नहीं चाहते हैं, एक-एक औषधालय ही चाहते हैं, दवाखाना चाहते हैं, जिसमें एक वैद्य हो और सौ, दो सौ रुपये की नवाई हो, आज गांवों में बीस मील तक कोई औषधालय नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कालेज खोलने की बात तो दूर है वहां पर प्राइमरी स्कूल, पांचवीं क्लास तक के हैं, उनमें भी पांच या दस प्रतिशत स्कूलों में छत का इन्तजाम है बाकी पंचायत समिति की तरफ से सात फीट ऊंची दीवार खड़ी कर स्कूल बना दिया गया है उन स्कूलों पर छत नहीं हैं, पिच्चानवें प्रतिशत स्कूलों में बरसात के दिनों में बच्चों को छुट्टी देदी जाती हैं और गर्मियों में मास्टर कुर्सी लेकर पेड़ के नीचे बैठते हैं। उन स्कूलों में बच्चों के बैठने की के लिये टाट पट्टियां नहीं हैं। जिनके घरों पर बोरियां हैं वह वहां ले जाते हैं, नहीं तो बच्चे धूल में बैठे रहते हैं। क्या उन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि देश के वह भावी कर्णधार बनेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के हिसाब से सोचें तो अधिकांश तहसील हैड क्वार्टरों पर बिजली नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी हैड क्वार्टर कस्बों और तहसील में बिजली पहुंचायें। आज शहरों में बड़े बड़े आलीशान कमरों में बैठ कर कहते है कि किसान बिजली चाहते है इसलिए कि वह अन्न अधिक उत्पादन करें और देश के गरीब लोगों को वह अनाज उपलब्ध करायें। आज कई इलाके ऐसे हैं जिनमें काफी अच्छी उपजाऊ जमीन है पानी है, लेकिन आप लोगों को बिजली देते हुए कठिनाई हो रही है। बिजली के लिए किसान पैसा खर्च करने को तैयार हैं, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह बिजली किसानों को सप्लाई कर दीजिये। इसके अलावा जिन किसानों को बिजली मिली हुई है, उनका मीटर जल जाता है तो मीटर देने का पूरा पैसा वसूल करते हैं जब कि मीटर सुधार के रूप में कुछ चार्ज करना चाहिए उन किसानों से बिजली के खराब मीटर वापिस ले लिये जाते हैं मीटर की चूकती कीमत वसूल करें-यह गलत है और ऐसा जयपुर जिले में सब तहसीलों में हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जितने कृषि कालेज खुलते है वे प्राय: शहरों में खुलते हैं या शहरों के आस पास मेरा सुझाव है कि भविष्य में कृषि कालेज गांवों में, गांवों के बीच में खोले जांय ताकि किसानों के लड़के कुछ सीख सकें, अगर वह वहां पढ़ नहीं रहे हों तो सात दिन में एक दिन आकर कृषि के आधुनिक तरीके सीख सकें और यह जान सकें कि किस तरह से कृषि में सुधार किया जा सकता है।

फसल के बीमे के बारे में सरकारों द्वारा बहुत कुछ सोचा गया था कि फसल बीमा

(श्री मीठालाल)

चालू किया जाय, लेकिन सरकार ने उसको चालू करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है और केन्द्रीय सरकार ने भी नहीं लिया है राजस्थान में यह स्थिति है कि बारिश हो जाय तो फसल होती है। जहां वर्षा हो जाती है वहां फसल होती है और दूसरी तरफ सूखा रहता है। ऐसे प्रान्त में फसल का बीमा होना आवश्यक है। इसके लिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी का सिलसिला चल रहा है शिक्षित वर्ग में, शहरों में है, कस्बों में है, वह शिक्षित वर्ग है, लेकिन गांवों में अशिक्षित बेरोजगार मिलेंगे, जिनको रुपया, डेढ़ रुपया रोज की छः महीने तक मजदूरी मिलती है और बाकी के छः महीने वह लोग बेकार रहते हैं। यह लोग पांच सौ, छः सौ रुपये बारह महीने में कमाते हैं, इससे उनके बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं होता है, और उनको कर्ज लेना पड़ता है। धीमे धीमे उनका कर्जा बढ़ता जाता है, और उनके बेटे पोते भी उस कर्ज को नहीं चुका पाते हैं।

गांवों में एलाटमेंट के मामले में गड़बड़ है, इसके साथ ही मैं निवेदन करूं सीलिंग के मामले में कि सीलिंग अभी कार्यान्वित नहीं हुई है, उससे पहले मंत्रियों ने अपने फार्म के टुकड़े करके अपने बेटे पोतों के नाम करवा दिये हैं। इसके बाद सीलिंग का कानून लागू होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से शहरी सम्पत्ति के कानून के बारे में भी मैं चेतावनी देता हूं कि यह भी एक ढिंढोरा है, तो यह कानून बाद में नारेबाजी रह जायगा। असलियत में जो पूंजी है, जो सम्पत्ति है, उसका बंटवारा, जब तक कानून लागू न हो जाय, तब तक नहीं किया जाना चाहिए। अगर पहले से ढिंढोरा पीटेंगे तो लोग सतर्क हो जायेंगे और जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया जा रहा है वह फेल हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे किसानों की फसल की कीमत के बारे में निवेदन है कि फसल की कीमत कृषि मूल्य आयोग द्वारा कम हो रही है। इस बारे में ध्यान दिया जाय।

दूसरे राज्य में चांवल की खेती के बारे में है, यहां पर अच्छी क्वालिटी का चांवल पैदा नहीं होता है। मोटी क्वालिटी का चांवल पैदा होता है। जो अच्छी किस्म का चांवल होता है, जो यहां पर मंत्री लोग कुर्सी पर बैठे हैं, ये बासमति चांवल खाते हैं, वह राजस्थान में नहीं होता है, वह पंजाब और हरियाणा से आता है। वह चोरी से यहां आता है, जबकि राजस्थान में जो पैदा करते हैं उसके बाहर ले जाने पर पाबन्दी रहती है। बाहर से खाने के लिए चांवल आ जाय, लेकिन राजस्थान का किसान जो पैदा करता है उसको बाहर नहीं जाने दें—यह गलत है। राजस्थान में गेहूं का भाव 110 रु. है, जबकि चांवल जो यहां पैदा होता है उसका अस्सी पिच्यासी रुपये क्विन्टल का भाव है। यहां के किसान को चांवल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि बाहर से आने वाले चांवल पर पाबन्दी लगाई जाय और जैसे गेहूं और चने के लिए बाहर भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उसी प्रकार चांवल के लिए कर दिया जाय ताकि चांवल को बाहर भेजने में कोई परेशानी न हो।

(श्री मीठालाल)

उद्योग के बारे में निवेदन है कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि बेकार लोगों को धन्धा मिले, मजदूरी मिले और बेकारी खत्म हो। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग धन्धे हैं कुटीर उद्योग हैं, उनको चलाने वाला और जो इन उद्योग धन्धों में दिलचस्पी रखता है वह यदि गांवों और कस्बों में उद्योग धन्धे खोलना चाहता है तो पहले जमीन कन्वर्ट करानी पड़ती है, लाइसेन्स लेना पड़ता है। उसके लिये रोजाना सेक्रेट्रियट के चक्कर लगाने पड़ते है। तब जाकर साल भर में मुश्किल से लाइसेन्स मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस लाइसेन्स प्रथा को दूर कर दिया जाय और गावों में जो उद्योग स्थापित करना चाहें उन्हें खुली छूट हो, वह अपने उद्योग धन्धे वहां स्थापित कर सकें। उसके लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं हो।

इसके अलावा चुनाव के पहले केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि तेल शोधक कारखाना सवाई माधोपुर में खोला जायगा। चुनाव के पहले यह हवा रही, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात् सवाई माधोपुर से राजस्थान और राजस्थान से आगरा पहुंच गया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय बाद में मेरा पार्टी का कोई सदस्य नहीं बोलेगा। धोलपुर छोड़ दिया, आगरा छोड़ दिया और आगरे से भी आगे ग्वालियर ले गये उस तेल शोधक कारखाने को। सवाई माधोपूर में कोई बड़ा उद्योग नहीं है जहां बड़ी लाइन भी है, छोटी लाइन भी हैं सप्लाई का भी अच्छा प्रबन्ध है लेकिन फिर भी उसको मध्य प्रदेश में ले जाया जा रहा है, अगर यह सवाई माधोपुर में लग जाय तो कितना फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय शिक्षा की दृष्टि से जैसा मैंने निवेदन किया शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है और गांवों की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। जिन गांवों में हायर सेकेन्डरी स्कूलों की जरूरत हैं उन गांवों में नहीं खोलेंगे और अगर उन गांवों में स्कूल खोलेंगे भी तो उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। उदाहरण स्वरूप लालसोट को ले लीजिये जहां हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है। एक एक जिले में 5–5, 7–7 कालेज है लेकिन सवाई माधोपुर जिले में अभी कालेज खोलने पर विचार ही चल रहा है। गंगापुर सिटी जिले का सबसे बडा कस्बा है और औद्योगिक कस्बा है, गंगापुर में कालेज खुल जायगा बार बार मंत्री महोदय जाते हैं और कह देते है निश्चित रूप से खुल जायगा लेकिन अभी तक श्रीगणेश नहीं हुआ इसलिये मेरा निवेदन है गंगापुर में भी इसी सत्र से कालेज का शुभारम्भ किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय सस्ता और सुलभ मिले, इसकी भी आज बडी आवश्यकता है। हाईकोर्ट की बेंच के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये कि हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में आनी चाहिये। मैं विशेष रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं आखिर राजस्थान ने ही ऐसा कौनसा गुनाह किया किया है जिसमें एक बेंच स्थापित करने में दिक्कत आ रही है। हिन्दुस्तान के अनेक प्रान्तों में 2–2, 3-3 बेंचें हैं लेकिन राजस्थान में एक भी बेंच

(श्री मीठालाल)
नहीं। आपके कौनसे कानून में बाधा आ रही है जिससे जयपुर में बैंच स्थापित नहीं हो रही है। हिन्दुस्थान के अनेक राज्यों में जैसे आन्ध्र प्रदेश को ले लीजिये, यू. पी. को ले लीजिये, महाराष्ट्र को ले लीजिये इनमें कई जगह तो चार चार बैंचे स्थापित की हुई है। यह मेरी समझ में नहीं आता राजस्थान ने क्या गुनाह किया है। सस्ता और सुलभ न्याय राजस्थान की जनता को मिले इसलिये मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित की जाय। यह आप न सोचें कि विरोधियों की मांग है। यह सारी जनता की मांग है और सारी जनता आपको धन्यवाद देगी और आप बधाई के पात्र होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत सड़कों, पुलियाओं आदि का निर्माण हो रहा है किन्तु सड़कों के मामले में कोई सी सड़क ले लीजिये बरसात के बाद टूट जाती है। कई पुल 7–7 वर्ष से बन रहे हैं लेकिन आज भी वे पूर्ण नहीं हो रहे है। पुलों पर और बान्धों पर गर्मियों में सामान इकट्ठा किया जाता है और बर-सात आते ही वह सामान बरसात में वह जाता हैं फिर वही की वही हालत रह जाती हैं। दौसा से सवाई माधोपुर जाने वाली सड़क पर बनास की योजना भी स्वीकृत हो चुकी है लेकिन कोई निर्माण नहीं हो रहा हैं राहूंवास के बान्ध पर पुल है 10 साल हो गये हर साल बन्धता है हर साल टूट जाता है। अब भी पुल का काम चल रहा है लेकिन बरसात में वही हाल फिर हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने और सत्ता कांग्रेस ने हरिजनों के उत्थान का ठेका ले रखा है लेकिन आज सबसे ज्यादा हरिजनों के सम्बन्ध में मतभेद इस कांग्रेस सरकार में हो रहा है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और क्या बात होगी कि बिजली जा रही है तो हरिजन बस्ती में नहीं पहुँची, नल की पाइप लाइन जा रही है तो हरिजन बस्ती में पहुँचते पहुंचते वह रुक जाती है, नल की बिजली की लाइनें वहीं खतम हो जायगी जहां हरिजन बस्ती आ जाती है। क्या इसी प्रकार का इनका उत्थान करने का ठेका रहता है कि हरिजन बस्ती में नल और बिजली नहीं पहुंचे। संसद की तरफ से और केन्द्र सरकार की तरफ से अभी अनुसूचित जाति और आदिम जाति के कल्याण के लिए एक समिति बनी है। होम मिनिस्ट्री ने सुझाव भी दिया था कि प्रान्तीय विधान सभाओं में भी इस प्रकार की समितियों का गठन किया जाय, एक सलाहकार समिति बनायें और मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार ने भी सुझाव भेजा था कि हम भी बनाने को तैयार है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय 2–3 साल हो गये राजस्थान सरकार ने और समाज कल्याण मंत्रालय ने जो समिति बनाने की बात थी वह अब तक नहीं बनाई।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन करूंगा भ्रष्टा-चार के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चायें की। मेरा मानना है जो सत्ता में बैठने वाले हैं चाहे वे मंत्री मण्डल में शामिल हो या नहीं सभी लोग किसी भी तरह नारे बाजी लगाकर कि भ्रष्टाचार का खतम किया जायगा लेकिन वे स्वयं जान

(श्री मीठालाल)

हैं भ्रष्टाचार शासन में किस तरह से व्याप्त है। अच्छा तो यह हो कि अब भ्रष्टाचार की चर्चा ही न की जाय क्योंकि भ्रष्टाचार को हटाने वाले जानते हैं कि भ्रष्टाचार हटाने में किन किन को रोके और किन किन को नहीं रोके। मंत्री महोदय खुद जानते हैं कि हम ही खुद हट जायेंगे, अगर भ्रष्टाचार को हटायेंगे तो। आज हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। मेरा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निवेदन है उसको खतम करना दूर रहा, आप उसको भी कम से कम बढ़ने तो मत दो। आपको अभी भारी बहुमत मिला है। किसी को मंत्री मण्डल में लें या नही लें इसकी आपको अब परवाह नहीं करनी चाहिये। पहले तो विधायकों का काम रहता था ट्रान्सफर करवाना और मंत्रियों का काम रहता था ट्रान्सफर करना। आपको अब तो इस विषय में डर ही नहीं होना चाहिये। पहले तो एक सफल विधायक की यही पहिचान थी जो सबसे ज्यादा तबादले करवा देगा, जिसकी सबसे ज्यादा शिकायत होगी वही सबसे सफल विधायक होगा और उसको सबसे बड़ा मिनिस्टर मानते थे जो विधायकों के कहने पर तुरन्त तबादले कर दें चाहे एक साल में एक कर्मचारी के 3-3, 4-4 बार ही तबादलें क्यों न हो। ऊपर के आफिसर्स की अनिच्छा होते हुये भी उनको तबादला करना पड़ता था क्योंकि वे तो जानते है कि एक एक व्यक्ति का एक एक साल में 3-3, 4-4, तबादला हो जाता है, यह अच्छी बात नहीं है। मेरी भविष्य के लिये प्रार्थना है कि कांग्रेसी एम. एल. एज., ट्रान्सफर के मामले में न जायें और मंत्री महोदयों से भी मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसे विधायकों को अपने मंत्रालय में भी न भटकने दे।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं इस सरकार से यही निवेदन करता हूं किसानों के लिये बिजली दें और अन्न लें—इस सुझाव पर जरूर विचार किया जाय। अब मैं मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में अपने थोड़े से विचार प्रकट करूंगा। स्कूल खोलने के बारे में राज्य सरकार द्वारा तथा भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री बी. एन. जोशी जी, नवलकिशोर जी, छुट्टनलाल जी द्वारा यह घोषणा की समझों स्कूल तो हो गया सेकेण्डरी से हायर सेकेण्डरी हो गया और नया हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिये भी कहते थे समझो हो गया लेकिन आज तक उपाध्यक्ष जी वैसी की वैसी हालत में हैं। रामगढ़, पचावर, डिडवाना, लालसोट में हायर सेकेन्डरी स्कूल स्थापित किये जांय। अभी श्यामपुर के बांध के बनने का कार्य चालू है। राज्य सरकार को मालूम है कि कुछ मशीनें भी पड़ी हुई है, कुछ मजदूर भी काम करते है लेकिन चुनाव का समय आता है तो काम शुरू हो जाता है और चुनाव समाप्त हुये कि काम भी समाप्त हो जाता है। इस बांध से चाकसू और लालसोट का भारी फायदा होगा और किसानों को सिंचाई साधन उपलब्ध होंगे। मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, आपके कर्मचारी भी वहां रुके हुये हैं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे है, देखरेख कर रहे है या नहीं कर रहे हैं लेकिन उस बांध का कार्य अविलम्ब शुरू किया जाय।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का विषय है। लालसोट ऐसी तहसील है कि

(श्री मीठालाल)
आप उसके किसी भी क्षेत्र में विजली पहुंचा देंगे तो वहां भूमिगत पानी है और जलस्रोत है जहां भी आप विजली की सप्लाई करेंगे वही खेतों से भारी उन्नति होगी और अन्न उत्पादन में इतने विकास की सम्भावना है कि जिससे आपको बहुत अधिक मात्रा में अन्न मिलेगा और इससे गरीबों को मदद मिलेगी और किसानों की उन्नति होगी ।

सड़कों के मामले में लालसोट क्षेत्र में सा. नि. विभाग की तरफ से कुछ काम चालू किये गये थे लेकिन वे अधूरे पड़े हैं इसलिए वह काम जल्दी से जल्दी हों और लालसोट क्षेत्र में विजली के मीटरों के खराब होने पर लोगों से चूकती पैसा ले लिया जाता है और मीटर भी वापिस ले लिया जाता है तो मेरा निवेदन है कि उनसे चूकती पैसा न लेकर मुआवजे के रूप में कुछ पैसा लिया जाये और जहां विजली पहुंचती है वहां अधिक विजली पहुंचाई जाये ।

दूसरे सहकारिता के बारे में एक मिनट में अर्ज कर देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 6 चावल मिलें सहकारी दिशा में खोलने का विचार है और वहां पर केशोरायपाटन में पहले ही एक शुगर मिल है और लालसोट में कई सहकारी समितियां है उनमें उपाध्यक्ष महोदय, 6-6 और 7-7 साल से रोकड़ बाकी 25 से 30 हजार रुपये चल रहे हैं लेकिन रोकड़ बाकी न तो पोस्ट आफिस में जमा हुई और न राज्य सरकार के ही किसी खजाने में हुई और लोगों के पास 30-30 हजार रुपया रोकड़ बाकी के चल रहे हैं और जब कि 6 चावल मिलें खोल रहे हैं उनकी भी वही हालत होगी जो कि केशोरायपाटन शुगर मिल की हो रही है। इसलिए मैं अधिक समय न लेकर आपके माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि इन सब विषयों के ऊपर ध्यान देकर इस देश का और इस प्रान्त का विकास करें और जो आप लोगों ने वायदे किये हैं उनके ऊपर आप अमल करें और काम करने की सद्बुद्धि आप में आवेगी तो जनता भी आपको कुछ आगे देखेगी और आप पर ध्यान देगी वर्ना जितना बढ़ाया है पांच साल के पहले ही खतम भी हो सकते है। यही मुझे निवेदन करना है । अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीराम यादव !

श्री घासीराम यादव (वहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया है इस आशा के साथ कि इन्दिरा गांधी जी नयी कांग्रेस की नेता हैं, वे हिन्दुस्तान में से गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगी। श्रीमती इन्दिरा गांधी बार बार यह कहती रहती हैं कि गरीबी से लड़ना चाहते हैं और उनका यह इरादा हिन्दुस्तान की जनता ने सही माना है । कांग्रेस को जिताकर हिन्दुस्तान की जनता, जिसमें राजस्थान की जनता भी शामिल है, ने यह सावित कर दिया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति भी सही थी और श्रीमती इन्दिरा गांधी जो एक तरीके से समाजवाद के रास्ते पर चल रही है । वह भी सही है । हिन्दु-मुस्लिम का फर्क नहीं मानकर धर्मनिर्पेक्ष की नीति है उसको भी

(श्री घासीराम यादव)

सही माना है। इन नीतियों का समर्थन करते हुए सबसे ज्यादा आशा यह है कि हमारी गरीबी मिटेगी। मैं समझता हूँ कि यह सदन हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है यहां भी सब माननीय सदस्य मिलकर यह कोशिश करें कि हमारे राजस्थान की भी गरीबी मिटे। अब गरीबी कैसे मिटे? हमारे पास सीमित साधन हैं। हमारी गरीबी साधनों से ही मिट सकती है। नहरें बनेंगी उनसे गरीबी मिटेगी, बिजली लगायेंगे उससे गरीबी मिटेगी, ट्यूब वेल बनायेंगे उससे गरीबी मिटेगी और दूसरे विकास करेंगे उनसे भी गरीबी मिटेगी। इसके अलावा और भी सोशियल रिफार्म्स करेंगे उससे भी गरीबी मिटेगी और अस्पताल खोलेंगे उनसे भी गरीबी मिटेगी। सड़कें बनायेंगे, स्कूल खोलेंगे इनसे हमारी गरीबी मिटेगी और इन सब की आशा हमारी जनता हमसे करती है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सब माननीय सदस्यों से और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब का कर्तव्य है कि हम काम मेरिट्स पर करें और यह नहीं सोचें कि यह मेरी कान्स्टीटूएन्सी का काम है इसलिए हो जाये और यह मेरे क्षेत्र का काम है इसलिये हो जाये। सारे राजस्थान का भला सोचना हमारा सब का काम है। मैंने सुना है पढा हैं कहीं कि वुडलेण्ड, जो कि एक पार्लियामेन्टेरियन हुए हैं, सबसे पहले यह स्टेटमेन्ट दिया था कि Now I am for the entire State तो हम भी जीतने के बाद सारे राज्य का भला सोचेंगे और इस दिशा में नहीं सोचेंगे कि यह मेरे क्षेत्र का काम है इसलिए होना चाहिए और दूसरे क्षेत्र में न हो। सब माननीय सदस्यों से, जो सरकार में बैठे हैं उनसे और सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी मेरा कहना है कि काम मेरिट्स पर हों। मेरिट क्या हो उसका भी मापदण्ड होना चाहिए। जहां बिजली आनी चाहिए वहां बिजली आयेगी और नहरें जहां होनी चाहिए वहां नहरें होंगी। अपने एरिया में मुझे लोग कहते हैं कि आप हमारे एरिया में बिजली लाइये। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि अलवर जिले में बिजली के बढ़ने से हमारे एरिया में पैदावार बढ़ेगी, यह सब जानते हैं लेकिन फिर भी हमारे लोगों को बिजली नहीं मिलती है और लोग पूछते भी हैं कि हमारे जिले में बिजली क्यों नहीं आई। मैं सब लोगों से और खास तौर से सरकारी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मांग पर ध्यान दें। मुझे बड़ा भद्दा लगता है यह कहते हुए कि आप हमारे यहां पर बिजली लाइये। मैं कहता हूं कि अगर यह सही है तो वहां बिजली लगाने से पैदावार बढ़ेगी और वह सही काम होगा। अगर सही नहीं है तो नहीं करें। आप यह कहें कि दूसरे जिले में या दूसरी जगहों पर बिजली लाना कैसे जरूरी है? आप यह बतायें कि गंगानगर में बिजली लाना कैसे जरूरी है, नागौर जिले में बिजली लाना कैसे जरूरी है या उदयपुर में बिजली लाना कैसे जरूरी है? अगर पहले प्राथमिकता वहां देने की थी तो वहीं पर दी जाती और इस तरह से हम लोगों को समझा देते कि हमारे यहां बिजली दो-तीन साल बाद आयेगी। लेकिन प्राथमिकता का आधार भी तो कुछ होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर यह सही है कि

(श्री घासी राम यादव)
अलवर में बिजली पहले आये तो पहले वहां हो आनी चाहिए । मेरा ख्याल है कि अलवर जिले में जितने कुए हैं, खास तौर से उत्तरी भाग में उससे ज्यादा कुए राजस्थान में कहीं नहीं हैं और उससे ज्यादा पानी भी कहीं नहीं है । उन कुओं का पानी मीठा है और दो फसलों का पानी है और जमीन भी अच्छी है । अगर आप वहां बिजली देंगे तो वहां की गरीबी मिटेगी और देश में पैदावार भी बढ़ेगी । मैं जानता हूं कि बिजली ऐसी चीज है कि जिसकी सब जगह जरूरत है । सब चाहते हैं कि उनके यहां बिजली आये लेकिन जहां पैदावार जल्दी बढ़े वहां बिजली पहले आनी चाहिए । यह बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत गवर्नमेन्ट के जो लोग बैठे हैं विद्युत् मंत्री जी तो नहीं है लेकिन और बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सड़कों की भी ऐसी हालत है जो जरूरी सड़कें हैं वे बननी चाहिए और अगर नहीं बनें तो यह बतायें कि दूसरी जगह क्यों जरूरी है ? एक बात इस सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा सुमित्रा जी ने कहा था और कोटपूतली के माननीय सदस्य ने भी कहा था कि हमारी विशेष परिस्थितियां हैं। हम हरियाणा से लगे हुए हैं और वहां रोज देखते हैं कि हरियाणा के हर कोने में बिजली आ चुकी है और हम देखते हैं कि हरियाणा से जहां हमारी सीमा लगी है वहां लोगों में बड़ी वेदना होती हैं । हम वहां जाते हैं तो देखते हैं कि जो पैदावार वहां दस बीघा जमीन में होती है वह यहां 20 बीघा में भी नहीं होती । वहां ट्यूब वैल लगे हुए हैं और आसानी से चाही जमीन बना ली है, वह बरसात की परवाह नहीं करते, वे बादलों की तरफ भी नहीं देखते और हमारे लोग उस हिसाब से बहुत पिछड़े हुए हैं । हमारे लोग सोचते हैं और महसूस करते हैं कि हमको यह सब इसलिए सहना पड़ रहा है कि क्योंकि हम राजस्थान में हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि एक विशाल हरियाणा पार्टी है, वह कहती है कि यह एरिया हमारे पास आ जाना चाहिए । वे हमको लुभाते हैं कि अगर आप हमारे साथ मिल जाओ तो आपके यहां सड़कें और बिजली आ जावेगी । अगर देखा जाये तो उनकी बात वाजिब है लेकिन हमारे लोगों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि हम राजस्थान में ही रहेंगे । इसलिए इस दृष्टि से भी बिजली जल्दी आनी चाहिए । हरियाणा में चारों तरफ बिजली है और हमारे यहां नहीं है, इसलिए भी बिजली हमारे यहां आनी चाहिए और कम से कम बोर्डर एरिया में पांच या छः मील में यह फर्क तो नहीं रहे कि यह हालत है और यह राजस्थान है और यह हरियाणा है । हमारे यहां अलवर के उत्तरी भाग में बिजली की बहुत जरूरत है ।

सड़कों का जहां तक सवाल है हरियाणा ने अपनी तरफ सड़कें बना कर छोड़ दी है और हमारे हिस्से के लोग सोचते हैं कि हमारे हिस्से में सड़क बनें लेकिन नहीं बनती है । हमारी तरफ सड़क की हालत इतनी खराब है कि पता नहीं पी. डब्ल्यू. डी. कैसे ऐसी सड़क बनाता है कि जहां

(श्री घासीराम यादव)
सड़क खराब शुरू होती है तो कहा जाता है कि वहीं से राजस्थान शुरू हो जाता है। और सारी सवारियां इधर उधर होती रहती हैं. इन सड़कों की इतनी बुरी हालत है राजस्थान के हिस्से में कि उन पर इन्सान का चलना तो क्या, बकरी भी नहीं चल सकती है। इन सड़कों को कोई देखता तक भी नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि जो सड़कें हरियाणा के बोर्डर पर हैं और जिनकी हालत खराब हैं उनको ठीक करवाया जाय और उनकी हालत सुधारी जावे।

हमारे कालेज के बारे में भी मैं निवेदन कर दूं कि कालेज भी मेरिट के आधार पर खोले जाने चाहिएं। हमारे बहरोड में भी अभी तक कालेज नहीं है। यह एक बुनियादी सवाल है। बहरोड में 13 स्कूल हैं लेकिन एक भी कालेज नहीं है। एक कालेज कोटपूतली में खोला गया था। यहां पर बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि जहां पर कोई करोड़पति सेठ पैदा हो जावे और वह बिल्डिंग बनवा दे तो वहां पर कालेज हो जाएगा और हमारे यहां पर कोई करोड़पति सेठ नहीं हैं तो हमारे यहां कालेज नहीं होगा। इस पर गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है कि जहां पर कालेज की जरूरत है लेकिन कोई सेठ नहीं पैदा हुआ है तो सरकार अपनी तरफ से बिल्डिंग बनावे और कालेज खोले। अगर वहां के लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते तो सरकार अपनी तरफ से बिल्डिंग बनावे, लोगों से चन्दा करे और किसी तरह से व्यवस्था करे लेकिन शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी चार पांच महीने हमारे उधर एक वाकया हो गया था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहरोड तहसील में 13 स्कूल हैं, इतने शायद राजस्थान में कहीं और जगह नहीं होंगे और इतनी शिक्षा और कहीं पर नहीं होगी लेकिन वहां के लड़कों को बड़ा परेशान होकर, अलवर, रेवाड़ी, नरेला, कोटपूतली वगैरह जाना पड़ता है। अभी चार पांच महीने पहले हमारे यहां के लड़कों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा और अखबारों में देखा होगा कि वहां के लड़के जब कोई हड़ताल वगैरह कर रहे थे तो कोटपूतली के नागरिक उनसे नाराज हो गये। नाराज होकर वहां के नागरिकों ने उन लड़कों को पीटा और जो लड़के हड़ताल कर रहे थे उनको ही नहीं पीटा बल्कि जो अपने घर बैठे रोटी बना रहे थे उनको पीटा, जो अपने घरों में बैठे लिख पढ़ रहे थे उनको पीटा, जो होस्टल में रह रहे थे उनको बाहर निकाल कर पीटा। उनको इस बुरी तरह से पीटा, उनका सामान कुएं में डाल दिया, उनके सामान में आग लगा दी और एक एक को पीट कर वहां से निकाल दिया। बहरोड तहसील में एक भावना का सवाल बना और लोगों ने महसूस किया इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और वहां पर कालेज बनाना चाहिए। वहां पर कालेज बनाने की हर हालत में जरूरत है। इस बात को इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि कोटपूतली में किसको गलती थी, किसका दोष था, नागरिकों की गलती थी या लड़कों की गलती थी, इस मामले में नहीं जान

(श्री घासीराम यादव)
चाहता, वह तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो हो गई। यहां तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहरोड़ में कालेज की नितान्त आवश्यकता है।

इस अवसर पर, उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। तीन दिन से मैं सुन रहा हूं। सदन के नेता महोदय ने भी कहा है, अपोजीशन के सदस्यों ने भी कहा है कि जो शहीद हो गए हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे एरिया में बहरोड में भी बहुत शहीद हुए हैं। मेरे खयाल से एक तहसील की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट एरिया मेरे बहरोड हल्के में है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जो शहीद हुए हैं उनके साथ तो सहानुभूति है ही लेकिन उनके मरने के बाद उनके परिवारों की देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सब की, इस सदन की और इस सरकार की है। लेकिन कोरे भाषण देने से या श्रद्धांजलि अर्पित करने से ही बात नहीं बनेगी। मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार को महसूस करना चाहिए कि जो लोग शहीद हो गए हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, वे इसलिए शहीद हुए हैं कि हम आराम से असेम्बली में बैठें, वे इसलिए मरे हैं कि हमारे जान माल की रक्षा हो, वे इसलिए शहीद हुए हैं कि हमारी बहिन बेटियों की इज्जत बचे। तो उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकें वह थोड़ा है। मैं हाल ही में अपने हल्के में गया था तो एक बूढ़े बाप ने बताया कि तीन लड़कियां छोड़ कर गया है। उसने एक लड़की मेरी गोद में दी तो मैं बड़ा विचलित हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे भाषणों से ही काम नहीं चलेगा। इस बात का अध्ययन किया जाय कि उनके बच्चों की क्या हालत है। वे जो लड़कियों को छोड़ गए हैं तो सरकार का दायित्व है कि उनके ब्याह के लिए दस दस हजार रुपया दे। उनके लड़कों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने का दायित्व भी सरकार का है। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था के साथ उनको नौकरियों तक में प्राथमिकता देना हमारा काम है। इसके अलावा उनकी पत्नियां अगर पढ़ी लिखी हुई हों तो रूल्स को रिलेक्स करके उनको इस तरह से नौकरियां दी जावें। कि जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिता सकें। आपके रूल्स में अभी तक मास्टरनी के लिए दसवीं की योग्यता का प्रतिबन्ध है। इससे कम में मास्टरनी नहीं बन सकती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आठवीं पास लड़कियां भी मास्टरनियां हुआ करती थी इसलिए जिन सैनिकों की पत्नियां आठवीं पास हो उनको मास्टरनी की जगह पर लगाया जाय ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सकें। यह एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास दूसरे साधन हैं। जैसे आपका मोटर व्हिकल एक्ट है, इसके तहत जो मोटरों के परमिट आप देते हैं उनमें भी आपको प्रिफरेंस मिलना चाहिए। हम कोआपरेटिव सोसायटीज को भी प्रिफरेंस देते हैं। सैनिकों की विधवाओं को भी इस तरह का प्रिफरेंस देकर चल सकते हैं ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सकें। इसके अलावा इस मौके पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने एरिया के बारे में एक बात और

(श्री घासीराम यादव)

अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां के अनेकों यंग आफिसर्स हैं जो भर्ती हुए थे इमरजेंसी कमीशन में। वे पांच साल तक रहे लेकिन आज उन बेचारों की बड़ी बुरी हालत है। ओवर एज का प्रश्न उनके सामने है। उनको री-सेटल करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मुझे यह पता है कि आर. ए. एस. वगैरह में कुछ रिलेक्सेशन हैं लेकिन वे एज की इस तरह की बाधा होने से उसमें नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उनको री-सैटल करने के लिए रूल्स में कन्सेशन दे, कुछ सुविधाएं दें ताकि वे अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें, यह बहुत जरूरी चीज है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमारा सबका फर्ज है कि हम इस राजस्थान में जितनी हमारी फाइनेन्सेज हैं उनको बढ़ाएं, फाइनेंसेज को घटाए नहीं। अभी प्रोहिबिशन की बात कर रहे थे। हमारी सरकार का एक तरह से कमिटमेंट था कि सन् 72 में और जिलों में शराबबन्दी लागू करेंगे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। हमारा सबका काम है और जनता भी यह चाहती है कि पैसा इकट्ठा करके गरीबी मिटाने के लिए लगाया जाय। हम कोरी भावनाओं में बहकर नहीं चलें। प्रोहिबिशन के बारे में मेरा ख्याल है कि शराबबन्दी जो दो चार जिलों में लागू की गई है उससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है और फायदा कुछ नहीं हुआ है। जो इसके पीछे उद्देश्य था कि शराबबन्दी हो जावेगी वह हुई नहीं। मैं यह बात खुल कर कहना चाहता हूं कि शराबबन्दी की बात केवल स्टण्ट बन कर रह गई है इससे कोई नतीजा नही निकला है। इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संसार में, दुनिया के हर कोने में शराब चल रही है तो फिर हिन्दुस्तान के एक कोने में इसे रोक नही सकते। शराब तो आज एक फैशन का अंग बन गयी है। यह तो संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। हम कितनी ही कानून बनावें इससे यह नहीं हो सकेगा कि शराब रुक जाय। जिस तरह से ब्रेक फास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है उसी तरह से सारी दुनिया मे शराब चल रही है तो फिर हिन्दुस्तान के एक एक कोने में इसको नहीं रोक सकते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि इंगलैंड, अमेरिका वगैरह जितने देश हैं उनमें यह एक फैशन की तरह से है, यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारा देश गरम देश है, और गरम मुल्क होने के कारण यहां पर तो गरम कपडों की भी जरूरत नहीं है लेकिन फैशन की वजह से यहां पर गरम कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यह भी फैशन का हिस्सा है तो उसी तरह से शराब भी फैशन का हिस्सा है। आप कानून बनाने से ही शराब पीने से लोगों को रोक नहीं सकते। यह ठीक है कि यह बुरी चीज है लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जो खराब हैं। बीडी पीना भी खराब है, सिगरेट पीना भी खराब है, ज्यादा चाय पीना भी खराब है, इसी तरह से दहेज की प्रथा भी खराब है। इसमें भी सोशल रिफार्म होना चाहिए, यह भी बहुत खराब चीज है। हर साल देश में तीन चार हजार

(श्री घासीराम यादव)

औरतें कुए में पड़ कर अपने प्राण त्यागती हैं इस प्रथा की वजह से। इसलिए मेरा निवेदन है कि शराबबन्दी को केवल कानून के जरिये से लागू करने की कोशिश न करें, कानून की वजह से शराब सेवन नहीं रुकेगा। जयहिन्द।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा आप केवल 7 मिनिट लेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर इस सदन के अन्दर मैं पांचवें सत्र में बोल रहा हूं तो यह देश दुनिया के नक्शे में एक बलिष्ठ देश के रूप में उभरा है। आज तक के इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहां एक हजार सिपाहियों के···

कई माननीय सदस्य : एक हजार नहीं, एक लाख।

श्री योगेन्दनाथ हांडा : सोरी, एक लाख सिपाहियों के हथियार डलवाने का गौरव प्राप्त हुआ है और एक साथ एक लाख सिपाहियों से हथियार डलवाए हों। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 62 में जब हमारे देश पर हमला हुआ था उस वक्त जो कमजोरी हमारे देश ने प्रदर्शित की थी, इस दस साल के समय में उस कमजोरी को दूर कर दिया है। और आज दुनिया जाती है कि नीतियों के मामले में ध्रुवीकरण होकर यह चीज सारे विश्व के सामने आ गयी है कि समाजवादी देशों और विशेषकर के रूस की सहायता थी और उसने हमें बलिष्ठ बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। साम्राज्यवादी देशों की नीतियां भी स्पष्ट होकर सामने आ गयी हैं। जब न्याय पर चल कर बंगला देश को आजाद करा रहे थे अमेरिकी साम्राज्यवादी ने हमें बुलीडाउन, काउडाउन करने की कोशिश की। दो चीजें हमने कीं। एक धर्म निरपेक्षता और दूसरी आत्मनिर्भरता। समय मेरे पास कम है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिये हमने अमेरिका से आने वाले अनाज को ठोकर मार दी और 280 करोड़ रुपया अमेरिका का बैंकों में जमा है उससे भी छुट्टी पाई जाय यह देश का पक्का इरादा है। राजस्थान में ही नहीं किन्तु हिन्दुस्तान में किसी का अहम मसला हो सकता है तो वह राजस्थान नहर का हो सकता है। राजस्थान नहर की आज तक हत्या की गयी है। सारी दुनिया की योजनाओं को सामने रख कर देखें। चाहे मिसिसिपी, वोल्गा की योजना को लिया जाय, संसार की सारी योजनाओं को लिया जाय तो उन सबसे महत्वपूर्ण यह राजस्थान केनाल योजना है, 90 पर्सेन्ट सरकारी धरती है, जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकती है। माननीय चौधरी रामचन्द्रजी, जो बड़े योग्य माने जाते हैं, मेरे क्षेत्र से इस सारी योजना के इन्चार्ज चुने गये हैं, मैं कहना चाहता हूं चौधरी साहब, 62 में चौधरी साहब थे जिन्होंने सारी योजना को बदल दिया। कंवरसेन इन्टरनेशनल फेम के आदमी थे उनकी योजना को रद्दी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को टोकरी में डाल दिया गया और आज हम राजस्थान कैनाल की जो स्थिति देख रहे हैं वह चौधरी साहब की नीतियों के परिणाम है। मैं चौधरी साहब को आगाह कर देना चाहता हूं इस योजना का महत्व आत्मनिर्भरता और महान् योजना के रूप में ही नहीं है किन्तु यह योजना डिफेन्स के रूप में बड़ा महत्व रखती है। किस प्रकार इसकी इसके पहले चरण में ही हत्या की गयी? डिस्ट्रिब्यूटरीज बनाई गयीं, जिस प्रकार की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति रही वैसी अब चलने वाली नहीं है। अमेरिका, विश्व बैंक और मैकनमारा इसको बना देंगे तो बन सकेगी। इसके निर्माण का एक ही रास्ता हो सकता है। इस योजना का आदमी के द्वारा जंग के पैमाने पर निर्माण करायें तब हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेंगे और देश के गौरव को भी ऊंचा कर सकेंगे।

इसके साथ साथ भूमि की समस्या भी गम्भीर समस्या है। सीलिंग के सम्बन्ध में जो दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति है वह स्पष्ट है। अपने जिले की बात कहना चाहता हूं कि 8 हजार केसेज में से 1600 केसेज का निर्णय हुआ है और एक एस.डी.एम. ने 1400 केसेज का निर्णय किया है और केवल 7 बीघा धरती बहाल की है। सीलिंग की बात करते हैं। नोहर क्षेत्र के एक एस.डी.एम. को सब केसेज को निकालने का अधिकार और वह केवल 7 बीघा धरती ही निकालता है। सारे राजस्थान में यह स्थिति है। जिस नाले की धरती की 10 हजार रुपया एकड़ की कीमत है उसको बी' क्लास में रखा और जिसको पानी की जरूरत है उसको ए' क्लास में रखा है सीलिंग के हिसाब से। मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि देश की हवा के साथ साथ अपनी नीतियां बदलें और सीलिंग के कानून को ठीक करें और धरती के ग्रेडेशन को ठीक करें। इसके साथ साथ भूमि के वितरण के सम्बन्ध में आप से अर्ज कर दूं कि आज राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जिन लोगों का कब्जा है, चाहे बेनामी के रूप में, जागीरदारी के रूप में चाहे परमानेन्ट अलाटमेन्ट हो, कोई ऐसा सामन्त और श्रीमन्त नहीं बच जाता है जो राजस्थान कैनाल में जमीन न लिए हुए हो। जोधपुर राज दरबार के लोग 3500 से अधिक एकड़ जमीन पर कब्जा जमाये बैठे हैं और राज दरबार के झंडे लगवा कर काश्त करवाते हैं और राजस्थान की आर. ए. सी. उनकी सहायता करती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी बात नहीं करना चाहता हूं। हमने आज यह संकल्प कर लिया है तिरंगा और लाल झंडा लगा कर, सरकार नीति नहीं बदलती है तो हम उसको जुतायेंगे। राजा बलदेवसिंह की जमीन है। 2 हजार एकड़ बीकानेर राज दरबार की हजारों एकड़ जमीन है, हिन्दुस्थान के 99 सेठों की, बांगड़ आदि की जमीन है। उस क्षेत्र के पचास मुरब्बा से अधिक जमीन दबा रखी है। सेक्रेटरी डाइरेक्टर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कोई जेड. एस. झाला हैं, कोई राणावत हैं और छोटे मोटे सेक्रेटरीज लाखों एकड़ जमीन पर कायम हैं। इसके सम्बन्ध में एक कमेटी बनायो। गंगानगर में गर्मी में आंदोलन चला। 2) हजार लोग जेल गये। राजस्थान की सारी जेलें भर गयीं। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी गयी। पेशेवर गुन्डे ब्युरोक्रेट्स, सामन्ती तत्व जागीरदारों के घेराव में पड़ गये। कमेटी की मीटिंग

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नहीं करने दी। कमेटी ने जागीरदारों की फाइल मांगी, उनको नहीं दी। कमेटी ने कहा कि फाइलें दी जायं नहीं दीं। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। अचानक बरकत साहब हकूमत पर आये। हमें आशा थी कि नीतियों में परिवर्तन होकर एक्शन होगा। मांग की, फाइलें दी जायं लेकिन बरकत साहब को भी वे ही नीतियां बराबर रहीं। आज चौधरी साहब की कोठी पर बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार, स्मगलर्स, सामन्त, ब्यूरोक्रेटस का घेराव है। हमें भय होता है कि चौधरी साहब भी इन सामन्तों के पक्ष में न हो जायं। मैं आशा करता हूं कि इस देश में समाजवाद की नीतियां को लेकर चलेंगे। और नहीं चलेंगे तो इस राजस्थान के और गंगानगर के किसान जागृत किसान, भूमिहीन किसान परा संघर्ष करेंगे और पांच लाख एकड़ भूमि को मुक्त कराके भूमिहीन किसानों को वितरित कराने की दिशा में कदम उठायेंगे।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानी के वितरण के सम्बन्ध में बात करना चाहता हूं। आज आत्म निर्भरता के प्रश्न को सामने देखते हुये जहां भूमि चोरों को समाप्त करना है वहां पानी के चोरों को भी समाप्त करना है। मेरे जिले के बड़े बड़े जमींदार पानी की चोरी करते हैं दिन दहाड़े नाली लगाते हैं नहर काट ली जाती है। नहरों का रोटेशन भी डिफेक्टिव है कई नहरें तो तीन तीन महीने चलती रहती हैं, कोई नहर पानी बिना ही सिसकती है। फसल मर जाती है। नहरें राजनैतिक लोगों के इशारे पर चलती हैं। मंत्री लोगों के आदेशों पर चलती हैं. वैज्ञानिक नियमों से नहीं चल रही हैं बल्कि राजनैतिक आदेशों से चल रही हैं। माइनर्स बने हैं कन्ट्रोलिंग की चिन्ता नहीं है। मंत्री महोदय ने पानी को नीचे लेविल से लेकर ऊंचे लेविल तक चढ़ाने की कोशिश की है और दूसरे लोगों के होकर मारते हुए इस नहर को बना दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर का वह किसान जिसने कि बलिदान दिया है—सांगरिया और भादरा में चाहता है कि पानी की एक एक बूंद का न्यायपूर्ण वितरण हो। हैडस से लेकर टेल तक पानी की एक एक बूंद को सही रूप से वापरा जाये। भूमि चोरों को जहां समाप्त किया जाये वहां पर पानी चोरों को भी समाप्त किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मोतीराम कमेटी रिपोर्ट को क्यों दबा कर रखा है। गंगानगर के बलिदान के बाद जो दूसरी कमेटी बनी थी वह मोतीराम कमेटी थी। इस कमेटी ने अपने बनने के दो महीने के बाद रिपोर्ट दे दी और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गंग कैनाल टूट चुकी है। गंग कैनाल की जहां कैपेसिटी 2000 क्यूसेक की थी वहां पर 1300 क्यूसेक से अधिक पानी नहीं होता है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लापरवाही के कारण, राज्य सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति के कारण गंग नहर को कभी पूरा पानी नहीं मिला। भाखरा में भी हम अपने अधिकार को पूरा नहीं कर पाये हैं हम अपने अन्तर्प्रान्तीय मसले को हल नहीं कर पाये हैं। हमारी सर-

Page No 72

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कार को भाखरा नांगल में जहां 15 प्रतिशत पानी प्राप्त करने का अधिकार था वहां पर वह 9 प्रतिशत से अधिक पानी प्राप्त नहीं कर सकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुंशीयाना जवाब नहीं चाहता हूं। हमारे चीफ इंजीनियर मुंशीयाना जवाब देने में एक्सपर्ट हैं। मैं वास्तविकता चाहता हूं। आज अगर देश के अन्दर अनाज पैदा करना चाहते हैं देश में आत्म निर्भरता पैदा करना चाहते हैं, देश के गौरव को सही मायने में कायम रखना चाहते हैं तो पानी और जमीन दोनों मसलों को जंग के पैमाने पर हल कीजिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और राज्यपाल महोदय का अभिवादन करता हूं।

इस सदन के अन्दर काफी जोश खरोश के साथ माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है। सवाल यह है कि आज किस तरह का ढांचा बना हुआ है उस ढाचे में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो जो हमारा नारा है गरीबी मिटाने का, विकास का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं होगा। आज राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को अच्छी तरह से देखा जाये तो हमें एक ही तबका संगठित रूप से दिखाई देता है और वह है ब्यूरोक्रेसी। 1951 से लेकर 1970–71 तक जहां 1951 में 8 करोड़ 97 लाख इस पर खर्चा होता था वहां अब 1970–71 में 88 करोड़ 50 लाख का खर्चा होता है। तो इस पर इतना खर्चा करते हैं जो कि सबसे संगठित तबका है। दूसरी तरफ हम राजस्थान की आय को देखें तो वह निरन्तर घटती जा रही है। यहां हम आंकड़े देखते हैं, पेश करते हैं तो प्रश्न यह है कि ये सही हैं या झूठे हैं। एक तरफ आज विकास दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ गरीबी भी है। यह गरीबी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि के बारे में कहा गया है। मैं यह मानकर नहीं चलता कि यह प्रेरणास्पद है। आप देखिए 1960–61 में राजस्थान में अन्न सीरियल्स का उत्पादन 104 11 था वहां पर 1968–69 में घटकर 101.75 रह गया। यह जो 70–71 के उत्पादन के आंकड़े हैं मैं तो यह सोचता हूं कि शायद ये लोटरी के आंकडों की तरह से हैं। बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह में काफी उत्पादन हुआ और इससे आंकड़े बढ़ गये। परन्तु कृषि विभाग ने इस क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं की है। तीन साल पहले मैं सुखाड़िया जी से मिला था। इन्टेन्सिव डवलपमेन्ट प्रोग्राम के बारे में मैंने दर्खास्त की थी और उसको मनवाने में कुछ अंश तक मैं सफल भी हुआ। पर आज आप देखेंगे कि दालें जो 1960–61 में 112.09 थी 1968–69 में घट कर 111.45 रह गई। तिलहन 60·61 में 84.71 थी वह घट कर 68.69 रह गई। यह जो कृषि के बारे में आंकड़े दिये गये हैं कि यह हमने कृषि क्षेत्र में विकास किया है यह सरासर झूठे हैं और इनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। देखा जाये

Page No 73

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
तो हम प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यह चीज सही नहीं है।

(2.44 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, दूसरे क्षेत्र को हम देखें, हमारा जो टारगेट फिक्स किया गया था, एच आई. जो. पी. और आई. डी. पी. का आप, देखिये हमारा टारगेट उर्वरक का था 1 लाख 40 हजार टन का उसके बजाय 16 हजार टन ही पूरा किया। अमोनियम सल्फेट का 2 लाख 60 हजार टन का था वह 82 हजार टन का ही रहा। ग्रीन मैन्योर को 51 हजार हैक्टर में करने का टारगेट था वह 24 हजार तक ही रह गया है। कृषि के क्षेत्र में तरक्की के बजाय हमारी निरन्तर घाटे की व्यवस्था कायम हो रही है। इसको नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं कर पायेंगे।

अब लीजिये सहकारिता को। यह कहा जाता है कि सहकारिता के बारे में हमने इतनी तरक्की कर ली है। सहकारिता के आंकड़ों को देखिये। हमारा जो टोटल एडवान्सेज सहकारिता में है वह 16 करोड़ 33 लाख है जो सिर्फ आपको सुनकर अचरज होगा, महाराष्ट्र के पूना जिले में खर्च होता है और 22 करोड़ रुपया अकेले पूना जिले में खर्च होता है समितियां बेकार बनी हुई हैं।

हमें राजस्थान केनाल के बारे में सोचना चाहिए। मेरा प्रश्न तो यह है कि राजस्थान केनाल का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल का पानी फलोदी तहसील में आवे। परन्तु बुनियादी सवाल यह है कि हमारा कोई इन्टीग्रेटेड प्लानिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई टारगेट हम एचीव नहीं कर पायेंगे। भाखरा नांगल के बारे में शुरू में यह कहा जा रहा था कि यह 125 साल तक चलेगी। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह 25 से 50 साल तक ही चल पायेगी। तो ये जो सारे मुद्दे हैं उनके ऊपर सोचना होगा।

इसके अलावा हमारे एरिया का सवाल है। वह पूरा का पूरा रेगिस्तान है। पीने का पानी नहीं है। खेती करने की बात तो आप सोच ही नहीं सकते। बरसात हो जाय तो एक फसल हम ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एरीड जोन डाउन्सिल ने इस दिशा में कुछ रिसर्च किया है और इसकी रिकमण्डेशन के आधार पर हमने कुछ निर्णय लिये हैं। फलोदी के इलाके का आदमी राजस्थान केनाल में नहीं जायेगा। धोलिया का आदमी वहां पर नहीं बसेगा। जहां जो आदमी बसा हुआ है उसके लिए आपने क्या प्लानिंग किया है? इस डवलमेन्ट कौंउन्सिल ने रिकमन्डेशन दी थी। जो रेगिस्तानी इलाका है, उस रेगिस्तानी इलाके के 1 60 प्रतिशत हिस्से के लिये उद्योगों के बारे में कृषि के बारे में सुझाव दिये हैं। एक शीप फार्म का सुझाव था। दस साल तक ऐसी योजनाओं का बनाना होगा और उस इलाके में रहने वालों को दैनिक जरूरत की चीजों को रियायती दामों पर मुहैय्या करने की रिकमन्डेशन उसमें की गई थी। डवलपमेन्ट का काम हो,

Page No 74

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

न्यूट्रेशन हो, खेती की बिक्री हो, इस चीज को राज्य सरकार ने नहीं माना है और इससे आज वहां पर रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। मैं आपके जरिये अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान और विशेषकर मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप गरीबी को जरूर हटाओ, पूरे राजस्थान से जरूर हटाओ, मगर राजस्थान से रेगिस्तान नहीं हटेगा तो राजस्थान पनपेगा नहीं और इसकी अर्थ व्यवस्था भी नहीं सुधरेगी। इसके लिये निर्धारित दिशा में काम नहीं किया गया तो कुछ भी नहीं होने वाला है।

अब देखिये जो क्षेत्रीय व्यय है उसमें असमानता कितनी है। इसको आप देखेंगे तो बाड़मेर जिले में प्रति व्यक्ति 3 रुपया 36 पैसे व्यय है जबकि जैसलमेर में 331.74 है। अब कैसे है यह आप देखिये। ये 69–70 के आंकड़े हैं। जयपुर में बिजली पर 380.66 प्रति व्यक्ति व्यय है और बांसवाड़ा में हैं केवल 19.35 तो इस ढंग से यह सरकारी तन्त्र चल रहा है। सारा का सारा क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। हमारे यहां पर फलौदी में पांच साल तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। वहां पर नमक का उद्योग है और लगभग 25 हजार व्यक्ति इस पर अवलंबित है। परन्तु, इसके विकास की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। हमारे फलौदी क्षेत्र में नमक उद्योग के हजारों कुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त करें। और बोलने वाले माननीय सदस्य हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह एकांगी जो व्यवस्था है, एकांगी जो योजना है उसको हम कैसे छोड़ेंगे? इस ढांचे में कैसे परिवर्तन करेंगे जिससे हमारी दिशा साफ हो और हम समाजवाद की ओर कदम बढ़ा सकें। इस बारे में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम बहुत गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तो हमारा यह नारा सब थोथा रहेगा हमारे कई समाजवादी दल कहते हैं कि यह मैन्डेट नहीं वर्डिक्ट है। यह जो जीत हुई है सबसे बड़ी जीत हुई है यह वर्डिक्ट नहीं मैन्डेट है। मैं इसको मैन्डेट कहता हूं कि आज राजस्थान में अगले 5 सालों में कुछ नहीं करेंगे तो यह मैन्डेट छीन लिया जायगा। इसके लिए हम बहुत ही मजबूती से कदम उठायगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री श्रीराम गोटेवाला। 7 मिनिट में ही खत्म कर दें।

श्री श्रीराम गोटे वाला (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने कच्ची बस्तियों और गन्दी बस्तियों के बारे में जिक्र किया और जयपुर शहर में जो प्रमुख समस्या है उसके लिए बहुत अच्छा कार्य हां पर किया गया है। मैं निवेदन करन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चाहता हूं कि यहां पर पानी, बिजली और सड़कों की बात माननीय राज्यपाल महोदय ने कही है मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तक वे सारी बस्तियां उन सुविधाओं से वंचित हैं। थोड़ी बहुत पानी और बिजली की व्यवस्था हुई है लेकिन सड़कें तो नाम मात्र को भी वहां पर नहीं हैं। एक बात निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जयपुर शहर में इन बस्तियों का समाधान करना है तो यहां पर इन कच्ची बस्तियों, इन गन्दी बस्तियों को समाप्त करने के लिए इनके स्थान पर पक्के मकान बना कर देने के लिए नगर विकास न्यास के अतिरिक्त उससे अलग एक एजेन्सी स्थापित की जाय, ताकि हजारों लोगों की समस्या है और ऐसे लोगों की समस्या है जिनके पास न उनकी झोंपड़ी पर फूस का छप्पर है, और न पीने को उनके पास पानी है और कभी अग्नि काण्ड हो जाता है तो फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच पाती है, उनकी स्थिति को ठीक किया जा सके। इस बारे में एक सुझाव देता हूं कि कच्ची बस्तियों और गन्दी बस्तियों के उन्मूलन के लिए एक अलग एजेन्सी की स्थापना की जाय नगर विकास न्यास से अलग। 1959 के नगर विकास न्यास एक्ट में यह जरूरी था कि नगर परिषद् को ये बस्तियां स्थानान्तरित की जायं गटर लाईन आदि बना कर और उसकी पूरी व्यवस्था करें, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बस्तियों की हालत है वह इतनी गिर गई हैं कि वे सारी की सारी नई बस्तियां बनी हैं वह गन्दी बस्तियों के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं।

एक बात और निवेदन करूंगा। चारों तरफ राजस्थान भर के सम्मानीय सदस्य यहां पर आये हुए हैं उन्होंने विकास के लिए बहुत जोर दिया है। हालांकि जन-प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं लेकिन शासन-तन्त्र ने मिलकर साथ नहीं दिया तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा कि हमारा समाजवाद का कार्य-क्रम अधूरा रह जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर की इस समस्या के बारे में मुझे जानकारी है। यहां पर जो मेड मण्डी की योजना थी और उस पर लगभग 30 लाख रुपया खर्च हो चुका है और वह बरसों से पड़ी हुई है। राणांजी की हवेली के मार्केट की योजना थी जिसमें 10 लाख रुपया खर्च हो चुका है लेकिन उस योजना का कोई काम नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ दूसरे किस्म की कार्यवाहियां चल रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि लाखों रुपयों के व्यय को बरबादी करदी गई है। सीकर हाउस की जमीन जिसका एक्वीजिशन भी हो गया है और उसकी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है वहां पर आगे की प्रगति के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रुपयों की कमी नहीं है, लेकिन यहां शासनतन्त्र को साथ में मिल कर काम करना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि वह सारी बात नहीं हो पा रही है।

जयपुर शहर के बारे में भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुखाड़िया जी ने यह घोषणा की थी कि बनास योजना से पानी की व्यवस्था करेंगे। यह 24 करोड़ की योजना थी जिसमें 8 करोड़ का बांध बनने वाला था। वह योजना अभी तक बरसों हो गये

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सुनते सुनते कि आ रही है, आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पहले घोषणा की थी कि 70 तक यह योजना क्रियान्वित की जायगी, लेकिन उसके बारे में अब जानकारी मिली है कि शायद उस योजना को स्थगित किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में लगभग 11 लाख गैलन पानी प्रति दिन दिया जा रहा है जब कि यहां की मांग 5 लाख गैलन प्रति दिन की है। गटर लाइन की समस्या है। लोग रुपया देने को तैयार हैं, लोग अपना हिस्सा देने को तैयार हैं, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था जो कि नई बस्तियां बसाने के पहले जरूरी थी, बसाने के पहले गटर लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, उसकी व्यवस्था नहीं की गई और अब भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। उसकी वजह से पानी सड़कों पर जाता है और यहां वहां सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस प्रकार की हालत हो गई है कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

जयपुर एक अच्छा पर्यटन केन्द्र है और यह पर्यटन के लिए दुनियां भर में प्रसिद्ध है। पर्यटन अधिकारी मुझे बता रहे थे कि जयपुर को यदि ठीक ढंग से डेवलप किया जाय तो दो करोड़ प्रति वर्ष की विदेशी मुद्रा जयपुर निश्चित रूप से दे सकता है। खजाने वालों के रास्ते में दुनियां भर के पर्यटक मूर्तियों को खरीदने व देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहां की क्या हालत है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार ने यहां की व्यवस्थां को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से जयपुर शहर के अन्दर महामारी फैलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं यह उम्मेद कर रहा था कि जिस प्रकार से बंगाल में सर्वप्रथम जो कार्य मुख्य मन्त्री ने किया वह यह कि वहां की कार्पोरेशन को भंग करके वहां पर सफाई की व्यवस्था की ओर सबसे प्रथम ध्यान दिया, उसी प्रकार यहां पर नगर परिषद् को भंग करके कार्पोरेशन बनाने के लिये हर दल के लोग मांग कर रहे हैं। यहां पर जितने भी भाषण जयपुर से निर्वाचित होकर आने वाले जन-प्रतिनिधियों के हुए हैं उन्होंने सब ने यह मांग की थी कि यहां पर जो दोहरी व्यवस्था चल रही है कि कहीं पर वे कहते हैं कि नगर परिषद् करेगी व्यवस्था और कहीं पर वे कहते हैं कि नगर विकास न्यास करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है। लाखों रुपया सड़कों के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन उसको खर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए...

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट में समाप्त करने की कृपा करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यहां पर कच्ची और गन्दी बस्तियों के लिए एक अलग एजेन्सी कायम कर दी जाय, और इसमें यह निवेदन करना है कि कार्पोरेशन की स्थापना कर सारे अधिकार उसको देकर इस व्यवस्था को ठीक किया जाय।

दो मिनिट में मैं सवाई मानसिंह अस्पताल और जनाना अस्पताल के बारे में

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर एक बड़ा समारोह हुवा और वहां पर एक घोषणा की गई कि देश के एक प्रमुख उद्योगपति 15 लाख रुपया देकर एक अस्पताल का निर्माण करायेंगे और यह जो जनाना अस्पताल है वह वहां पर शिफ्ट हो जायगा। वह घोषणा की गई उसमें आज इस प्रकार की स्थिति आगई है कि कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर जो डाक्टर लोग हैं उनके रवैये के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 25 रुपया उनकी फीस नहीं दो तो एडमिशन नहीं होता है, भरती नहीं होता है। वहां की दवाइयां सवाई मानसिंह अस्पताल की वे बाजारों में बिकती हैं। वह व्यक्ति जो कि इस राज्य का मालिक है, थोड़े दिन पहले ही चुनाव सभाओं में भाषण दिया करते थे और कहते थे कि इस राज्य का मालिक यह आम आदमी है तो आज इस आम आदमी के लिए एक आना प्रति व्यक्ति दवाई पर खर्च होता है, और वे लोग जो कि राज्य कर्मचारी लोग हैं और वे लोग हैं जिनके भ्रष्टाचार के बारे में इस सदन में चारों तरफ से सदस्यों ने आवाजें उठती हैं, इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान के अन्दर एक प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हैं और 14 प्रतिशत दूसरे लोग हैं और बाकी 70 प्रतिशत तो किसान लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार से दूर हैं, उनको तो मजबूर करते हैं पटवारी और गिरदावर। यह 15 प्रतिशत लोग ही सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वे ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन लोगों का यदि 400 रुपये का बिल आ जाये तो दवाइयां मन्जूर की जाती हैं, लेकिन एक गरीब को अगर सलफाडाइजीन की गोली चाहिए तो पर्ची लिख दी जाती है कि बाजार से ले आओ।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप यह बन्द कराइये जो कर्मचारियों के लिये व्यवस्था की गई है, वर्ना आम जनता के लिए भी यह व्यवस्था चालू कीजिये। आप समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

कई बड़े बड़े डाक्टर हैं जो कितने ही मन्त्रियों के घरों पर चक्कर लगाते हैं। गरीब जनता के साथ वह किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। आम आदमियों से डाक्टर लोग हजारों रुपया कमाया करते हैं। मैं शहरों की बेरोजगारी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर शहर छोटे-छोटे उद्योगों के लिए प्रसिद्ध रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय हो गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं जयपुर शहर के बारे में निवेदन करता हूं कि अगर हम यहां के उन लोगों के रोजगार को विकास दे सकें तो उससे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उनको काफी लाभ मिल सकता है। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि एक मेरे दोस्त हाईकोर्ट के सम्बन्ध में कह रहे थे। मैं निवेदन करूंगा, इस सम्बन्ध में जयपुर की बात लेकर नहीं कहता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि हर राज्य में हाईकोर्ट की बैंच है। जयपुर में भी हाईकोर्ट की बैंच स्थापित की जानी चाहिये ताकि लोगों को सस्ता न्याय सुलभ हो सके। मैं पूर्वी या पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं करता हूं। इस बारे में मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो विरोध करूंगा। लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने अभी भी इस प्रश्न को अलग रख छोड़ा है। वह कहते हैं कि राजस्थान सरकार से सहूलियत से विचार करेंगे। इस पर बिना किसी भेदभाव के विचार किया जाय। यहां के लोगों की यह जन भावना है। इसको देखते हुए हाईकोर्ट बैंच की स्थापना शीघ्र करवाई जाये। मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर जयपुर में सम्भव न हो तो जयपुर के आस-पास भी करवा सकते हैं। 14 हजार केस पड़े हुये हैं। इस सवाल को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायें। जयपुर की जनता ने इस बार प्रगतिशील पार्टी का समर्थन किया है। तारे को डुबो दिया है। जयपुर की जनता की इस मांग को पूरा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हुआ, आप के जरिये इस सदन का ध्यान जैसलमेर में उत्पन्न हुई समस्याओं की ओर आकर्षित करता हूं। जैसलमेर में अकाल की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अकाल के बाद आज भी अर्द्ध अकाल की स्थिति बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनिट में कृपया समाप्त करलें। टाइम कम है।

श्री गोपालसिंह : पिछले 68 से अकाल की स्थिति बनी हुई है। वहां पर मवेशी मर गये हैं। इस प्रकार की स्थिति इम्प्यूट करके उनकी परचेजिंग पावर ठीक करें ताकि वह कुछ कर सकें। आज फेमिन कोड के अनुसार अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में अभावग्रस्त घोषित किये जाते हैं। यह स्थिति फेमिन को दूर करने के लिए उचित नहीं है। इसकी तब्दीली होनी चाहिए। यह फेमिन कोड ब्रिटिश काल के फेमिन रेगुलेशन पर आधारित है। वह आज की स्थिति में पूरे तौर से गवर्न नहीं करता है। 68-69 में ऐसी स्थिति थी। अभिभाषण में यह संकेत है कि वहां कैश प्रोग्राम चल रहा है। यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। एक-आध जगह में यह चल रहा है। वहां से दूसरे गांव 80 मील दूर हैं। वहां एक कुटुम्ब से एक ही आदमी आ सकता है। अगर कोई बुड्ढा आदमी है तो वह नहीं आ सकता है। कारण यह है कि वहां पर जो पानी का इन्तजाम किया जाता है, वह भी एक ही आदमी के लिए किया जाता है। किसी जगह तो दूसरे गांव 150 मील दूर हैं। वहां पहुंच कर कोई आदमी कैश प्रोग्राम में शामिल हो यह मुश्किल है इसी प्रकार सांकड़ा में काफी दूर जाकर मिलता है। 68-69 और 70-71 में अकाल रहा है। लगातार

(श्री गोपालसिंह)

11 साल से अकाल रहा है। उनके पास पर्चेजिंग पावर नहीं है। धान का भी अभाव रहता है। पहले पशुपालन होता था। उनकी भेड़, बकरी बिकने से और मवेशियों के जरिये से उनकी आमदनी होती थी। इसका आज अभाव है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूँगा उनको जो हालत है– Living on semi starve level.

इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसलमेर में उपयुक्त कार्य खोले जाने चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट और बोल लीजिए।

श्री गोपालसिंह : जैसलमेर में विकास कार्य कोई सद्‌भावना से नहीं हुआ है। वहां जो सड़कें बनी हैं, वह भी सामरिक महत्व की दृष्टि से बनी है। वहां जो कुछ और कार्य चालू हैं, व अकाल की स्थिति के कारण नहीं हैं।

आज के वैज्ञानिक तरीकों से विकास की योजना वहां पर लागू नहीं की गई है। एक क्षेत्र जिसके अन्दर केवल पशु पालक रहते हैं। आज वहां पर भूमि की सीलिंग की बात नहीं करते हैं। हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है, उसके लिए क्रेश प्रोग्राम उचित नहीं है। मैंने निवेदन किया है कि अगर वहां पर एक–एक आदमी को दो रुपये दे दें तो वह भेड़ खरीद लेंगे। 650 फेमिली हैं। अगर वह भेड़ें खरीद लेते हैं तो गवर्नमेंट से उनका पिण्ड छूट जाएगा। लेकिन वहां के अधिकारी कहते हैं कि हमारे हाथ की बात नहीं है।

मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिए कि जो कुछ भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से केस प्रोग्राम के बारे में योजना दी गई है, वह योजना हमारा देश जो बहुत बड़ा है, जहां हर जगह परिस्थितियां बदलती हैं, तथा विविध तरह की परिस्थितियां हैं, उनके माफिक वैसे ही उनके डिटेल्ड क्रेस प्रोग्राम होने चाहिए, वहीं पर लेबर ओरियेन्टेड भी होने चाहिए। जितनी कण्डीशन्स हैं वह पूरी नहीं होती हैं तो हाकिम लोगों को वहां के लोगों से मिल कर चलना चाहिए और उनका समर्थन लेना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस क्रेस प्रोग्राम में संशोधन होना चाहिए और जो पशु पालक हैं उनको लोन देना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि उनको मुफ्त दिया जाय, लेकिन लोन दे दिया जाय ताकि वह सेल्फ रिलाइड फेमिली हों।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी).

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच दस मिनिट का समय दे दिया जाय।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : वैसे तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए जितना समय दिया जाता रहा है, उससे कहीं अधिक समय दिया गया है। तीन दिन में आम तौर पर वाद-विवाद पहले समाप्त करते थे, अब चार दिन दिये गये हैं। इसके अलावा एक एक घण्टा के हिसाब से, यानि पांच से छः तक समय बढ़ाया है। इसके अलावा प्रश्नोत्तर का समय पहले दिया जाता था···.

Page No 80

एक माननीय सदस्य : केवल दस मिनिट का समय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। तशरीफ रखिये यह कौनसी मर्यादा है, बीच बीच में बोलने की। यहां आये हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। पब्लिक में स्पीच नहीं दे रहे हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि जो समय इसके लिए दिया जाता रहा है उससे काफी अधिक दिया गया है और जो समय मिला था इस काम के लिए उससे काफी ज्यादा दिया गया है। फिर भी सदस्य चाहते हैं तो समय बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि आपका सहयोग मिले। यह सम्भव वैसे नहीं है क्योंकि काफी सदस्यों के बोलने के बाद भी काफी सदस्य बोलने वाले हैं। सबको समय मिले–यह सम्भव नहीं है। फिर चार चार, पांच पांच मिनिट हर सदस्य को दे दिये जांय और चार बजे तक समय बढ़ा दिया जाय ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समय मिले। अभी जो बोल रहे थे, मैं निवेदन करू, पहली घण्टी बजते ही वह बैठने को तैयार हो गये। यह पहले सदस्य थे जिन्होंने (अध्यक्ष) के हुक्म की फौरन तामील की। मैं निवेदन करता हूं, चार बजे तक समय बढाने को तैयार हूं, मैं आशा करता हूं चार पांच मिनिट से ज्यादा सदस्य नहीं बोलेंगे तो सब को बोलने का अवसर मिल जायेगा।

श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। जैसे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है वह अक्षरशः संतोषजनक है, केवल संतोष की बात कही गई हो–वह बात नहीं है। पूर्णतया असंतोषजनक हो–यह भी बात मैं नहीं कहता। सदन में बहुत से साथी यह कहते हैं कि इसमें विकास की बात जो कही गई है वास्तव में वह विनाश की बात है। कई लोग ऐसी बात कह कर इस बात को उड़ा देते हैं कि जो सरकार रेजगारी हांसिल नहीं करवा सकती वह रोजगार क्या हांसिल करवायेगी। मैं इन बातों को खतरनाक समझता हूं क्योंकि यह सही है कि यह बातें तथ्य की बात नहीं है। वास्तव में अभिभाषण में कुछ तथ्य की बात कही गई हैं, और विकास की बात कही गई हैं। लेकिन इन विकास की बातों से मैं पूर्णतया सतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ बातें कहूंगा जो मेरे क्षेत्र, मेरे इलाके से और राजस्थान से सम्बन्धित हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, अध्यक्ष महोदय, आवंटन की बात कही गई है और नाजायज कब्जे की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, नाजायज कब्जे इसलिए होते हैं क्योंकि एलाटमेंट सही लोगों को, काश्तकारों को नहीं किया जाता है। उनको किया जाता है जिनके पास आलरैडी, पहले से भूमि होती है। जिन लोगों को दी जाती है, जो बेनामी काम करते हैं, इसलिए उनका नाजायज कब्जा होता है और होता रहेगा।

इसी तरह से शहरी भूमि पर नाजायज कब्जा बड़ी भारी मात्रा में हो रहा है। मैं इसलिए कहूंगा कि पांच दस हजार

(श्री गोपाल जोशी)

बीघा जमीन जिनके पास पड़ी हुई है, उनसे तो नाजायज कब्जा नहीं छुड़वाया जाता है और जो गरीब हैं, जिसके पास सौ दो सौ बीघा जमीन का टुकड़ा है, उसको नाजायज कब्जे से हटाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जो गरीब है, उस गरीब को न हटाया जाय, जो लोग सौ दो सौ सालों पुरानी बस्तियों में बैठे हुए हैं उनको कब्जे से नहीं हटाया जाय बल्कि उनको पट्टा दिया जाय। सरकार की घोषणा होती है कि ऐसे लोगों को फौरन पट्टा दिया जायगा और उनको रेगुलेराइज कर दिया जायगा लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। किसी किसी स्थान पर उनको रखा जाता है, कहीं कहीं किया जाता है लेकिन चीफ टाउन प्लानिंग के यहां वह रुक जाता है, नक्शा नहीं आता है, कुछ नहीं होता है यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी आया है कि शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग की जायगी। यह बात आई है और इस पर बहुत से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। ऐसा लग रहा था, वह लोग मेरी ओर लक्ष्य करके यह बात कह रहे हों। मैं उन लोगों में से हूं जिनके पास शहरी सम्पत्ति हैं। शहरी सम्पत्ति होने के नाते मैं यह महसूस कर रहा था कि इन लोगों को पता चल गया है कि मेरे पास भी सम्पत्ति हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे लोग हैं जिनके पास शहरी सम्पत्ति हैं और उसका वह बंटवारा करना चाहते हैं। यह सही है कि शहरी सम्पत्ति का बंटवारा कर दिया जाय और बेच दिया जाय यह चल रहा था लेकिन सदन में बात हुई तो मेरे विचार पलट गये और मैंने बीकानेर में वकील से कहा कि मुझे बंटवारा नहीं करना है और नहीं करूंगा, जो भी सदन का निर्णय होगा वह शिरोधार्य है। मैं कहूंगा कि जिन्होंने शहरी सम्पत्ति का बंटवारा कर दिया है, बेच दी है, बीबी बच्चों के नाम कर दी है उसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से अवैध करार दे दिया जाय।

इसके अलावा दो तीन बातें कहूंगा क्योंकि समय थोड़ा है। मैं बीकानेर क्षेत्र के बारे में कहूंगा। मैं बताऊंगा, बीकानेर जिले के अन्दर पशु धन बहुत बड़ा धन है, करीब आठ दस लाख से अधिक संख्या में पशु धन है और एक लाख लिटर रोज दूध सरप्लस बीकानेर जिले में रहता है। उसको काम में लाने के लिये योजना सरकार ने बनाई है। हमें मालूम हुआ है, भारत सरकार ने तीन करोड़ बियासी लाख रुपये डेयरी फार्म और दूध के धन्धे को बढ़ाने के लिये दिये, लेकिन उसको वहां से हटा कर जोधपुर में लगाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और सा5 लाख रुपये वहां लगाने की योजना की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तीन करोड़ बियासी लाख रुपये वास्तव में बीकानेर में इस काम के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि जितना पशु धन बीकानेर में है, मैं निवेदन करता हूं, उतना और जगह नहीं हो सकता भारत के दूसरे इलाकों में। वास्तव में लूणकरणसर और महाजन में डेयरी का प्लान, दूध का प्लान लगा दिया जाय तो वहां ब्रीडर को फायदा होगा, मिडिल मैन को नहीं होगा। ब्रीडर एक रुपये में

(श्री गोपाल जोशी)

तीन चार किलो का दूध देते हैं। आप समझिये इस जमाने में जब कि एक रुपये का किलो दूध दिल्ली में मिलता है, बीकानेर में एक रुपये का तीन किलो मिलता है। यह ब्रीडर के प्रति अन्याय नहीं है, तो क्या है? यहां रुपया लगे तभी ब्रीडर को फायदा होगा, नहीं तो मिडिल मैन फायदा उठा रहे हैं।

इसी तरह से राजस्थान कैनाल की बात कही गई (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) दो मिनिट और लूंगा। इसकी गति धीमी है। मैं क्या बताऊं, 1970–71 के अन्दर 7.3 करोड़ रुपया इसमें लगाया गया, और 1971–72 में 9.3 करोड़ रुपया लगाया गया। वास्तव में दो करोड़ रुपया 1970–71 में और दो करोड़ 1971–72 में हुआ और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जितना लाईनिंग करना था, वह इतना हुआ है। इसलिए इस रुपये का सही मायने में उपयोग नहीं हुआ है और अब भी कुछ धन पड़ा है, जिसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, और काम नहीं हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? हम धीमी गति से चल रहे हैं, कछुए की गति से चल रहे हैं। जब दस-पन्द्रह साल पुराने समय में यह योजना शुरू हुई तो यह कहा जाता था कि बीकानेर में यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए तो यह कहा जाता था कि राजस्थान कैनाल ही ऐसी है जो इस इलाके को खुशहाल कर देगी। अब हमारी वह आशा धूलि धूसरित होती नजर आ रही है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से सरकार से प्रार्थना करूंगा वह इस तरफ ध्यान दें।

बीकानेर जिले को वैसे अभावग्रस्त क्षेत्र दिखाया है, लेकिन बीकानेर जिले को उद्योग में पिछड़ा हुआ नहीं दिखाया गया है। बीकानेर का अभावग्रस्त जिला उद्योग में पिछड़ा हुआ नहीं है जब कि जोधपुर का पिछड़ा हुआ है, उदयपुर का पिछड़ा हुआ है। बीकानेर उद्योग में बढ़ा-चढ़ा है–यह बात कैसे मानी जा सकती है। यह कैसे मान ली है–यह बात समझ में नहीं आती। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) समय कम है, बातें मुझे बहुत कहनी थी, लेकिन फिर भी मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बैठता हूं। धन्यवाद!

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको समर्थन देने के लिए मैं यहां खड़ी हुई हूं। बहुत सी उपलब्धियां जो पिछले कुछ सालों में राजस्थान में हुई हैं, अनाज का उत्पादन भी बढ़ा है एक तरफ और दूसरी तरफ विद्युत का उत्पादन भी बढ़ा है और बहुत सी सामाजिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियों में आगे कदम बढ़ाया है। फिर भी आज कई अहम मसले ऐसे हैं जिनकी ओर तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस के कार्यक्रम और इन्दिरा गांधी के कार्यक्रम को भारी बहुमत से विजय दिलाई है और मैं गर्व के साथ

(श्रीमती उषा प्रकाश)

कहूंगी कि जनता ने जिस समाजवाद को स्वीकार किया है वह समाजवाद भारतीय समाजवाद है। जिसके लिए वोट दिया है वह समाजवाद और कोई विदेशी या दूसरा मांगा हुआ समाजवाद नहीं है। कांग्रेस ने जब से पूर्ण स्वराज्य की मांग की तभी से हमारे सामने चित्र रखा था कि शोषण-विहीन समाज का निर्माण करेंगे और ऐसे कार्यक्रम चलायेंगे जिनमें सबको समान अवसर मिले। अभी प्रस्तावना का समय नहीं है इसलिए जो खास समस्याएं, खास तौर से हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, आपके माध्यम से मैं सरकार के सामने रखने की कोशिश करूंगी।

जहां तक कृषि भूमि का आवंटन है, उसमें क्या क्या सवाल आते हैं, बहुत से सदस्यों ने कहा है, मैं भी एक छोटा सा सुझाव इस मामले में रखना चाहती हूं। आज यह हाल है कि जिस कृषि भूमि का आवंटन हो जाता है किसी गरीब को, और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें वह अदालत में केस लड़ते लड़ते थक जाता है जिससे गरीब और गरीब हो जाता है। मैं सरकार को एक सुझाव दूंगी कि ऐसी भूमि का आवंटन किया जाय जिसके पीछे झगड़ा न हो। अगर झगड़ा हो आवंटन पर तो सरकार लड़े, सरकार उसका केस लड़े न कि गरीब किसान। तीन तीन बीघा जमीन से उसकी गरीबी तो क्या दूर होगी, उसकी गरीबी और बढ़ जाती है।

दूसरी बात न्यूनतम वेतन और क्रेश प्रोग्राम के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है। भरतपुर जिले में सरसों की बहुत बड़ी फसल है और उसी आधार पर वहां का किसान थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज खेद की बात है कि चेपा की महामारी से सरसों की फसल नष्ट हो गई तो सहायता पहुंच नहीं सकी, किसी पंचायत समिति में दवाइयां नहीं पहुंची, किसी में दवाइयों का ब्लैक हुआ। समझ में नहीं आता, वितरण की क्या व्यवस्था थी, परन्तु हुआ यह कि सरसों की फसल करीब करीब नष्ट हो चुकी-कहीं 50 प्रतिशत, कहीं 75 प्रतिशत, कहीं 90 प्रतिशत। किसान को नुकसान हुआ और उसके बाद शीत लहर आई और उसमें वहां की दूसरी फसल थी अरहर और चने की, उसमें भी किसानों को भारी नुकसान हुआ। वहां का किसान आज दुःखी है, दोनों तरफ से उसका नुकसान हुआ है। एक तरफ कुदरत ने किया है, दूसरी तरफ हम उनकी मदद भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ी बहुत माफी हर बात में देने के लिए मैं फिर से निवेदन करती हूं।

क्रेश प्रोग्राम में आज हालत यह है कि तीन तीन महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। अभिभाषण में मिनिमम वेजेज की बात कही गई है। मिनिमम वेजेज का पालन क्रेश प्रोग्राम में नहीं हो पाया है। इसकी क्रियान्विति के कुछ ठोस कदम उठाए जायें ताकि मिनिमम वेज वहां के मजदूरों को मिले और समय पर तनख्वाह मिले। आज तीन तीन महीने तक तनख्वाह न देना जब कि बड़े से बड़ा आफिसर या छोटा छोटा कामदार भी तनख्वाह के बगैर नहीं रह सकता तो गांव के मजदूरों के साथ यह अन्याय हो रहा है, उस दिशा में कदम उठाया जाए।

(श्रीमती उषा प्रकाश)

अब हमारे सामने एक सवाल और है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती उषा प्रकाश : स्त्री शिक्षा के बारे में सुझाव रख कर बात समाप्त करूंगी। स्त्री शिक्षा का पर्सेन्टेज बहुत कम है। इसको बढ़ाने के लिए आज समाज की ओर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे 4 दिन के इन्तजार के बाद जो समय मिला उसके लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है उसमें शामिल होने की इजाजत चाहता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में जो उसकी आत्मा है वह बलिष्ठ नहीं है। उससे जो चुनाव के बाद जनता की आकांक्षाएं जो जनता में पैदा हुई हैं तथा सामने आई हैं, उनका यह अभिभाषण प्रतिनिधित्व नहीं करता। क्रानीकल भाषण या रूटिन भाषण अधिक से अधिक कहा जा सकता है। अगर एक पोजिटिव बात जो अभिभाषण में समझी जा सकती है तो वह सीलिंग की बात है, शहरी संपत्ति की बात है लेकिन जिस तरह से लैंड सीलिंग की बात हुई उसी तरह से शहरी सम्पत्ति को सीमा की बात हो तो एक गहरी निराशा की बात होगी। अगर वास्तव में हमारी सरकार इस बात में सही है, उसके बोनाफाइडीज हैं तो मेरी मान्यता है कि इस मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के पश्चात् रात्रि के भोजन से पूर्व इसका अध्यादेश निकाल देना चाहिए था और उस से जो सबसे पहला सबूत हमारी सरकार का समाजवाद में आस्था का मिलता, वह पूरा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट सैशन से पहले इस अध्यादेश को निकाला जाना चाहिए ताकि जितने भी लूप होल्स हों, जितनी बातें हों उनको साइड ट्रैक करने की, वह समाप्त हों। अन्यथा सरकार की जो सीमा निर्धारण करने की बात है वह थोथी हो जाएगी जिस तरह से लैंड सीलिंग की बात थी। सीलिंग करते करते इतना समय हो गया और जब वास्तव में क्रियान्विति का समय आया तब भूमि मिलना संभव नहीं हुआ। इसी तरह से शहरी सम्पत्ति की बात है इम्प्लीमेंटेशन की।

जो क्रैश प्रोग्राम में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को और दूसरे राज्यों को फंड्स का एलाटमेंट किया, मुझे भय है कि जिस तरह से अभी तक सीरियसली नहीं लिया गया है उसी तरह से अगले वर्ष में भी नहीं लिया जायेगा। मेरी दरख्वास्त है कि क्रैश प्रोग्राम में जो सुविधा इम्प्लीमेंटेशन की है वह योजनाबद्ध तरीके से हो, ईमानदारी से हो और काफी विगरसली उसको फालो किया जाना चाहिए। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां चम्बल प्रोजेक्ट है। बहुत समय से कहा जाता है कि हाड़ौती और कोटा को राज्य सरकार ने फेवर किया है चम्बल योजना लेकर। मेरा निवेदन है कि चम्बल योजना राजस्थान की योजना है, चम्बल योजना का लाभ राजस्थान भर को है, इसलिए ऐसा कहना सही

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

नहीं है। दूसरी तरफ चम्बल परियोजना से जो नुकसान हैं, जो कठिनाइयां हैं, वह मेरे क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र को ही हैं। जो सीपेज की कठिनाइयां हाड़ौती क्षेत्र में हम लोग महसूस करते हैं, वह ऐसा निराशा-जनक वातावरण है कि जिसको हम आपके समक्ष पूरी तरह से कह नहीं सकते। लगभग 30 हजार एकड़ भूमि सीपेज से खराब हो चुकी है और बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े बगीचे और खेती की भूमि प्रायः समाप्त हो चुकी है। कोई बहुत ही साइंटीफिक तरीके से उसका एनेलिसीज किया जाना चाहिए। सीपेज की जो समस्या है, जिस तरह से वाटर लोगिंग की समस्या है, उसको कई बार कहा गया है, कई बार अभिभाषण में भी जिक्र किया गया है लेकिन समय कम है इसलिए जो लेप्सिज सरकार की तरफ से हुई हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, चम्बल घाटी योजना के लिये, लैण्ड के लिये करीब एक करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था वह भी सिंचाई के लिये काम में नहीं लिया गया पूरी तरह से। इसके अलावा फ्लड्स को रोकने के लिये 25 लाख रुपये राजस्थान सरकार ने रखे थे। उसके बारे में भी मेरा निवेदन यह है कि वो 25 लाख रुपये बेकार रहे। फ्लड से जिन लोगों के मकान वगैहरा नष्ट हो गये या जिनकी खेती बरबाद हो गयी उन्हें उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। इसलिये मैं आपके मारफत अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब राज्य सरकार कोई योजना के लिये रकम सेंक्शन करदे तो क्या कारण है कि वहां पर काम नहीं होता? इसलिये मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को फ्लड से नुकसान हुआ है उन्हें राहत पहुंचायी जाय। आज स्थिति यह है कि जो 25 लाख रुपये सैंक्शन हुए थे वह धनराशि 8 माह तक बिना उपयोग किये हुए पड़ी रही। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि राज्य सरकार चम्बल एरिया में सिंचाई के लिये व काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिये जो योजनायें बनायी थी या जिनकी घोषणा की जा चुकी थी उनकी तुरन्त क्रियान्विति की जाय। बस धन्यवाद।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिये। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, मैं समरी में कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अबकी बार जो चुनाव हुए हैं उसमें जनता ने इस हाउस को एक नया रूप दिया है। नयी विचारधारा के लोगों को यहां भेजा है! आज समाजवादी विचारधारा के अनुकूल ही राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसमें समाजवाद के लाने के लिये काफी कहा गया है। आज समाजवाद की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं लेकिन उसकी उपलब्धि के लिये हमें आज जो हमारी सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेटिक आफिसर यहां बैठे हैं, वे ही इस समाजवाद को लाने में रोड़ा अटकाते हैं। आज हमें जनता में सुधार करने, जनता को राहत पहुंचाने के लिये, अपने प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। जब तक आप इन सरकारी

(श्री किशन मोटवानी)

कर्मचारियों और इन ब्यूरोक्रेटिक आफिसर्स को नहीं बदलेंगे तब तक समाजवाद आना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिये हमें चाहिये कि इनको सहयोग देने के लिये बाध्य किया जाये। मैं आपको मेरे क्षेत्र अजमेर के बारे में कुछ समस्यायें हैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन राज्य सरकार से करना चाहता हूँ कि उनका निराकरण तुरन्त किया जावे ताकि अजमेर की जनता को राहत पहुँचे। सबसे पहले अजमेर की समस्या है वह कि अजमेर शहर में बिजली के पावर हाउस के बारे में। अध्यक्ष महोदय, पहले यहां पर बिजली की सप्लाई एक कम्पनी द्वारा की जाती थी उससे जनता को बहुत ही परेशानी थी। तब राज्य सरकार सिर्फ बिचौले का कार्य ही करती थी। बाद में जब जनता ने परेशान होकर उसकी मनमानी की शिकायतें की तो राज्य सरकार के राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने उसे अपने हाथ में ले लिया। आज स्थिति यह है कि उसकी हालत पहले से भी खराब हो गयी है। बिजली का बहुत बुरा इन्तजाम है। रेट्स ज्यादा है, बिजली बार बार चली जाती है। पावर कम मिलती है। मेरा आपके मारफत अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार से निवेदन है कि बिजली व्यवस्था का समाधान तुरंत अजमेर शहर की जनता के लिये किया जाना चाहिये। इसके अलावा अजमेर शहर के आस पास स्लम्पस बहुत हैं और वह की हालत बहुत खराब है। हालांकि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित किया गया कि उन स्लम्पस को जल्दी से जल्दी क्लीयर किया जाय पर अभी तक वो क्लीयर नहीं हुए है। वहां के म्यूनिसिपेलिटी के कौउन्सलर को नोटिस मिल चुका है भूख हड़ताल करने के लिये अगर उन्हें क्लीयर नहीं किया गया तो। आज स्थति यह है कि हालांकि फाइनेन्सेज उपलब्ध हो जाते है फिर भी रेडटेपिज्म की वजह से उनमें कोई सुधार नहीं हो सका है। मेरा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि नये समाज के बनाने के लिये, नये समाज के निर्माण के लिये, इस रेडटेपिज्म को खतम करना ही पड़ेगा वरना समाजवाद आ नहीं सकेगा। इसके अलावा अजमेर की शहर की जो समस्या है वह और शहरों की समस्या भी है। वह है पेयजल की समस्या इसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज अजमेर में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। अब गरमी शुरू हो गई है वहां पर डबल लाइन पानी की व्यवस्था के लिये योजना थी वह शुरू नहीं हुई है और सिंगल लाइन ही चल रही है। इसलिये मेरा आपके मारफत राज्य सरकार से यह निवेदन है कि पेयजल की समस्या को तुरंत हल किया जाना चाहिये। दूसरे जितना विकास राजस्थान के बनने के बाद दूसरे जिलों का या दूसरे शहरों का हुआ उसको देखते हुए आज अजमेर बहुत ही पिछड़ा हुआ है। बिजली की वहां प्रोबलम है पानी की वहां समस्या है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे जल्दी से जल्दी समाप्त की जाय ताकि वहा की जनता को राहत मिले। जब राजस्थान बना था तो अजमेर

(श्री किशन मोटवानी)

के विकास के लिये काफी वायदे किये गये थे पर उसके लिये कुछ भी नहीं किया गया है। स्थिति यह है कि जो पहले दूसरे शहरों से अजमेर ज्यादा अच्छा था वह कई शहरों से पिछड़ गया है। यह सभी इसलिये हुआ कि अजमेर के साथ राजस्थान बनने के बाद हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया है। हमें बहुत आशाएँ थी अजमेर के विकास के लिये। पर वह नहीं हुआ। इसके अलावा जो एक और समस्या अजमेर के लिये है वह यह है कि अजमेर हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे राजस्थान के शहरों से आगे था वह आज पीछे रह गया है क्योंकि वहां पर अभी तक कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मेरा राज्य सरकार से, आपके मारफत, यह निवेदन है कि अजमेर में यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी कायम की जाय। अजमेर की पोपूलेशन बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी। पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार से कई बार मांग करने पर भी वहां पर विश्वविद्यालय नहीं खोला गया है। इसके अलावा जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह है अध्यक्ष महोदय, सस्ते न्याय के बारे में। आज जनता को सस्ते न्याय की जरूरत है। आज जयपुर में बैंच लाने की बात की जा रही है पर मेरा आपसे निवेदन है कि वह हाई कोर्ट की बैंच अजमेर में आनी चाहिये। एक तो वह राजस्थान के सेन्टर में पड़ता है लोगों को वहां जाने की सहूलियत भी रहेगी दूसरे अजमेर शहर की प्रोमीनेन्स भी बढ़ेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी जनता को राहत पहुँचाने के लिये हाई कोर्ट की बैंच जयपुर के बजाय अजमेर लाई जाय। (घंटी)

मैं अभी समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमने जो चुनाव जीते हैं उसमें जनता को कुछ वायदा करके आये हैं। आज समाजवाद हमें लाने के लिये उन वायदों को पूरा करना है। इसके लिये मैं एक अपने को ही अकेला नहीं मानता हूं इसके साथ साथ मैं सभी को 184 सदस्यों को, अपने साथ मानकर चलता हूं। क्योंकि आज जनता से जो भी चुनाव लड़कर आये हैं वे सभी वायदे करके आये है। उन्हें हमें पूरा करना ही है। इसके लिये हमें ईमानदारी से काम करना है और अगर हम 184 सदस्य ही ईमानदारी से काम करेंगे, उन वायदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम दे कर आये है, उन्हें हम पूरा करेंगे तो जनता में हमारा विश्वास और बढ़ेगा। पर इसके लिये मैं आपको और निवेदन कर दूं कि अपने राज्य सरकार के कर्मचारी जो भी हैं और जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं उन्हें ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक काम करना होगा। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता में समाजवाद जरूर आयेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री शंकरलाल, (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य भंवरलाल, (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री रणजीतसिंह

श्री रणजीतसिंह (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर

(श्री रणजीत सिंह)

वाद-विवाद चल रहा है उसके ऊपर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में आया है उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह बताया है कि राज्य सरकार आगे क्या क्या करने वाली है और उनके भाषण में सभी छोटे मोटे मुद्दों पर उल्लेख किया गया है। आज राजस्थान में चुनावों में जो सफलता कांग्रेस को मिली है वह एक नये नारे से मिली है। यह तो एक हवा थी समाजवाद की ओर जिससे आज यहां की जनता को आशायें बनी हुई है। आज हम सभी यहां पर उन्हीं वायदों को, जो हम जनता को देकर आये हैं, पूरा करने के लिये यहां बैठे हुए हैं। अगर हम निश्चित समय में जो कार्य हमें करना है और जो वायदे हमने दिये हैं उन्हें पूरा नहीं किया तो जनता ने जो हमें बहुमत इतना व्यापक दिया है वह आगे के लिये समाप्त हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हालांकि राज्य सरकार ने पिछले 20 वर्षों में काफी काम किया है फिर भी राजस्थान मे आज कई जगह ऐसी हैं जहां पर कि अभी तक सुधार नहीं हुआ है। वहां की जनता आज भी परेशान है। वहां पर काम नहीं हुआ है। जो होना बहुत ही आवश्यक है। आज जब जब हम गांव में चले जाते हैं तो लोगों से हम उनकी परेशानियों के बारे में या उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि और तो समस्यायें हैं ही पर हमारे गांव में जो पटवारी है इससे हम बहुत ही परेशान हैं। आज पटवारी अपने आपको बहुत ही बड़ा आदमी समझता है। वह काश्तकारों को परेशान करता है, उनके जो वाजिब हक होते हैं उनमें गड़बड़ियां पैदा करता है। इसलिये मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके मारफत राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि गांव वालों को जो आज पटवारी लोग परेशान करते हैं उसके लिये कानून में कुछ ऐसा संशोधन किया जाय कि जिसमे काश्तकारों को पटवारियों से राहत मिले। इसके अलावा दूसरे जो गांव वाले अपनी समस्या बतायेंगे वह बतायेंगे पुलिस के बारे में। आज भी जनता के साथ पुलिस के अत्याचार वही चल रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस के अत्याचारों से जनता को राहत पहुंचाई जाय उन्हें बन्द कराये जायं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे इलाके से आया हूं जो कि रेगिस्तानी इलाका है। वहां पर सबसे बड़ी समस्या है पेय जल की। आज इतने साल हो गये राजस्थान बने हुए पर इस इलाके की तरफ पेयजल की समस्या के बारे में उसके हल करने के लिये, कुछ भी नहीं किया गया। आज हमने राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जहां पानी की समस्या है वहां जन्म ले लिया इसका मतलब हमने कोई गुनाह तो नहीं किया कि उस इलाके की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं धरे। अध्यक्ष महोदय, आज वहां की जनता की यह हालत है कि एक लोटे पानी के लिये भी तड़पती है। एक तरफ नदियां और बांध बहुत हों, और दूसरी तरफ लोग एक एक लोटा पीने के पानी के लिये तरसते हों, आठ आठ मील

(श्री रणजीत सिंह)

दूर से लाते हों, इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि सरकार ने कितनी लापरवाही इस इलाके के साथ बरती है। पिछले बाईस साल के कांग्रेस के शासनकाल में भी स्वच्छ पीने के पानी तक का प्रबन्ध इस इलाके के लिये नहीं हो सका तो और बातों के होने की आशा तो की ही कैसे जा सकती थी।

आज भी पश्चिमी राजस्थान आपसे पीने के पानी की समस्या का समाधान चाहता है। गांधीजी के अर्थ शास्त्र में गांवों के स्वावलम्बी बनाने की जो योजना है वह तो अभी दूर की बात है। पंचायत, आयुर्वेद, सफाई, कुए आदि की बात बाद की है। अभी तो पीने के पानी का प्रबन्ध करना है। इस महान् समस्या का समाधान अगर राजस्थान सरकार के अकेले के बूते का नहीं है तो भारत सरकार पर इसके लिये दबाव डाला जाना चाहिये। शहरों में पीने के पानी की समस्या नहीं है, घर घर में मंजिल मंजिल में नल हैं, मकानों के आगे तक सड़कें हैं, पास में ही स्कूल और कालिज है। गांवों की हालत इसके विपरीत है।

जगह जगह सरकार ट्यूब वेल खोदे अकाल के समय सरकार ने जो खोदे भी, वे भी आज बन्द पड़े हैं। अगर सरकार उनको चलाने की पूरी व्यवस्था कर सके तब तो उसे ट्यूब वेल खोदने चाहिये नहीं तो इसमें भी पैसा व्यर्थ बरबाद करना बेकार है। पब्लिक हैल्थ विभाग कहता है यह काम अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का है, अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड कहता है पब्लिक हैल्थ का है। दोनों के बीच में झगडा चल रहा है। कैबिनेट भी इसको तै नहीं कर पाई है।

इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जहां भी ट्यूब वेल खोदे हैं उनको चालू किया जावे और जहां और जरूरत है वहां खोदे जावें।

दूसरी बात, इस पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में रेगिस्तान होने से खेती पर किसान निर्भर नहीं हो सकता। पशुपालन पर अधिकांश निवासी निर्भर हैं। इसके लिये सरकार अच्छी योजना बनाकर चल सकती है। एक दुग्ध वितरण योजना डेयरी की योजना 500 करोड की लागत को बनी भी थी। पर वह योजना खटाई में पड़ गई और इस कारण पड़ गई कि पहले तो सोचा था कि जोधपुर में इतने दूध की उपलब्धि हो जावेगी, इतनी क्षमता है यहां, पर बाद में न जाने क्यों वह योजना दिल्ली की तरफ चली गई। कारण बताया गया भैंसों का दूध इतना नहीं है। गाय और बकरी के आधार पर चल सकती थी।

आज इस इलाके में काश्तकार सबसे अधिक दुखी प्राणी हैं। दो साल अकाल पड़ा। एक किलो एक रुपया का धान लेकर उनसे खाया था। वापिस वक्त आया, सुकाल आया और खेती हुई तो एक रुपया का तीन किलो बाजरा उसने बेचा है। भाव किसान के हाथ में नहीं रहे। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि किसान को ठीक वाजिब भाव मिले। सरकार को अनाज के व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। तभी किसान

(श्री रणजीत सिंह)

को लाभ पहुंच सकेगा नहीं तो मुश्किल है। राज्य सरकार इसकी घोषणा करे और इस व्यापार को नेशनेलाइज करे। यह सरकार का सबसे बड़ा समाजवाद की तरह बढ़ने वाला कदम होगा। नहीं तो समाजवाद थोथा नारा बनकर रह जावेगा, इससे गरीब किसान को लाभ नहीं मिल सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराजजी चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो कृपा पूर्वक सदन में भाषण दिया है और इसके उपलक्ष में जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

राजस्थान की विशिष्ट परिस्थितियां होते हुए भी सरकार ने जो अपना लक्ष्य समाजवाद की तरफ बढ़ने का रखा है यह स्वागत योग्य है। राजस्थान भारत के पिछड़े प्रान्तों में से एक है। इस प्रान्त के आधे से अधिक भाग में हर साल अथवा दूसरे तीसरे साल वर्षा न होने से अकाल बना रहता है। दो साल पहले पूरे राजस्थान में करीब करीब अकाल पड़ा। पीने का पानी तक मिलना कठिन हो गया ऐसे समय में सरकार ने व्यवस्था की। रोजगार देने का प्रबन्ध किया। पर यह केवल लोगों के पेट के पालने तक ही सीमित रहा। खेती का जो नुकसान उनको था उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जासकी।

सरकार समाजवाद की बात करती है। पर ईश्वर जो नुकसान कर देता है क्या उसके बारे में भी कभी सरकार ने सोचा है? 2025 में समय पर वर्षा हो गई थी। किसान ने मंहगा बीज लेकर बोया, महनत की, ट्रैक्टर से काम करवाया पर तीसरी बार वर्षा समय पर न होने से सारी खेती जल कर राख होगई। सुख गई। एक एक काश्तकार की तीन चार हजार की एवरेज काश्त की पैदावार जहां मानकर चलते हैं वह सारी आमदनी खतम हो गई।

सरकार इस क्षति की पूर्ति नहीं कर पाई हालांकि उसने कुछ अकालराहत के काम चालू किये। मजदूरी सरकार ने तै की, औरत की चौदह आने प्रति दिन, आदमी की एक रुपया और बच्चों की बारह आना। यह मजदूरी निर्धारित की। पेट पालने के लिये तो यह पर्याप्त कही जा सकती थी। पर किसान की समस्या इसी में समाप्त नहीं होती है। काश्तकार अपना मकान भी बनाना चाहता है, अपने बाल बच्चों को पढाने का प्रबन्ध भी करना चाहता है, अपने बच्चे बच्चियों की शादी विवाह भी करना चाहता है। जीवन की और जरूरतें भी पूरी करना चाहता है। भगवान रूठ गया। सरकार ने प्रबन्ध किया, पर इसमें भी कमी रह गई। पानी का और घास तक का पूरा प्रबन्ध सरकार नहीं कर पाई। काफी मवेशी मारे गये।

2026 में भी फिर अकाल पड़ गया। सरकार ने काम तो किया। पर किसान मजदूर की हालत वही की वही रही। इस अकाल के समय आया तो यह की

(श्री भगराज चौधरी)

जाती थी कि सरकार बीघोड़ी माफ कर देगी। टीनेन्सी एक्ट में इस तरह का प्रोवीजन भी है। मगर सरकार ने माफी के बारे में नहीं सोचा। ऐसा भयंकर अकाल। सो साल में भी नहीं पड़ा। काश्तकारों की माली हालत बिलकुल गिर गई। हमेशा के लिये करजे में डूब गये पर फिर भी एक साल की भी माफी नहीं की। आखिर जो क्षति काश्त की इनको हुई, मवेशी मारे गये सो में से 85 फी सदी मारे गये इतने भारी नुकसान के होते हुए भी सरकार ने एक साल की बीघोड़ी तक माफ नहीं की। यह जो बात मैं निवेदन कर रहा था इस साल भी पश्चिमी राजस्थान में अकाल है। जालोर में अकाल है, बाड़मेर में अकाल है चाहे सरकार ने उन जिलों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया हो। मैं समझता हूं आर्थिक स्थिति आज भी उनकी बहुत खराब है (समय समाप्ति सूचक घंटी) शहरों से बाग बगीचों के पीछे सैकड़ों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन गांवों के अन्दर पानी का इन्तजाम नहीं कर पाये। आखिर यह कैसा समाजवाद है या तो यही समाजवाद है या यह हमारी भाषा हो गई है। मेरा निवेदन है अगर सच्चे रूप में समाजवाद लाना है, एग्रीकलचर ओरियेन्टेट समाजवाद लाना है तो गांवों की हालत की ओर ध्यान दीजिये अन्यथा हमारी सारी बातें समाजवाद के केवल ऊपर ही हो रही है, खैर, यह बात हुई समाजवाद की ओर हमने समाजवाद को लाने के लिये शोषण को समाप्त किया है, सामन्तवाद को खतम किया है, अनेक अनेक जागीरदारों को समाप्त किया है लेकिन आज हजारों काश्तकार ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, हजारों मजदूर शिक्षित नहीं है। हमने उनके लिये क्या सोचा केवल यह है कि सरकार उन्हें जमीन देगी? मैं समझता हूं सरकार ने रूल्स बनाये, जमीन बांटने की कोशिश की है, लेकिन उसका फायदा वास्तविक लोगों को नहीं हुआ है। प्रधान और जो दूसरे लोगबाग हैं उन लोगों ने ईमानदारी से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। हजारों काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास आज भी एक बीघा जमीन जोतने को नहीं है। जिन्हें पहले अलाटमेन्ट कर दिया गया और बाद में केन्सिल कर दिया गया। अलाटमेंट के लिए सरकार ने कोई सही कमेटी का निर्माण नहीं किया। अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं जो सभी जिलों में आवंटन किया गया है, उसको आप चैक करवायें और प्रत्येक जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटी बनाई जाय। आया यह अलाटमेन्ट ठीक हुआ है या नहीं हुआ है और अगर ठीक हुआ है तो रखा जाय और ठीक नहीं हुआ हो तो उसको केन्सिल किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। दो दो बार घंटी बजा चुका हूं। शायद आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया है।

श्री भगराज चौधरी : I will finish my speech by four p. m. उसके बाद हमने अधिकतम सीमा लगाई जमीन की। उस सीमा के जरिये जो बोनाफाइड काश्तकार थे उनके हाथ से जमीन चली गई। रूल (नाइन) में काश्तकार को स्वयं को डिक्लेरेशन देना पड़ता था। रूल 10 में यदि काश्तकार कानून

(श्री भगराज चौधरी)

लागू होने के बाद 6 महीने में डिक्लेरेशन नहीं देता है तो अदालत चाहे तो उसे नोटिस दिया जा सकता है मगर यह प्रावधान मेन्डेटरी नहीं है। कोर्ट ने नोटिस नहीं दिया तो उसका क्या नतीजा निकलेगा रूल 15 कि काश्तकार की फेमिली केवल पांच मेम्बर्स की है। अब आप देख लीजिये बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं कि किस दिन गजट नोटिफिकेशन हुआ और किस दिन गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जो रूल टेन में है वह आब्लीगेटरी नहीं बनाकर मेन्डेटरी बना देना चाहिये था। कोर्ट नोटिस दे अमुक अमुक को यह उसमें प्रावधान नहीं है। हजारों जो बोनाफाइड काश्तकार थे इस रूल्स में छोटी सी गलती के कारण काश्तकारी लिमिट में आ गये जबकि इसके विपरीत पुराने जागीरदार, भूतपूर्व बड़े बड़े जागीरदार जिनके पास हजारों बीघा जमीन थी उन्होंने हजारों बैनामे कर दिये। बड़े बड़े वकीलों के जरिये और बड़ी अप्रोचों के कारण वे उस रूल की गिरफ्त से निकल गये। सीलिंग का कानून 10 साल पहले बनाया था तभी से उनकी आंख इस पर लगी हुई थीं कि कब यह कानून आये और कब जमीन बेच दें। कानून की अच्छी मंशा थी लेकिन इसके इम्प्लीमेन्टेशन में काफी टाइम दे दिया। कई बड़े बड़े लोगों के केटिल ब्रिडिंग फार्म, मेकेनाइज्ड फार्म आदि थे वे सब इस कानून से निकल गये। इन फार्मों पर सामन्तवादी दबाव बराबर पड़ता रहा। 1959 में यह कानून बनाया था लेकिन इसको लागू किया 1972 में। इतनी देर हो जाने के बाद अब कौनसी जमीन आने वाली है? जालौर में 10-15 केसेज दर्ज हुये हैं और इसका नतीजा यह हुआ कि जो बोनाफाइड काश्तकार थे वे सब चपेट में आ गये। जिन्होंने गलत नाम से बैनामा करा दिया वे बच गये। उनको पता नहीं है और ऐसे नामों से रसीदें पेश करके उसका लाभ उठा लिया अब मैं आगे बढ़ता हूं अगर इसी प्रकार की सरकार की इच्छा रही तो कोई कानून सफल होने वाला नहीं है। अब अगर शहरी सम्पत्ति पर सीमा लागू करें तो जो विधान सभा का सत्र एडजोर्न होता है उसके पहले बिल के रूप में पेश कर दें और उसको रिट्रास्पेक्टिव डेट से लागू कर दें ताकि जो ट्रान्जेक्शन इसके बीच हो जाय उनको न माना जाय।

इसके अलावा आज गांवों में, जिलों में, शोषण, बना हुआ है। ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन बनी हुई है। गांव वालों को समय पर पहुंचने की, समय पर अप्रोच करने की बड़ी दिक्कते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार उसको मिटाने के लिये कोशिश नहीं कर रही है लेकिन वह कोशिश कम पूरी हुई है। आज गांवों में पूर्ण असन्तोष का वातावरण बना हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी 145 की संख्या में जीतकर आ गई, क्योंकि आज मतदाता के सामने दूसरा विकल्प नहीं था। मतदाता जानता था कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। मगर इसका मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी रामबाण दवा है·····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पार्टी को एग्रीकल्चर ओरियन्टेड होना चाहिए·····

(श्री भगराज चौधरी)

(पुनः घंटी)

अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। आज प्रशासन में बहुत शिथिलता है। गरीब लोग तो प्रशासन की अप्रोच से कतराते हैं। वे यह जानते हैं सच बोलने का ठेका ले रखा है। मैं समझता हूं इस प्रकार का दृष्टिकोण जनतन्त्र के युग में, जनता के राज्य में नहीं होना चाहिए। अगर जनता की राय की कदर नहीं की गई तो न यह सरकार रहेगी और न ये सरकार के कर्मचारी ही रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रशासन में शिथिलता को समाप्त कर दिया जाय। दूसरी बात मैं प्रशासन में भ्रष्टाचार के लिये निवेदन करूंगा। भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। आज हमारे नये मुख्य मंत्री जी को पदासीन हुए 9-10 महीने हो गये लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त तो क्या कम भी नहीं कर पाये। इसलिये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मेरा एक सुझाव है

समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य यह उचित लगता है कि बार बार घंटी बजाने के बावजूद और कहने के बावजूद भी आप बोलते रहें ?

श्री भगराज चौधरी : अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद-के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं और राजस्थान में यह पहला मौका मिला है कि जब इतने ज्यादा माननीय सदस्य इस बहस के अन्दर हिस्सा ले सके हैं। मैं समझता हूं कि जितना बोल सकते थे करीब करीब सब बोल लिये। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और उनको धन्यवाद देने से पहले राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूं। राजस्थान की जनता ने पूरे भरोसे के साथ कांग्रेस को वोट दिये और यह ताकत जो कि कांग्रेस दल को दी है वह ताकत इतनी बड़ी है कि इससे पहले हमारी पार्टी को या किसी चीफ मिनिस्टर को यह ताकत नहीं थी। कई दफा लोगों के मन में शंकायें होती हैं और शंकायें यह होती हैं कि हम कार्य पूरा भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिनके मन में यह भय है वह भय निकालना पड़ेगा और हिम्मत और ताकत के साथ आना पड़ेगा और जब मैं यह कहता हूं कि अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे करैक्ट कर दिया जाये। मैं लोकशाही और लोकतन्त्र में विश्वास रखता हूं और मैं यह मानता हूं कि जितनी बड़ी जगह पर आदमी जाता है उतनी ही बड़ी गलती कर सकता है और इसके लिए पार्टी, सदन, सब का सहयोग मिलना चाहिये, कलेक्टिव सजेशन्स आने चाहिये लेकिन जब मैं यह कहता हूं तो कोई लोग इसको कमजोर नहीं समझें। कई लोग गल्तियां कर चुके हैं और दूसरे लोग गलती न करें, यह मैं जरूर चाहूंगा। हम यह मानकर चलते हैं कि इस ताकत का इस्तेमाल करना भी हम जानते हैं। हमने जनता का विश्वास लिया तो जनता के विश्वास के साथ ही साथ जनता को धोका देने के लिए नहीं आये हैं। कई मित्रों ने ऐसा समझा कि जैसे कोई विन्डफाल

(श्री बरकतुल्ला खां)

हो गया है। कई मित्रों ने ऐसा समझा कि भ्रष्टाचार बन्द नहीं हुआ है; कम नहीं हुआ है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तवज्जोह दिलाना चाहूंगा कि हमारी नेता प्रधान-मंत्रीजी के और हमारी कांग्रेस के घोषणा-पत्र पर जनता ने पूरा विश्वास किया लेकिन राजस्थान में हमारी पार्टी ने और मैंने कुछ ऐसी फिजां जरूर बनाई थी कि जो कुछ उन्होंने चाहा वह हमने किया।

यह बात माननी पड़ेगी कि हम भ्रष्टाचारी होते, चोर होते तो यकीनी तौर पर चाहे बड़ी से बड़ी साख पड जाती हमें जनता वोट नहीं देती। ऐसा न हो कि कुछ लोग यह समझते रहें कि कुछ हुई ही नहीं कुछ लोग यह न समझें कि भ्रष्टाचार कम हुआ ही नहीं। कुछ लोग अगर यही समझते रहें तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सदन के अन्दर इससे पहले बड़े-बड़े महारथी बैठे थे और जिनकी रेकर्ड की सुई भ्रष्टाचार पर ही आकर रुक गयी थी और सिवाय भ्रष्टाचार के कोई उनकी नीति नहीं थी, कोई उनका प्रोग्राम नहीं था और नतीजा यह हुआ कि जनता ने भ्रष्टाचार के रेकर्ड को सुनकर तोड़ दिया। भ्रष्टाचारी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और पूरी सजा मिलनी चाहिये लेकिन केवल एकमात्र प्रोग्राम लेकर हम चलें तो उस प्रोग्राम का केवल मतलब यह होगा कि हम इन्फीरियोरिटी में विश्वास रखते हैं और इसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं कि जितने जोर से बोलें उतनी ही जोर से जनता सुनेगी कि भ्रष्टाचार है'। लेकिन जनता बदल चुकी है; समय बदल चुका है, जनता बहुत आगे आ चुकी है और जनता दूध का दूध और पानी का पानी करना जानती है। जनता यह भी जानती हैं कि समाजवाद के नाम पर और गलत लोग आये हैं तो उनको हटाया जाये। गलत नाम पर आये हैं तो 5 साल का परफार्मेन्स देखेगी और उसके बाद यह फैसला करेगी कि आप असली समाजवादी हैं या नकली समाजवादी हैं। आखिर यह बात मानकर चलें कि चाहे जो हो जाये जनता भी यह समझने लग गयी है कि झूठे आरोपों का क्या मतलब है। जनता यह भी समझने लग गयी है कि जहां सच्चे आरोप लगते हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो आज के दिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज हम राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं और राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं खास तौर से इक्विटी और प्रोडक्शन के आधार पर। राजस्थान आगे बढ़ने वाला है। केवल विकास से नहीं बढ़ने वाला है। विकास हो सकते हैं। बहुत से देशों में विकास हुआ है लेकिन गरीब-गरीब रहा है और मालदार-मालदार रहा है। हम जो विकास करना चाहते हैं इक्विटी प्लस प्रोडक्शन प्लस इक्विटी। ये दोनों चीजें जब सामने होती हैं तो प्रापर डिस्ट्रिब्यूशन आफ वैल्थ होता है और अगर प्रापर डिस्ट्रिब्यूशन आफ वैल्थ नहीं होता है तो चाहे जितना डवलपमेन्ट करलें--मैंने न्यूयार्क में लोगों को सड़कों पर सोते देखा है। उनके पास मकान नहीं है और यही चित्र लन्दन और बड़े-बड़े मुल्कों में देखा है। तो एक तरफ बड़ी शानदार बिल्डिंग हो सकती है और दूसरी तरफ लोगों के पास रहने का मकान

(श्री बरकतुल्ला खां)
नहीं मिलेगा। तो खाली प्रोडक्शन और खाली डेवलपमेन्ट रास्ता नहीं हो सकता। डवलपमेन्ट के साथ ही साथ इक्विटी होनी चाहिए। प्रोडक्शन के साथ इक्विटी होनी चाहिए।

इसी तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि आज के दिन बहुत सी बातें एक दूसरे से उलझ जाती हैं और जो बातें उलझती हैं उसके अन्दर सच्चाई कहीं रह जाती है और दूसरी बातें आगे सामने आ जाती हैं। कभी-कभी लोग यह समझते रहे और इस राजस्थान के अन्दर तो प्राफिट्स आफ डूम्ड की कमी नहीं थी। प्राफिट् आफ डूम्ड आज भी बैठे हैं और बैठे रहेंगे। कुछ लोगों को तो गिलास आधे खाली दीखते हैं और कुछ लोगों को गिलास आध भरे हुए दीखते हैं। यह तो अपनी अपनी मेन्टेलिटी है कि कोई खराबी देख सकता है और कोई अच्छाई देख सकता है। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था लार्ड मेयो के लिए कि डेली स्ट्रक्चर रिपोर्ट जो मदर इण्डिया में लिखी थी तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं और मैं चाहूंगा कि दोनों का समन्वय करें और हमें समय दें और समय देने के बाद हम उन लोगों में से नहीं हैं जो खुदकशी करना चाहते हों। कांग्रेस पार्टी खुदकशी नहीं करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्राम को आगे निबाहना चाहती है और निबाह कर बतायेगी और कोई भी रास्ते में रुकावट आयेगी तो उसको हटायेगी। हमने इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया क्योंकि हम भी समझते थे कि हमारे और उनके बीच में बहुत छोटा सा मतभेद है और मैं आशा करके चलता हूं कि हमारी दोस्ती मजबूत रहेगी और हम आगे चलकर अच्छे तरीके से इस देश में फिजां बनाने में कामयाब होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो मेरे बहुत से मित्र कहते हैं कि तुम्हारा समाजवाद से क्या मतलब है और एक बैकवर्ड स्टेट के अन्दर समाजवाद का मतलब यह होता है कि किसानों को जमीनें मिले बैकवर्ड स्टेट के अन्दर या डवलपिंग स्टेट के अन्दर यह मतलब होता है कि आपका एग्रोकल्चर डवलप करे, आपका एनीमल हस्बेन्डरी डवलप करे और इण्डस्ट्रीज आपकी डवलप करें और ये तीनों मार्ग हैं और इन मार्गों पर जाने के लिए कुछ हमने कदम उठाये हैं। कुछ का विश्लेषण मैं अभी करूंगा और बताऊंगा कि राजस्थान गवर्नमेन्ट सजग है और यह जानती है कि किसी न किसी तरीके से इस पुराने जमाने की रूढ़िवादिता का जो दौर था उसको खतम किया जाये। यह बात सही है कि पुराने राजा भी सामने आए, पुराने महाराजा भी आए, पुरानी रानियां भी आईं और पुरानी राजमाताएं भी आईं। सब आईं। और जब सब आईं तो सबने देख लिया कि जनता को एक दफा कह सकते हैं, दो दफा धोखा दे सकते हैं, हमेशा-हमेशा जनता को धोखा नहीं दे सकते। यहां मेरे दोस्त कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ दोस्तों ने कहा कि हमने राजा महाराजाओं की मदद की। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष, क्या यह मुमकिन है कि

(श्री बरकतुल्ला खां)

कोई आदमी आपकी मदद करना चाहे तो हम यह कह दें कि हम तेरी मदद नहीं लेंगे। कोई हमारे सामने कन्डीशन रखता हो, कोई हमारे सामने प्री कण्डीशन रखता हो, कोई अपना मतलब सिद्ध करवाता हो, तब तो बिलकुल सही बात है कि हमें उसमें एण्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई आकर हमसे कहे कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या हम उनको कह दें कि तुम कांग्रेस को सपोर्ट मत करो, तुम तो विरोधी पार्टी को ही सपोर्ट करो। इस जयपुर शहर में जब इलेक्शन हुए तो यहां के प्रधान और दूसरे नुमायन्दे जो थे वे स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के साथ थे। मैं गांवों में भी गया, अपने घर पर भी उनसे मिला। उन्होंने यह कहा कि हम कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। मैंने यह कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या मैं यह कह देता कि चूंकि अब तक तुम जनसंघ के साथ रहे हो, स्वतन्त्र पार्टी के साथ रहे हो, जनसंघ को जितवाया है, हमेशा उनकी मदद की है इसलिए मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तुम तो जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी को जितवाओ। डेमोक्रेसी के अन्दर यह बात समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी वोट पर चलती है और वोट डालने का जब तक लोगों को अधिकार है वह अपने अधिकार को एक्सरसाइज करेंगे और इस देश में आने वाले जमाने में ताकत और हिम्मत के साथ लोगबाग अपना वोट देने वाले हैं। आज के दिन मैं यह समझता हूं कि, जहां हमने यह बात कही वहां यह बात भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अखबारों ने और अखबारनवीसों ने अपने तरीके से एक तस्वीर खींची और उनको हक था कि वे अपने ढंग से तस्वीर खीचें। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंनेजो ...

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजा खेड़ा) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जो अखबारनवीसों को धन्यवाद दे रहे हैं, तो क्या ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रेस हैं, उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि इस देश के अन्दर अखबारों को लिखने की आजादी है और वह बुरा दिन होगा जिस दिन इस देश के अन्दर अखबारों की आजादी छिन जाय। अखबारनवीसों को लिखने का पूरा अधिकार है और अपना असेसमेन्ट करने का उन्हें अधिकार है और ऐसा उनको करना चाहिए यह दूसरी चीज है कि कुछ अखबारनवीस आर्म्ड चेयर पोलिटिशियन की तरह बन गए हैं। आर्म्ड चेयर पोलिटिशियन जनता से अलग होते हैं और हो गए हैं। मैं इस प्रोफेशन को ट्रिब्यूट पे करता हूं। मैं यह कहता हूं कि हो सकता है कि वे जनता की भावनाओं से वाकिफ नहीं थे। एक छोटा सा सेक्शन था जिसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता, उन्होंने अपनी तरफ से असेसमेंट किया। यह असेसमेंट गलत भी हो सकता है और यह असेसमेंट सही भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो अपनी तरफ से असेसमेंट किया और उसे अपने अखबारों में लिखा और जनता ने फैसला कर लिया कि यह असेसमेंट सही था या गलत था। और यह भी सही है कि उन्होंने जो असेसमेंट रखा उससे जनता भी प्रभावित नहीं हुई और न ही इससे जनता का हौंसला कायम हुआ कि कांग्रेस को हराया जाय। इसलिए चन्द

(श्री बरकतुल्ला खान)
आम शायर अखबारनवीसों को छोड़कर बाकी सारे प्रेस ने एक क्लियर और इंसाफ की तरह से, सारे नजरिए को जैसे रखना चाहिए था, उन्होंने रखा। जो चन्द आर्मड चेयर पोलिटिशियन्स की तरह से अखबार-नवीस थे उनकी भी नियत पर मैं डाउट नहीं करता। शायद वे आइसोलेटेड रहे, आइवेरी टावर में रहे, जनता से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके और जो कुछ भी सैकिंड हैंड खबरें उनको मिलीं . . .

श्री मोहरसिंह : ऐसे कौन से अखबार वाले थे ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं समझता हूं कि हर एक अखबार को सेपरेटली डील करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और जिन्होंने मुझे अपोज किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं।

(करतल ध्वनि)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय से राजस्थान विधान सभा के अन्दर बराबर यह मांग आ रही थी कि कन्सलटेटिव कमेटीज बनवाई जावे। मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि माननीय सदस्यों की कंसलटेटिव कमेटीज हर मिनिस्ट्री के साथ होंगी।

(करतल ध्वनि)

आज के दिन दो चार समस्यायें हैं पहले मैं उनका जिक्र कर लूं फिर उसके बाद और दूसरी बातों पर मैं आऊंगा।

जब मैं यह कहता हूं और यहां पर बहुत ज्यादा मांग आई है लोकपाल और लोक आयुक्त के बारे में। मैं आपके जरिए फिर सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार इसमें जो भी निर्णय लेगी, राजस्थान सरकार उसको मानेगी और अपनाएगी। (करतल ध्वनि) जब तक यह फैसला होने में देर हो, कोई भी माननीय सदस्य किसी मन्त्री के खिलाफ शिकायत करना चाहे तो मुझे दे दें। मैं उसकी इन्क्वायरी करूंगा और माननीय सदस्यों को बता दूंगा कि इसके अन्दर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है।

इसी तरीके से अपने लिए भी मैं चाहूंगा कि कोई मेरी शिकायत हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी को लिख कर भेज दें और वे उसकी खुद पूरी जांच करवा सकती हैं। अगर मैं कोई गल्ती करूंगा तो उसकी सजा पाऊंगा और अगर गल्ती नहीं होगी तो क्लीन चिट पाऊंगा।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त यहां नहीं हैं। खास तौर से तीन मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए गए। एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब के ऊपर एक रेवेन्यू मिनिस्टर पर और एक माइन्स मिनिस्टर साहब पर। जहां तक रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का सम्बन्ध है उन्होंने कल रात को ही मुझे कहा कि आप चाहें जैसी इन्क्वायरी करवा लीजिए, अगर मैंने सीलिंग से ज्यादा अपने पास जमीन रखी हो, या सीलिंग के कानून को सरकमवेंट किया हो तो मैं इस मिनिस्ट्री से ही नहीं, सदन से भी इस्तीफा दे दूंगा।

(श्री बरकतुल्ला खान)

फाइनेंस मिनिस्टर महोदय के बारे में कहा गया। यह मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि कभी कभी जो हमारे सी. पी. आई. के मित्र हैं वे भी जनसंघ की टोन में बोल जाते हैं। जनसंघ ने जो कोचिंग कर रखा है उसकी आबोहवा का असर इन पर भी आ जाता है......

श्री केदारनाथ : बैंचेज भी वही हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : तो मैं यह कह रहा था कि सी. पी. आई. से मैं इतनी आशा जरूर करता हूं कि वे मुझे सही एड वाईज देंगे और मुझे बतायेंगे। लेकिन आज कुछ चैलेंज के रूप में नहीं, गुस्से में नहीं, दोस्ती के रूप में कहता हूं कि माननीय सदस्य जो अलवर से आने वाले हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जितनी भी सम्बन्धित फाइलें हैं वे उनको दिखाने को तैयार हूं और अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आने वाली है मैं उसमें से आपको फाइलें दिखाना चाहता हूं और उनको सेटिस्फाई करना चाहता हूं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने गल्ती की है ट्रैक्टर के बारे में, ट्रैक्टरों को ब्लेक में बेचा या और कुछ किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह इस मिनिस्ट्री से ही नहीं, इस सदन से ही नहीं, कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि मिनिस्ट्री के अन्दर जो रहें वे सीजर की बीबी की भांति, जो हर शको शूबहा से ऊपर हो। मैं नहीं चाहता कि कोई चार्ज लगे और उसका हम जवाब न दें। इसलिए मैं जवाब देने से परहेज कर रहा हूं, बल्कि मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। हमारे माइन्स मिनिस्टर साहब ने सीलिंग के बारे में कुछ कहा था और 27 जनवरी को जो उन्होंने यहां भाषण दिया था उस भाषण में क्या कहा था अगर आप आज्ञा दें तो वे अपना स्पष्टीकरण दे दें।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, खनिज) : अभी मैं किताब तो साथ नहीं लाया हूं फिर भी कह देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में यह कहा गया था कि मेरे विचार सीलिंग कानून के ऊपर बड़े री-एक्शनरी हैं और यह बात मैंने जो सीलिंग के ऊपर बहस हुई उसके अन्दर मैंने जो भाषण दिया, उसको लेकर कही गई है। सीलिंग के ऊपर 27 जनवरी, 70 को इस सदन में बहस हुई थी और उसके दरमियान में मैंने कुछ मुद्दे उठाये थे। उन मुद्दों में जो बात मैंने कही थी वह विधान सभा की कार्यवाही में अंकित है। मैंने जो बात कही थी वह यह कि 30 स्टैन्डर्ड एकड़ की डेफिनिशन है वह बड़ी डेफिनिशन है और कोटा जिले के साथ न्याय नहीं किया है। तीन सौ मन रकबा पैदावार के हिसाब से मिलना चाहिये वह उन एरियाज को नहीं मिला। इस सम्बन्ध में मैंने उस समय मुख्य मंत्रीजी को एक ज्ञापन भी दिया था और राज्य सरकार को तरफ से एक हाई पावर कमेटी का निर्माण भी किया गया था एस. पी. सिंह भंडारी की अध्यक्षता में और उस वक्त के सैटलमेन्ट

(श्री जुझार सिंह)
कमिशनर और जिनकी रिपोर्ट है, और श्री बराया भी उसमें सदस्य थे। जहां तक मेरा खयाल है मेरे द्वारा जो प्रश्न प्रस्तुत किया गया था वह यही था कि 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की डेफिनिशन रोंगली कोटा के लिये प्रस्तुत की गयी है और इस दृष्टि से कोटा के साथ न्याय नहीं किया है। 30 स्टेन्डर्ड एकड़ का सीलिंग नहीं लगाना चाहिये यह मैंने कभी नहीं उठाया। यह बात मेरे उस दिन सदन में दिये गये भाषण में प्रोसिडिंग्स में अंकित है वह देखी जा सकती है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, लड़ाई के सम्बन्ध में भी चर्चा उठायी गयी। हमारे देश ने शानदार तरीके से लड़ाई जीती है और हिम्मत से आगे बढ़ा है। लेकिन कुछ लोगों को सिवाय काले के और नजर नहीं आता है। आरमी द्वारा राजस्थान के कर्मचारियों और राजस्थान गवर्नमेन्ट की बराबर तारीफ होती रही है कि जितना को-ओपरेशन हम को राजस्थान के अन्दर मिला उतना कहीं नहीं मिला। (करतल-ध्वनि) जो को-ओपरेशन राजस्थान कर्मचारियों ने और राजस्थान सरकार ने दिया उसके लिये हम हमेशा आभारी हैं। लेकिन यहां पर छोड़ का मामला उठाया गया उनके द्वारा जो छोड़ कभी गये ही नहीं। चाहे 70 मील दूर रहे हों और 300 मील दूर रहे हों वे छोड़ के मामलें को लेकर यह बताना चाहते थे डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने पानी का इन्तजाम नहीं किया नहीं तो हैदराबाद ले लेते वे भूल गये थे लड़ाई शुरु हुई थी वह एरिया पाकिस्तान में था और पाइप लाइन नहीं डाल सकते थे। (करतल-ध्वनि) सेना ने टैंकर मांगे टैंकर दिये, ऊंट मांगे ऊंट दिये। जिस तरह पानी चाहा पानी दिया। यहां यह कहा गया कि आगे पाकिस्तान में खारा ही खारा पानी था और आरमी को अपनी शक्ति वेस्ट नहीं करनी चाहिये थी। वहां माइन्स बिछी हुई थी, हमारे एक ब्रिगेडियर की टांगे उड़ गयीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मंत्रीजी, विस्तारवादी हमारा लक्ष्य नहीं है। यह वे लोग बोल रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपकी तरफ इशारा थोड़े ही कर रहा था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप विस्तारवादियों की तरफ इशारा कर रहे थे।

श्री बरकतुल्ला खां : यह ऐसा लांछन लगाया और इस लांछन को समझना पड़ेगा कि किस मोटिव से लगाया। क्या मोटिव इसलिये था कि कांग्रेस को डिफिट किया जाय, एडमिनिस्ट्रेशन को डिफीट किया जाय। पुराने नेताओं ने सबक सिखाया वे नहीं रहे। उनको कांग्रेस ने सबक सिखाया कि उनकी संख्या 8 ही रह गयी है। (करतल-ध्वनि) सच्चाई की तरफ मुंह रखिये, सच्चाई की तरफ देखिये सच्चाई को ट्विस्ट मत करिये। सच्चाई उभर आती है।

(श्री बरकतुल्ला खान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवान, पढ़े लिखे क्रीम ऑफ दी सोसाइटी बेकार बैठे रहते हैं तो दिल में तकलीफ होती है। राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है जो डाक्टर देहात में जाकर रहना चाहेगा उनको काम करने के लिये 250) रुपया महीना पहले साल, 200) रुपया महिना दूसरे साल और 2 हजार रुपये का ऋण देते थे डिस्पेन्सरी को इक्विप करने के लिये उनको हम अब पांच हजार रुपया देंगे।

इसी तरीके से दूसरा सवाल है। हमारे टेक्निकली ट्रेन्ड पर्सोनेल हैं, चाहे इन्जीनियर्स हो या ओवरसीयर्स हों, चाहे और कोई हों, उस चीज को भी एक तरीके से रखना चाहते हैं, उसके लिये भी कदम उठायें। उसके साथ 2 मैं थोड़ी सी स्कीम बताना चाहता हूं आज जो चीज शुरू की है "लर्न, ओन यूवर इन्डस्ट्री"। एक यह है जब एक मशीन पर काम करने लग जायं तो इन्डस्ट्री एस्टेबीलिश करें। ऐसी तीन युनिटें आलरेडी प्रोडक्शन में थीं। इस तरह से यह किया है कि इन्डस्ट्रियल एन्ड मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन के द्वारा हमने इस बात की कोशिश की कि उनको ट्रेनिंग का मौका मिलना चाहिये। दूसरी तरफ हमने इस बात की भी कोशिश की कि हमने राजस्थान के अन्दर शेड्स बनाये जिसमें 33 परसेन्ट सरकार की ओर से कान्ट्रिब्युशन होगा और बाकी ऋण होगा जो आसान किश्तों के साथ दो साल बाद उतारा जा सकता है। इसी तरीके से टेक्निशियन कोओपरेटिव बनायी हैं जिनमें 11 इन्जीनियर काम कर रहे हैं उसमें रुपया दिया है। पांच लाख इस साल देने जा रहे हैं और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कोओपरेटिव फलें फूलें। कार्पोरेशन ने काफी अच्छा काम किया है टायर और ट्यूब बनाने के लिये।

इसी तरीके से आज का जमाना इलेक्ट्रोनिक्स का है। और इस जमाने में यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारे लड़के भी आगे आयें और इलेक्ट्रोनिक्स सीखें। जयपुर में बिरला के कोलेबोरेशन में एक इलेक्ट्रोनिक टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन बना रहे हैं और उसमें जो हमारे ब्रिलियेन्ट स्टुडेन्ट्स हैं उनको मौका दिया जावेगा कि वे लेटेस्ट इलेक्ट्रोनिक्स के ऊपर सीखें।

हायर पर्चेज सिस्टम पर कई बार परेशानी होती है। यह तय किया गया है कि देश की बनी हुई मशीनें होंगी बाहर की नहीं। देश ने काफी तरक्की करली है। हायर पर्चेज में यह रखा है कि टेक्निशियन्स स्माल स्केल इन्डस्ट्री लगाना चाहें उनको आर. ए. सी. दो लाख का ऋण देगी। न उसके लिए एग्रीमेन्ट होगा न डिपोजिट मनी होगी और ऋण भी 6 परसेन्ट पर दिया जावेगा जिससे सारी की सारी इन्डस्ट्री आसानी से लगाने का मौका मिले। हम खुद यह चाहते हैं कि क्रीम ऑफ सोसाइटी बेकार क्यों रहे लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हमारा इकोनामिक डेवलपमेन्ट नहीं होगा तो गवर्नमेन्ट और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की नौकरी पर कब तक निर्भर रहेंगे। मैं समझता हूँ दो लाख की रकम कम रकम नहीं है। इसके साथ साथ यह भी किया है कि दो लाख के इक्विपमेन्ट

(श्री बरकतुल्ला खान)

मंगायेंगे, एक बैंक से बातचीत चल रही है कुछ दिनों में ही फैसला हो जावेगा हमारी गारन्टी पर लाखों रुपया उधार दे दे। आहिस्ता 2 हम इस प्रोब्लम को टेकल करना चाहते हैं, टेकल कर रहे हैं और करते रहेंगे।

जहां तक पूल का सवाल था, जो इंजीनियर्स दो साल रह गये और अवधि खत्म होगयी उनको एक साल और रखा जावेगा। और उनकी ऐज लिमिट बढ़ाने के लिये राजस्थान गवर्नमेन्ट सोच रही है। उनकी ऐज लिमिट बढ़ा दी जायेगी ताकि वे कम्पीटिशन में बैठ सकें। हमने पी.एस.सी. से बात की है। कई दफा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जरिये इन्जीनियर्स को बुलाया जाता है और वे अधिकतर फर्स्ट क्लास को बुलाते हैं। इसलिये यह तय किया गया है कि सबको बुलाया जाये ताकि सब लोगों को मौका मिले कम्पीटिशन में बैठने का, वे अपनी काबलीयत दिखायें और काबलियत दिखाने के बाद जिसको सिलेक्ट किया जाये वह काम करे।

इसी तरीके से एन. बी. सी. में 700 इन्डस्ट्रीयल प्लाट्स बनाये गये हैं। 400 सीधे ही अलाट हो चुके हैं। वहां पर बिजली और पानी पहुंच चुका है। इसी तरीके से 100 प्री इनवेस्टमैन्ट यूनिट्स हैं। कई दफा लोग आते हैं कि हमारे पास में रुपया है इसको कहीं पर लगावें। वे चाहते हैं गाइडेंस। जब वे यह चाहते हैं तो नेचुरली वे टेक्नीकल आदमी के पास जायें। इसलिये हमने प्री इनवेस्टमेन्ट, रुपया लगाने के पहले, उनको स्कीम्स बताई जायें कि कितना मुनाफा हो सकता है, कितना रुपया लगाया जा सकता है। इससे काफी लोगों ने फायदा उठाया है और हमारी स्कीम्स को उन्होंने माना है।

माननीय अध्यक्ष, आपको जानकर खुशी होगी कि लेटर आफ इन्टेन्ट 7 नये प्रोजेक्ट्स के लिये आगया है और आशा यह करते हैं कि इसके अन्दर करीब करीब 24 करोड़ रुपया लगेगा। यह हाथ में आ चुके हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार का इसमें 32 करोड़ इनवेस्ट होगा। इसी तरीके से राजस्थान के अन्दर, यह तय हो गया है कि फरटीलाइज कम्पलेक्स का कारखाना लगेगा और यह छः साल के अन्दर काम करना शुरू कर देगा और इस पर 250 करोड़ रुपया खर्च होगा। ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार अपनी ओर से कोशिश नहीं कर रही है। हमारी कोशिश यह होगी कि भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा रुपया लावें और ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइज इन्डस्ट्रीज को हमारे यहां पर लावें।

पिछले 21 महिनों के अन्दर 327 स्माल यूनिट्स दी गई हैं। इनका रुपया क्लीयर हो चुका है। 15 साल में जो इन पर खर्चा हुआ है उस पर उससे ज्यादा हुआ है कम नहीं हुआ है। बराबर इस बात की कोशिश हो रही है कि राजस्थान का इन्डस्ट्रीलाइजेशन हो, मैं यह बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर राजस्थान के अन्दर आज के दिन जो हमारी मिले हैं लाडनूं के अन्दर उनके लिये भारत सरकार ने अभी कुछ महिनों पहिले इस बात का निर्णय कर

(श्री बरकतुल्ला खान)

लिया है कि ये इकोनोमिक यूनिट्स नहीं है। इसलिये उनको प्रोडक्शन के लिये स्पीन्डल दे रहे हैं। हमारी ये यूनिट्स अब तक नुकसान में चल रही थीं। अब उनके फायदे में चलने की गुंजाइश है और आशा करते हैं कि फायदा होगा।

इसी तरीके से मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाकर यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर अभी तक कुल मिलाकर जो इनवेस्टमेन्ट 67-68 में हुआ था वह 17 करोड़ था लेकिन फोर्थ प्लान के अन्त तक यह 106 करोड़ तक हो गया है और साथ ही साथ जैसा कि मैंने फर्टीलाइजर कम्प्लेक्स कारखाने के बारे में कहा है वह भी आने वाला है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि 72 के पहले दो महीने के अन्दर 10 लाइसेन्स रिकमन्डेशन किये गये गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने इन लाइसेन्सों को अप्रूव कर दिया है। इस तरीके से कुल मिलाकर राजस्थान के अन्दर मैं समझता हूं कि 374 करोड़ के आस पास आइन्दा 6 सालों में इनवेस्टमेन्ट होगा और मैं समझता हूं कुल मिला कर 450 करोड़ का टोटल इनवेस्टमेन्ट होगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान का भविष्य जो अन्धकारमय बता रहे हैं। वह उतना नहीं है। राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है, कमजोर नहीं है।

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के अन्दर 66 में 6145 यूनिट्स थी और आज 8970 यूनिट्स हो गई है। इसी तरीके से रूरल इन्डस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं। दो तरीकों से बनाने जा रहे हैं इन्टेन्सिव तरीके से टोंक और बांसवाड़ा के अन्दर सर्वे होगी। बाकी पूरे राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका भी सर्वे होगा और यह सर्वे भारत सरकार की ओर से होगा और इसके जरिये यह मालूम हो सकेगा कि किन किन एरियाज में क्या क्या पोटेन्शीयलिटिज और पोसीबीलीटिज है और किस तरीके से इन एरियाज को इन्डस्ट्रीलाइज्ड कर सकते हैं। इसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार होगी।

इसी प्रकार से हैन्डीक्राफ्ट एस्टेट राजस्थान में बनाने के लिये भारत सरकार ने तय किया है। हमारे यहां पर हैन्डीक्राफ्ट का काम करने वाले जो गरीब मजदूर हैं वे गलियों में रहते हैं, उनके अपने मकान नहीं है। काफ्ट को दिखाने के लिए जगह नहीं है। इसके लिये 50 लाख की स्कीम्स भारत सरकार ने बनाई है जिसके अन्दर उनके रहने का एक मकान होगा और नीचे एक दूकान होगी। तो भारत सरकार जहां हमारी मदद कर रही है उससे ज्यादा हम उसकी मदद चाहते हैं। जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उसके लिए तो उसको धन्यवाद देते हैं लेकिन साथ ही यह जरूर चाहते हैं कि भारत सरकार और हमको मौका दे ताकि जल्दी से जल्दी राजस्थान को इन्डस्ट्रीलाइज्ड कर सकें।

मेरी यह ख्वाहिश रहेगी कि इन्डस्ट्री पहले स्टेट सेक्टर में हो, ज्वाइन्ट सेक्टर में आवे और दोनों जगह में नहीं आती है तो प्राइवेट सेक्टर में आवे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यह आ जाती है, तो राजस्थान के अन्दर जो विश्वास प्राप्त किया है, जिस तरह से अर्जियां आ रही हैं, उसका मतलब यह लगता है और मैं समझता हूं कि वे यह

(श्री बरकतुल्ला खान)
जान गये हैं कि समाजवाद का जमाना आ गया है इसलिए जहां भी लगा सकते हैं वे लगा लें। मैं उनका स्वागत करता हूं जो राजस्थान में इन्डस्ट्रीज को लगाना चाहते हैं और राजस्थान के अन्दर इकोनोमिक जेनेरेशन करना चाहते हैं, जेनेरैटेड एक्टीविटीज करना चाहते हैं।

आपको यह जानकार खुशी होगी कि एक लम्बे समय से टायर ट्यूब फैक्टरी का झगड़ा चल रहा था। इसके अन्दर जो स्टेट्स थीं जिन्होंने जमकर मुकाबला किया। आखिर में भारत सरकार ने दस करोड़ का प्रोजेक्ट राजस्थान स्टेट के अन्दर दिया है और कुछ दिनों के बाद ही हम लोग इसको ज्वाइण्ट सेक्टर में लेकर काम शुरू कर देंगे। एक यह रास्ता था जिसमें....

श्री केदारनाथ : आइल रिफाइनरी के बारे में कह दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : आइल रिफाइनरी के बारे में बराबर लड़ाई कर रहा हूं। पत्र लिखे हैं। पब्लिकली भी कहा है और प्राइवेटली भी कहता रहा हूं। पूरी कोशिश करेंगे कि यह रिफाइनरी राजस्थान में आवे। पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स को भी ब्रीफ किया है और आशा करता हूं कि सब लोग मिलकर कोशिश करें और जो भी मिल सकता है उसको लें।

दूसरी चीज जो अब रह जाती है, मेरी नजर में इम्पारटेन्ट है और वह है कि मेरा मुंह किस का है। और जिस्म किसका है। शीशे में जब मैं शक्ल देखता हूं तो वह मुझे अपनी ही शक्ल लगती है, जिस्म भी लगता है और किसी का नहीं है। अगर किसी को देखने में तकलीफ होती है तो मेरा चश्मा नजर करता हूं...

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : विश्वास के साथ देखें तो जो कहा गया है वह बिल्कुल ठीक है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं तो आपकी नजर से देख रहा हूं। मुझ को तो अपना ही चेहरा नजर आ रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार दिन चिन्तन करके डायरियों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपका चेहरा दूसरों का है।

श्री बरकतुल्ला खां : चार दिन के चिन्तन में 15 साल की मुलाकात आपने खतम कर दी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार साल की डायरियां जब आप और हम मिलकर बैठते थे, उन डायरियों से निष्कर्ष निकाला था। मैंने कहा चेहरा दूसरा है, रक्त आप का हो सकता है, लेकिन चेहरा दूसरा है।

श्री बरकतुल्ला खां : यह डायरियां मैं पेश कर सकता हूं और क्या शकल निकलेगी वह बताना नहीं चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : इन्टुड्शन की वायस है।

श्री बरकतुल्ला खां : तो कोई यह माने कि पोलीटिक्स में कोई आइडियल्स नहीं होते हैं। मैं इतना कह दूं कि मैं यह मानूं कि पोलिटिक्स के अन्दर अन्तरात्मा की जगह नहीं है। इतना तो पोलिटिक्स में आने के बाद पोलिटिक्स में समझता हूं। दूसरों को दिखाई देने की चीज हो सकती

Page No 104

(श्री बरकतुल्ला खान)
है सीख देने की चीज नहीं हो सकती है। आइडियेलिज्म पोलिटिक्स में रहता है, लोग आइडियेलिज्म के लिए मरे हैं। लोगों में आत्मा रही है और लोगों की आत्मा मरी नहीं है, और यदि आत्मा मर जाती तो आज देश जिस जगह पर पहुंचा है वहां पर पहुँच नहीं सकता था। आज के दिन हर शख्स के लिए कह देना आसान है। 'गिव दी डाग बैड नेम एण्ड हैंग इट', कुत्ते को बुरा नाम दे दो और फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि जो अपने आपको कांग्रेसी कहते थे वे कांग्रेस के खिलाफ लड़कर कांग्रेस के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बड़ा अजीब मसला रहा है कि मैं भी कांग्रेस में एक वक्त था। आपने कांग्रेस से निकाल कर जो राहत ली उसके लिए आपको मुबारकबाद। सन् 67 में कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उससे इस्तिफा देने के बाद भी, और निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद भी, यह एक तस्फिये के आधार पर निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद भी, आपने जो रंग इस मसले को दिया है उस रंग के लिए आप को बहुत बहुत मुबारकबाद। कांग्रेस में न रह कर प्रतिज्ञापत्र जो भरा और जिस प्रतिज्ञापत्र को न मालूम कितनों ने भरा होगा उस प्रतिज्ञापत्र को आपने मेरे खिलाफ काम में लिया उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो कुछ भी मैंने किया और इसके लिए मुझको मुबारकबाद आप देते हैं तो इस आदमी ने कुछ किया तो सही।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इसके लिए एक मिसाल और दे सकता हूँ जिसमें यह कहा गया था कि God save me from my friends, I can look after my enemies.

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस फिकरे को मैं भी आपके लिए दुहरा देता हूं कि God save me from my friends, I can look after my deadly enemies.

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे ऐतराज नहीं बहुत खुशी से ले सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि पोलिटिक्स के अन्दर हृदय परिवर्तन होता है। जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो कि अलवर से आये हैं और इस वक्त मौजूद नहीं हैं किसी जमाने में वह हमारे साथ कांग्रेस में थे। कांग्रेस छोड़कर गये और कम्युनिस्ट पार्टी में आये और कम्युनिस्ट पार्टी उनसे कुछ नहीं तो हृदय परिवर्तन तो होता रहता है और हृदय परिवर्तन तो और ज्यादा होगा। सिर पर यह लिखने से कि हम समाजवादी हैं समाजवादी नहीं बनते। आज तो यह देखना है कि समाजवाद के अन्दर आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर हम समाजवाद के प्रोग्राम को लेकर चलना चाहते हैं तो यह देखना पड़ेगा कि साथ में एक दूसरे से कदम मिला कर कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसलिए आज के दिन मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे कि मावली से आने वाले माननीय

Page No 105

(श्री बरकतुल्ला खां)
सदस्य ने कहा कि अगर सिनेमा हाउसेज म्युनिसिपैलिटीज अपने रिसोर्सेज से बनाना चाहें तो राजस्थान सरकार हर तरह से उनको मदद करेगी। जैसा कि राजस्थान सरकार अपने खुद का स्वाभिमान रखकर बार बार भारत सरकार के सामने मांगने नहीं जा रही है वहां पर मैं भी चाहता हूं कि स्वायत्त शासन संस्थायें अपना स्वाभिमान रखकर जो इन्डाइरेक्ट नानटैक्स रैवेन्यू बढ़ाना चाहती हैं उसको मैं पूरा सहयोग दूंगा, लेकिन यह पासिबल नहीं है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेन्ट करके सिनेमा बनाये और उनको दे दे लेकिन मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने माननीय मुख्यमन्त्री जी यह नहीं कहा था कि गवर्नमेन्ट इन्वेस्ट करके दे। मैंने तो यह कहा था कि मोनोपोली जो सिनेमाज की अलग अलग सिटीज में हो गई है आप जब अपने तरीके से, समाजवाद के तरीके से, सोचते हैं तो इनको लिया जाकर स्टेट के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : मोनोपोलीज को मेरा खयाल है मैं बढ़ने नहीं दूंगा। मोनोपोलीज बहुत पहले से शुरू थी। हम इन मोनोपोलीज को तोड़ना चाहते हैं। मैं सरकार की तरफ से साफ कहना चाहता हूं कि जहां तक मजदूरों और किसानों का संबंध है उसके साथ राजस्थान सरकार की पूरी हमदर्दी है. उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। हमने अपने क्रिडेन्शियल्स भी दिये बाद में। जब एडवर्ड मिल बन्द हो गया तो सब कोशिश करके किसी न किसी तरीके से भारत सरकार को तैयार किया कि वह और हम मिल कर एडवर्ड मिल को ले लें। यह बात दूसरी है कि जब रोडवेज के कर्मचारियों के किस्से चले तब हमने इस बात की कोशिश की कि समझौता होना चाहिए और मजदूरों को कार्पोरेशन को सामने रख कर फैसला करना चाहिए। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक किसान और मजदूरों का संबंध है यह सरकार जहां तक उनके जायज हक हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी और जो भी सहमति दे सकती है देगी।

इसी तरीके से राज्य कर्मचारियों की जब हड़ताल हुई तो मैंने यह कहा था कि इसी सेक्रेटेरियेट में जो भी बैठने वाले हैं और इसी सेक्रेटेरियेट में हम भी बैठने वाले हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, मांगलो से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही थी वह सिनेमाओं के राष्ट्रीयकरण के लिए कही थी। एक संस्था 20–20 सिनेमा बनाती है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं और मोनोपोली वालों को बनने नहीं दूंगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कदम क्या है इस बारे में ? जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा नेशनेलाइजेशन इनका करना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, अभी क्या कदम उठाये जा सकते हैं यह नहीं कह सकता। वी विल डिसकस डिटेल्स, लेकिन जो मोनोपोली की हुई है उनको फरदर लाइसेन्स नहीं देंगे और मोनोपोली को खत्म किया जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बोलने दिया जाय। आप फिर पूछ लें जो पूछना हो वह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह बात पूछना चाहता था कि जिस प्रकार से आचार्यजी ने कहा तो वह सिनेमा भवनों की बात नहीं है। मैं जयपुर शहर का उदाहरण दूं कि.....

श्री राजेन्द्रकुमार मारतौया (बून्दी) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी तो माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी।

श्री केदारनाथ : कोई इन्टरल्यूड तो होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बट नाट आलवेज।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से जैसा कि मैंने कहा कि राज्य कर्मचारियों से हमने समझौता किया। मैं उनकी मीटिंग में गया था और मैंने उनसे कहा था कि आपको पीछे की बातें भूल जाना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है लौट लौट कर देखने का। हमारे पास इतना वक्त है कि सामने देखें और मंजिल की तरफ बढ़ते हुए चलें।

इसी तरीके से सबसे बड़ी जो समस्या है वह यह है कि हम राजस्थान के जो बोर्ड्स या कार्पोरेशन्स हैं उनमें मजदूरों को रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं, उन बोर्ड्स में देना चाहते हैं, कार्पोरेशन्स में देना चाहते हैं, स्टेट एन्टरप्राइजेज में देना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह हो गई कि लेबर के अन्दर कुछ फैसला नहीं हो पाता है। कुछ कहते है कि डाइरेक्ट इलेक्शन्स से होना चाहिए और कुछ मेजोरिटी यूनियन के नोमीनीज का कहते हैं। मैं बराबर भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहा हूं और मैंने यह भी कहा है कि कुछ फाइनल पिक्चर आप इवाल्व कर दें और उसको बता दें। अगर इलेक्शन से हो तो इलेक्शन करा दें और नोमीनी आफ मेजोरिटी यूनियन का करना हो तो वह कर दें, लेकिन हर तरीके में कोई तैयार हो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सारे सदन को कि हमारी इस बात में बराबर कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी स्टेट एन्टरप्राइज में लेबर का रिप्रेजेन्टेशन हो जाय।

नौजवानों के सम्बन्ध में युनिवर्सिटीज का जहां तक सवाल है राज्यपाल महोदय ने बहुत साफ कहा है और मैं समझता हूं कि किसी के मन में उससे शंका नहीं हो सकती, और न शंका होना चाहिए, और यह भी मैं साथ में अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह बिल हम जल्दी ही ला रहे हैं और जितनी भी युनिवर्सिटीज में जो स्टूडेन्ट्स पकड़े गये हैं और जिन पर मुकद्दमें चल रहे हैं वे चाहे किसी युनिवर्सिटी में हों और अगर उनका कालेज से सम्बन्ध हो—कहीं और बाहर जाकर जुर्म किया हो तो उनको मैं नहीं कहता—लेकिन उनके लिए मुकद्दमें विदड्रा

(श्री बरकतुल्ला खां)।

करने के लिए, जो भी युनिवर्सिटीज के स्टूडेन्ट्स की मांग चल रही है, उनके लिए आदेश दे दिये गये हैं कि उनको विथड्रा कर लिया जाय।

चूंकि इन नौजवानों से आशा करता हूं कि वे इस देश के भविष्य के बनाने वाले हों, और उनके ऊपर शुबह करके नहीं चला जा सकता है। यह भी मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान अपनी जिम्मेदारी को निभायें। तभी यह देश उनके हाथ में आ सकता है।

एक माने में अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल हो गई है। यह सबसे बड़ी मुश्किल हो गई है कि अगर हम अपनी नीतियों के बारे में कहते हैं तो उसको 'फोर वार्न' कहा जाता है। अगर हम कुछ भी नहीं कहते हैं तो वह 'बाई डिफाल्ट' कहा जाता है। क्योंकि अपनी नीतियों के बारे में हमें मास मैण्डेट दे, जिससे कि शहरी सम्पत्ति पर हम सीलिंग लगाते हैं, तो हमें जनता के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे घोषणा पत्र में लैण्ड रिफार्म और लैण्ड सीलिंग की बात कही जाती है। अगर न कहे तो हान्स आफ डिलेम्मा में हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय ज्यादा अच्छा यही है कि हम जो करें, उसको कह दें। लैण्ड रिफार्म के बारे में जो कहा है, वह हम पूरा करेंगे। सीलिंग में जो कमी रही है, वह मैं पूरी करूंगा। इससे मेरा मतलब यह है कि लैण्ड रिफार्म में जो कमी रही है, वह मैं इसी बजट सैशन में, जो आने वाला है, उसके अन्दर पूरा करूंगा। सदन चाहेगा तो उसके अन्दर पूरा करेंगे। लेकिन हम कहना नहीं चाहते हैं।

इसी तरह से अरबन प्रोपर्टी सीलिंग की बातें हम कहना चाहते हैं। यह होशियार आदमियों को पहले ही पता है। क्योंकि इस पर तो पार्लियामेण्ट में भी बोला गया है। सब को मालूम था कि शहरी सम्पत्ति के सीलिंग का कानून आयेगा। उसके बारे में जिनको जो कुछ करना था, जो जिसके नाम करना था, वह उन्होंने कर लिया है। अब शायद कोई जाहिल ही ऐसा रहा होगा जिसने कुछ भी न किया हो। हम सीलिंग लाना चाहते हैं। हम इनकम को ऐसा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, वह वापिस आ जाये। हमने इसके लिए कोशिश की है और ईमानदारी से कोशिश की है। राज्य में सीलिंग लागू हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कुछ लोगों के पास जमीन बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है। मुझे इस बात का दुःख है कि जो जमीन अलाट हुई है, वह हरिजनों और आदिवासियों को कम मिली है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह अफसरों को ईमानदारी से करना पड़ेगा, पूरी ताकत से करना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी हुई जातियों।

श्री बरकतुल्ला खां : हरिजन, आदिवासियों को कुछ परेशानियां थीं। वहां भी मैं गया हूं मैंने उनकी परेशानियों को, दूर करने की पूरी कोशिश की है। कोई न कोई रास्ता निकाल कर उनकी परेशानियों

(श्री बरकतुल्ला खां)
को दूर किया है। उनके विभाग में एक गलतफ़हमी थी हमने उनके लिये 28% दिया है। लेकिन एक साथ कोई जगह नहीं हुई। कभी एक जगह निकली कभी दो। कभी तीन निकल गई। जिसमें कि 28% नहीं आ सकता है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने अब रोस्टर सिस्टम लागू किया है। जब तक उनका पुराना कोटा पूरा नहीं हो जाये उस वक्त तक उनको 50% कोटा मिलना चाहिये। (हर्षध्वनि) खासतौर से हमारे हरिजन भाइयों और आदिवासी भाइयों के विभाग में यह भी था, इसीलिए राजस्थान सरकार ने एक बहुत काबिल आदमी को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजा है। इस आदिवासी भाई के वहां जाने से अब कोई शिकायत किसी को नहीं होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जमानें में हमें आगे बढ़ना है। जहां भी पीने के पानी की समस्या है हमें उसको दूर करना है। कई जगह पीने का पानी नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले साल में कम से कम 10 करोड़ रुपया, इस पीने के पानी पर हम लगायेंगे। (हर्षध्वनी) आजादी के इतने दिनों के बाद लोगों को अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो हमने क्या किया है। लोग 6, 6 मील से पानी लायें। 10, 10 मील से पानी लायें, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिये हम 10 करोड़ रुपया इस पर लगायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर की बनास योजना भी इसमें शामिल है क्या ?

श्री बरकतुल्ला खान : वह अलग है। बनास [illegible] अलग हैं। यह तो रूरल वाटर सप्लाई के लिये है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर): बनास योजना कार्यान्वित तो की जाएगी ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जयपुर में पानी की कमी नहीं आने दी जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ डेढ लाख गैलन पानी दिया जा रहा है। जब कि 5 लाख गैलन पानी की जरूरत है। बार बार मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि बनास योजना का काम शीघ्र ही पूरा किया जायेगा। जयपुर की पानी की समस्या दूर की जायेगी।

श्री बरकतुल्ला खां : इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवामहल) 13 करोड रुपये की बनास योजना थी। दिसम्बर से खर्चा करने का आश्वासन दिया गया था। मुझे पता चला है कि इस मन्त्रि-मण्डल ने शायद विचार करना स्थगित कर दिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जयपुर शहर की पानी की समस्या को हल करने के लिए बनास योजना के लिए 13 करोड रुपये का खर्चा हो, ऐसा आश्वासन सदन को आप दें।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट बहुत ही करीब आ रहा है। उस पर कट मोशन आ जायेंगे और इससे सम्बन्धित मंत्री जवाब दे देंगे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): हम यह चाहते हैं कि जो पानी मिल रहा है वह

(श्री केदारनाथ)
पोस्टपोन्ड नहीं हो। कम से कम इतना कर दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : यहां पर इतने सारे प्रपोजल्स आये हैं इन पर विचार कर के जब बजट आयेगा, कट मोशन के वक्त मंत्री महोदय इसके बारे में बता देंगे।

मैं ज्यादातर जो जनरल बातें हैं उनकी तरफ ध्यान, पालिसी की तरफ ध्यान और दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात की गई, पौंग डेम बन गया, पूरा हो गया तो राजस्थान के अन्दर यह क्षमता है या नहीं कि उसका सारा पानी ले सके। मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हम ज्यादातर पानी⋯

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक मुख्य मंत्रीजी का जवाब हो तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़): प्रस्ताव पास हो तब तक के लिये समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सदन की अनुमति है कि सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय उस समय तक के लिये बढ़ाया जाता जब तक धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो।

श्री केदारनाथ : चीफ व्हिप समय के बारे में काफी विजिलेंट हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : यह चिन्ता का प्रश्न है, पौंग डेम बन जाय, पानी मिले और हम उसका लाभ न ले सकें। यह बात सही है, जो फर्स्ट फेज कम्पलीट हो रहा है फोर्थ फाइव ईयर प्लान के आखिर में उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि पानी गंग केनाल, भाखरा केनाल में डाइवर्ट कर दिया जाय ताकि पानी एक फसल के बजाय दोनों में, रबी में और खरीफ में मिल सके।

श्री बिरदाराम : अध्यक्ष महोदय⋯

श्री अध्यक्ष : आप बैठें।

श्री बिरदाराम (जालोर) : नर्बदा का पानी बाड़मेर में आये इसके लिये⋯

श्री बरकतुल्ला खां : यह बड़ा सवाल उठाया है नर्बदा के पानी के लिये हमारी तरफ से सारी जद्दोजहद है. नर्बदा का पानी राजस्थान को मिले। इससे बढ़ कर खुशी की बात नहीं हो सकती। हमने ट्रिब्यूनल के सामने वकील भी रखा है और बड़े बड़े वकील से राय भी ली है। मैं यह समझता हूं कि बाड़मेर की ओर, खास तौर से जहां पर कहीं से पानी नहीं जा सकता, केवल वहीं से पानी आ सकता है और उस पानी से चल कर आगे तरक्की कर सकते हैं, इसलिए राजस्थान सरकार अपनी ओर से खास तौर से कोशिश कर रही है और ट्रिब्यूनल का फैसला क्या होगा⋯

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ट्रिब्यूनल का फैसला तो उल्टा दे दिया गया है-यह जानकारी है आपको या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह मालूम है, जो फैसला किया है उसकी अपील कर सकते हैं।

Page No 110

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ट्रिब्यूनल ने फैसला उल्टा कर दिया है, राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ट्रिब्यूनल ने किया है तो अपील की गुंजाइश है और लीडिंग लायर्स से दिल्ली के अन्दर मिल कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बिरदाराम : मैं निवेदन करूं, साही नदी है; वह जवाई बांध में··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रहने दीजिये।

श्री बिरदाराम : साही नदी का पानी जवाई बांध में आता है तो बारह हजार एकड़ में सिंचाई हो सकती है। अगर वहां से पानी आ सकता है तो 28 हजार एकड़ में पानी आयेगा, जालोर में पानी आ सकता है। इसकी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: बैठें।

श्री बरकतुल्ला खां : साही नदी का काम चल रहा है। साही नदी को लेकर जवाई में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरा काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्षजी, शिक्षा के बारे में कह रहा था, वह मैं समझता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, वह यह कि यूनीवर्सिटी के जो टीचर्स और स्टाफ हैं उनको भी रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिए। उनके इन्टरिम रिलीफ का क्वेश्चन था वह भी राजस्थान गवर्नमेंट ने तय कर लिया और जहां इन्टरिम रिलीफ और लोगों को दिया है उसमें जो पहले टेक्नीकल आब्जेक्शन था वह वेव आफ कर दिया है और तीनों यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टाफ को इन्टरिम रिलीफ दे दिया गया है।

आखिर में, माननीय अध्यक्ष महोदय; आपके द्वारा पूरे सदन का ध्यान दिलाऊंगा और एक बहुत ही शानदार बात जो हमारी पुलिस ने की है, उसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। धौलपुर का फूला गेंग जो बहुत मशहूर था, और जिसके ऊपर दस हजार का इनाम था, जिसके ऊपर आगरा और मध्य प्रदेश के अन्दर मुकदमें चल रहे थे, वह 106 में आगरा के अन्दर इन्वाल्ब्ड था और राजस्थान के अन्दर इन्वाल्ब्ड था 48 केसेज के अन्दर। वह मारा गया। पुलिस से एन्काउन्टर हुआ वह मारा गया। फूला का साथी, नत्थी भी मारा गया। पूरा गैंग लिक्वीडेट हो गया। मैं वहां के पुलिस कर्मचारियों को, खास तौर से एस. पी. नारायण सिंह को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने डाकुओं का मुकाबला किया। अब राजस्थान के अन्दर कोई बड़ा गैंग नहीं रह गया, सिवाय एक गैंग के जो कोटा के अन्दर आपरेट कर रहा है। अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस गैंग को लिक्वीडेट करके राजस्थान के इन हिस्सों में डाकुओं से निजात दिलायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय···

एक माननीय सदस्य : छोटों पर ध्यान दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : काहे के लिए ?

आज एक और दुर्घटना हुई, उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता था। समय

(श्री बरकतुल्ला खां)

के अभाव की वजह से ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो सवाई माधोपुर के अन्दर घटना हुई, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है । मंदिर को मूर्तियां चोरी जाय-इससे बुरा काम हो नहीं सकता । किसी के घर में चोरी करायें, पैसा कमाने के लिए ले जायं, मतलब के लिए ले जायं फायदे के लिए ले जायं-इससे बुरी चीज हो नहीं सकती । इसके अन्दर ज्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं यह अर्ज करूंगा कि जो रिपोर्ट मेरे पास आई हैं उसके अनुसार जैन मन्दिर और कोतवाली सवाई माधोपुर बराबर में हैं । रात को साढ़े दस बजे 24 मार्च, 72 को मूर्तियां चोरी की गई । बराबर के अन्दर जो देवी रहती है; उसने शोर मचाया । उस पर मूर्तियां छोड़ कर चोर भाग गये और उसके बाद लोगों को इस पर रोष था कि पहले जो चोरियां की उनकी पूरी बरामदगी नहीं हुई और मन्दिर की मूर्ति जो चोरी की जा रही थी, उसके बारे में उन्हें बहुत रोष था वह रात के साढ़े बारह बजे के करीब कलेक्टर और एस. पी. के मकान पर पहुंचे कलेक्टर और एस. पी. उनके साथ पुलिस थाने पर गये और उस वक्त वहां के एस. एच. ओ. को उसके चार्ज से हटा कर होम इन्सपेक्टर को उसका चार्ज दिला दिया गया । कलेक्टर और एस. पी. सुबह साढ़े चार बजे अपने घर पर आये और लोग बाग हट गये । सुबह सात बजे 25-3-72 को फिर लोग जमा होना शुरू हुए पुलिस थाने के बाहर । कलेक्टर और पुलिस को जैसे ही खबर मिली वह साढ़े सात बजे के करीब पुलिस थाने पर पहुंचे और लोगों को कहा कि आप मेहरबानी करके डिस्पर्स हो जाय । उस दिन से खास तौर से दो बड़े मेले थे-एक केला देवी का था वहां और दूसरा था महावीर का । सारी पुलिस वहां लगी हुई थी, इसलिए जो पुलिस वहां मौजूद थी, सात आठ मौजूद थे । वहां के लोगों ने इस बात को कहा कि एस. एच. ओ. का मुंह काला किया जाय और उसके हथकड़ी लगाई जाय, उसको गधे पर बिठा कर निकाला जाय । तो उसके बाद यह डिमाण्ड ऐसी थी जिसको कोई कर्मचारी कन्सीड नहीं कर सकता था लेकिन यह उनको विश्वास दिलाया गया. एस. एच. ओ., ए. एस. आई. और जो कान्स्टेबल हैं, उन लोगों को हम सस्पेन्ड कर देंगे । इसके ऊपर इन्कवायरी शुरू कर दी जायगी । इसके बाद मामला बिगड़ा, पुलिस की ओर पत्थर फैंके गये और इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन को बिल्डिंग के ऊपर आग लगाई गई, पुलिस जीप भी जलाई गई और मोटर साईकिल जलाई गई सारा सामान अन्दर था पुलिस बैरक्स में वह जलाया गया । यह सारा नुकसान गवर्नमेंट की प्रापर्टी को हुआ । लेकिन पुलिस ने काफी रेस्ट्रेन करते हुए 18 टीअर गैस छोड़ें । टीअर गैस से मजमा नहीं हटा तो नौ राउण्ड हवा के अन्दर किये गये । फिर दुबारा बातचीत शुरू हुई । बातचीत शुरू होने के बाद मजमा फिर जोश और गुस्से में आया । यह कहा गया, एस. एच. ओ. हमारे सामने आये, माफी मांगे, लेकिन इसके अन्दर काफी लोग ऐसे थे जो स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे । कलक्टर और एस. पी. तहसील में फोन करने गए । उनके पीछे पीछे पत्थर फैंके,

(श्री बरकतुल्ला खां)

तहसील की बिल्डिंग के अन्दर कलक्टर की जीप जलाई गई और एस. पी. की गाडी को नुकसान पहुँचाया। तहसील की प्रापर्टी को आग लगाई गई और उसके बाद काफी रेकार्ड जला दिया। कुल मिला कर 23 आदमी जख्मी हुए, जिनमें से कलेक्टर और एस. पी. भी हैं। इनमें से 20 पुलिस के है और 3 मौके के हैं। इस तरीके की वारदातें अगर पुलिस थानों पर होती रहीं तो मुश्किल हो जायगा ला एण्ड आर्डर कायम करना और कुछ भी कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। मैं मानता हूं, इन्डिस्क्रमिनेट पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए लेकिन जिन्होंने पुलिस थाने को जलाया, तहसील बिल्डिंग को जलाया, तार काटे और प्राइवेट कोआपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, उन पर मुकदमा चलाना पड़ेगा और इन पर जो कार्यवाही होगी, करेंगे। लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि लोगों को नाजायज तरीके से दबाया नहीं जाएगा और नाजायज लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा।

श्री मोहम्मद गफकार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं मालूम करना चाहूंगा कि मेरी इन्फार्मेशन है कि उस मंदिर में जाने के रास्ते दो थे एक सदर दरवाजा था और एक थाने में से होकर। सदर दरवाजा बंद था चोर दरवाजा बंद करके निकला तो यह सही है कि वह थाने में से होकर गया ? दूसरी बात जो मजमा एस. पी. साहब के पास गया तो उनका कहना था कि चोरी के मामले में मेरी नींद क्यों डिस्टर्ब की ? यदि यह सही है तो बिन आफीसर्स ने धार्मिक जज-बात को ठेस पहुँचा कर इस तरह का रूख अख्तयार किया तो क्या सरकार उनके खिलाफ जांच कर रही है और तथ्यों की जानकारी कर रही है जिसका मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है ? इसलिए मैं मालूम करना मुनासिब समझूंगा क्योंकि यहां के सदस्यों को हकीकत मालूम होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : यह जो मूर्ति चोरी का मसला है वह हिन्दुस्तान और दूसरे राज्यों में जैसे है उसी तरह राजस्थान में भी अमरीका के लोग खरीदते हैं और राजा महाराजाओं की पुरानी मूर्तियां जयपुर का राजघराना और दूसरे राजघरानों के प्राचीन चित्रों की चुपचाप खरीद और फरोख्त करते हैं। उनको भारी रकम अमरीका से मिलती है। उसी सिलसिले में सुनियोजित तरीके से बड़ी गैंग्स का हाथ होता है और कई मूर्तियों की चोरी इस प्रकार हो चुकी है। तो मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के निवारण के लिए और जो बिहाइण्ड दी कर्टेन ब्रेन काम करता है अमरीका और राजघराने का, उसके लिए क्या कार्यवाही की ?

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा और गिरधारी लाल भार्गव साथ साथ बोलने लगे)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा है। सही स्थिति यह है कि सवाई माधोपुर में कुछ वर्षों से लगातार चोरियों की घटनायें घट रही हैं। जनता वहां की बड़ी आतंकित है। 24-3-72 की रात्रि को 10॥ बजे जैन मंदिर, जिसका नाम सांवरिया है,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
उसमें प्राचीन तीर्थंकर की मूर्तियों की चोरी हुई और जैन मंदिर ठीक थाने के साथ सटा हुआ है और चोरी हो जाने के बाद...

श्री केदारनाथ : प्रश्न पूछिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न पूछें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (श्री हांडा से) : आपको बोलने की जल्दी हो तो मैं पीछे बोलूं । मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है ।

श्री अध्यक्ष : इस समय स्थगन प्रस्ताव पर बहस नहीं हो रही है ।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि इसका जवाब डिबेट में दूं इसलिए जवाब दे रहा हूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ज्यों ही मंत्री महोदय से जानकारी मिल जाएगी, वह सदन में रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था, स्थगन प्रस्ताव के बारे में सरकार से जानकारी चाही गई है, आपने फरमाया था कि जो कुछ जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके, वह दी जाए तो मैंने कहा था कि मुख्य मंत्री महोदय जब बोलेंगे उस समय जो वाकियात सामने आयेंगे वह बता देंगे । आपके स्थगन प्रस्ताव का फैसला तो अलग है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं जानकारी चाहता हूँ, भाषण नहीं देना चाहता ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो जानकारी मुख्य मंत्री ने दी है वह बिल्कुल गलत है क्योंकि......

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : व्यवस्था दी जा चुकी है, माननीय सदस्य फिर मुख्य मंत्री के भाषण को डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ । मुख्य मंत्री ने जो तथ्य रखे हैं....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : चेयर की तरफ से रूलिंग दी जा चुकी है कि आपका स्थगन प्रस्ताव...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : (श्री गिरधारी लाल से) : या तो आप प्रश्न पूछें या मुझे पूछने दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । 24 तारीख को चोरी हुई उसके बाद चोर को पकड़ लिया गया और पकड़ कर छोड़ दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ रहे हैं या सूचना दे रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सदन के सामने सही तथ्य रखना मेरा कर्तव्य है । कलक्टर महोदय जिस समय भाषण दे रहे थे और लोगों को संतुष्ट करके अन्दर चले गए । जनता बाहर खड़ी थी, किसी प्रकार की वार्निंग नहीं दी गई, वहां पर लाठी प्रहार क्यों किया गया ?

श्री हरदेव जोशी : डिबेट शुरू हो गई।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : प्रश्न नहीं पूछ रहे है। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनता को बिना वार्निंग दिए उन पर लाठी प्रहार किया गया, गोली चलाई गई।

श्री अध्यक्ष : मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी चाही गई है। उसका समय आने पर फैसला किया जावेगा। वाद-विवाद होगा तो होगा। इस बीच में जो सूचना मुख्य मंत्री से मिली सदन को दे दी। इस पर बहस करना उचित नहीं। स्थगन प्रस्ताव पर अलग अवसर आपको मिलेगा।

श्री बरकतुल्लाखां : पिछले साल एजुकेटेड अनएम्पलाइड के लिए भी हमने प्रावधान किए और आपको जानकर खुशी होगी कि 2600 टीचर्स को एम्पलाय किया है और यह रुपया ओवर एण्ड अबाव प्लान के भारत सरकार से मिला है। मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष भी भारत सरकार की ओर से हमें रुपया मिलेगा और हम एजुकेटेड अनएम्पलाइड जो टेक्नीकल ट्रेन्ड नहीं हैं, उनको राहत पहुँचा सकेंगे।

इसी तरह से आज राजस्थान के फाइनेन्सेज की हालत को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने पड रहे हैं जिनको उठाने में हमें सुख नहीं है बल्कि दुःख है। कांग्रेस ने हमेशा प्रोहिबीशन के अंदर विश्वास रखा था। हम प्रोहिबीशन को स्क्रेप नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इस स्थिति में नहीं हैं कि 10 करोड रुपए का घाटा 1 अप्रेल से बरदाश्त कर सकें इसलिए कुछ समय और के लिए जो पोलिसी निर्धारित हुई थी उसको आगे पोस्टपोन कर रहे हैं और इस बात को कोशिश करेंगे कि जैसे ही राजस्था की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, राजस्थान मे प्रोहिबीशन लागू कर दी जाए। लेकिन इसके साथ यह सेफगार्ड जरूर कर रहे हैं कि जो पे डे होगा उस दिन शराब नहीं मिलेगी। मजदूरों का जो पे डे होगा उस दिन नहीं मिलेगी। मजदूरों की लोकेलटी में शराब की दुकान नहीं होगी। जहां प्रामीनेन्ट धार्मिक प्लेसेज हैं उनके पास दुकान नहीं होगी और यूनीवर्सिटीज और कालेजेज के पास दुकानें नहीं लगेंगी।

अगर कम्यूनिस्ट पार्टी को कुछ और कहना हो तो मैं बहुत ही खुशी से सुनने को तैयार हूँ और उसका जवाब भी देने को तैयार हूं। मैं समझता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य कार्ल मार्क्स में विश्वास नहीं करते हों तो दूसरी बात है··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। आपसे पहले घासीराम यादव ने काफी प्रचार कर दिया है उसके बारे में।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धन्यवाद का जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस सदन में आया है उसे पारित किया जाय।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी मुख्य मंत्री से इसके पहले पूछना चाहूंगा। माननीय

(श्री झावरमल)

मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी अपना भाषण दिया है उसमें ग्राम पंचायतों और पंचायतों के चुनावों के बारे में साफ-साफ नहीं बताया कि वह कब होंगे। जरा उसका स्पष्टीकरण कर दें तो सही स्थिति का पता चल जाय। या इसके बारे में कोई रिपोर्ट हो तो।

श्री केदारनाथ (गंगा नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी जवाब दिया है उसमें यह नहीं कहा कि जो छठा फाइनेन्शियल कमीशन आने वाला है उसमें स्टेट और सेन्टर के अन्दर जो डिफरेन्स चल रहा है ओटोनोमी के बारे में उसमें स्टेट गवर्नमेन्ट का क्या रुख है? दूसरे क्या स्टेट गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर जोर डालेगी इस बात का कि फेमिन के वक्त जो खर्चा किया गया था उसमें कुछ एक्सेस खर्चा इधर-उधर का हो गया? उस एक्सेस एक्सपेन्डिचर के बारे में जो कि करीब 32 करोड़ रुपया है क्या वह इसमें एडजेस्टमेंट कराने की कोशिश करेंगी, क्या वह एडजस्ट करवा सकेगी जोर डाल कर? इसके अलावा एक जानकारी मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में चाहता हूं उसके प्राइसेज के बारे में। तीसरे आपने जिस तरह से जयपुर में झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते थे उन्हें उस जमीन का कब्जा देने की घोषणा की है वह क्या सिर्फ एक्सक्लूसिवली जयपुर शहर के लिए ही लागू है या दूसरे शहरों में भी इस प्रकार की झुग्गी झोंपड़ियों वालों को भी वह जमीन अलोट कर दी जायेगी? इसमें गवर्नमेन्ट की क्या पॉलिसी रहेगी इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहता हूं? इसके अलावा चौथी बात है वह है कि जिस तरह से गवर्नमेन्ट ने टेक्निकली क्वालिफाइड अन-एम्प्लायड यूथ्स को जो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है वह क्या नानटेक्नीकल क्वालिफाइड यूथ्स को भी स्टाइपेण्ड देने का गवर्नमेन्ट सोच रही है? थोड़ी इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ।

श्री बरकतुल्ला खां : क्या? किसके बारे में?

श्री केदारनाथ : बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। जब गंगानगर किसान आन्दोलन हुआ था उसके बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी बनायी थी जिसने काश्तकारों की 5—6 तरह की कैटेगरीज बनायी थीं—एक तो टेम्प्रेरी, दूसरे परमानेन्ट, तीसरे जो जागीरदारी से जागीरदारों को जमीन मिली उसके बारे में, चौथे वह लोग जिन्हें वाई ट्रान्सफर वहां पर जमीन मिली हो उसके बारे में। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो वह कमेटी बनायी थी इस बात के लिए उसकी एक बार भी मीटिंग नहीं हुई। उस कमेटी ने क्या-क्या किया उसके बारे में? इसके अलावा राज्य सरकार ने जो मोतीराम कमेटी बनायी उसने क्या रिपोर्ट राज्य सरकार को दी? इसमें उनके लिये क्या-क्या रिकमण्डेशन्स की गयी हैं और जो रिकमण्डेशन्स की गयी हैं उन्हें कब से लागू किया जायेगा? एक आपने आदेश दिया था कि जिन हरिजनों के पास जो भूमि एक जनवरी, 70 से उस एरिया में कब्जे में है वह उनसे

(श्री योगेन्द्रनाथ हाड़ा)

नहीं ली जायेगी और कोलोनाइजेशन से उनको कब्जा मिल जायेगा। इसके अलावा रेजीडेन्शियल कोलोनोज के बारे में भी राज्य सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही ह? इसकी जानकारी राज्य सरकार से चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न मुख्य मंत्री महोदय से है वह यह है कि हालांकि राज्य सरकार ने व केन्द्रीय सरकार ने राजा महाराजाओं के प्रिवोलेजेज खतम कर दिये हैं, उनके प्रिवीपर्सेज समाप्त किये जा चुके हैं, फिर भी वह जिनके पास कि हथियार थे, जिनमें कुछ तो लाइसेन्स वाले हैं, कुछ बगैर लाइसेन्स वाले हैं, उन्हें खुले आम बेच रहे हैं, इन्हें रोकने की व्यवस्था के बारे में। ताकि वो इमसे नाजायज लाभ नहीं उठा सकें। मैं इसलिये यह बात निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वे सिर्फ हथियार ही नहीं बेच रहे हैं पर इसके साथ-साथ जो पुरानी एन्टीक्यूज की चीजें हैं वे भी बेच रहे हैं, उनको खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये सभी काम आज राम बाग पेलेस में खुले आम किया जा रहा है और अमेरीकन्स और दूसरे फारिनर्स को बेच रहे हैं जो कि नाजायज है। क्योंकि इनके प्रिवीलेजेज समाप्त हो चुके हैं इसलिये भी अब एक साधारण नागरिक हो गये हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अब प्रिन्सली प्रिवीलेजेज के खिलाफ राज्य सरकार कौनसा फोलो-अप का कार्य कर रही है? यह फोलो अप का कार्य करना जरूरी है नहीं तो ये लोग जो आज राम बाग पेलेस में बैठे हुए एक प्रकार से पेरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्योंकि नाजायज हथियारों का खरीद फरोख्त कर रहे हैं और और भी कई प्रकार की गड़बड़ियां आज राम बाग पेलेस में की जा रही हैं–उन्हें तुरन्त समाप्त किया जाय। इसके अलावा जब प्रिन्सली प्रिवीलेजेज खतम हो गये हैं तो आज जो जयपुर के महाराजा ने राम बाग पेलेस को टाटाज को बेच दिया और जब देश में शहरी सम्पत्ति की सीमा लागू हो रही है तो इस प्रकार के इनके गैर-कानूनी कार्यों को तुरन्त रोका जाना चाहिये ताकि राज्य सरकार जो सीलिंग कानून बना रही है उसका पूरा फायदा जनता को मिल सके। तो आज इन सभी मामलों पर राज्य सरकार इनको समाप्त करने के लिये क्या फोलो अप का काम कर रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाह रहा हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है वह यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो अकालग्रस्त क्षेत्र के लिये जो 339 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है, उसमें फलोदी क्षेत्र के बारे में कितनी धनराशि अलोट की गयी है? उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं चहता हूं क्योंकि फलोदी तहसील और उसके आसपास के इलाके में बड़ा ही भयंकर अकाल पड़ा था और यह पानी की कमी के कारण हमेशा से ही अकालग्रस्त क्षेत्र रहा है। इस तरफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? उसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं। इसके अलावा जो भी धनराशि आपने रखी है और जो विकास कार्य आप कर

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

रहे है वह प्राईवेट ठेकेदारों से न करवा कर राज्य सरकार द्वारा ही कराये जाने चाहिये। इसमें जो राशि अलोट हुई है वह कब से खर्च होगी और कितनी होगी? तथा इसके साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में जनता को राहत देने के बारे में···

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है कि···

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि उदयपुर डिविजन में जो अकाल के कारण फसल जल कर नष्ट हो गयी है उसके बारे में मुख्य मंत्री से मैं यह निवेदन करूंगा कि···

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है कि मुख्य मंत्री महोदय ने जो काश्तकारों को जमीन देने के बारे में घोषणा की है (कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, आन ए पोईन्ट आफ आर्डर जब व्यवस्था एक बार यह दे दी गयी है कि एक सदस्य एक ही सवाल पूछें तो उसका अमल क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मेरा निवेदन है कि जब मैंने यह व्यवस्था दे दी है कि एक ही प्रश्न एक माननीय सदस्य पूछें। यह बात ठीक नहीं है कि एक माननीय सदस्य कई प्रश्न पूछें। अब भाषण नहीं होगा प्रश्नों का नाम लेकर।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल यह है आपके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से कि भोपालगढ़ और जमवा रामगढ़ के आस-पास, रामगढ़ के बान्ध के आसपास के इलाकों में रामगढ़ के बन्धे से सिंचाई के लिये पानी देने की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है ? इसके बारे में मेरा निवेदन है कि, अध्यक्ष महोदय,···

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे कह दिया कि भाषण नहीं होगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : भाषण नहीं दे रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय। मैं तो यह पूछ रहा हूँ जमवा रामगढ़ के आसपास के इलाकों में रामगढ़ बान्ध से पानी सिंचाई के लिये काश्तकारों को देने के बारे में···

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री मुख्य मंत्रीजी।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी मुश्किल है कि 4 चार घन्टे तक मैं इसी तरह से प्रश्नों का जवाब देता रहूंगा और यह कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। इतनी देर हो गयी है एक ही सदस्य कई प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। कपास की फसल के बारे में मेरा भी यह निवेदन है कि [illegible]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरे भी कुछ प्रश्न हैं। एक तो यह है कि जयपुर शहर के विकास के लिये···

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलालजी बैठिये। उनका पोईन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री केदारनाथ : क्या जोशीजी फैमीली प्लानिंग के बारे में पोइन्ट आफ आर्डर चाहते हैं?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुतल्लिक निवेदन करना चाहता हूं कि जब व्यवस्था आसन द्वारा दी जा चुकी है कि एक माननीय सदस्य एक ही प्रश्न पूछे तो एक ही माननीय सदस्य इस तरह से कई प्रश्न करके प्रश्नों की बौछार क्यों कर रहे हैं? दूसरे एक साथ अभी नये नये प्रश्नों का जबाब देना माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिये फिजीबल नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप कैसे कह सकते हैं कि फिजीबल नहीं होगा?

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह कैसे यह सकते हैं कि मुख्य मंत्रीजी के लिये यह फिजीबल नहीं हो सकता कि वे जवाब दे सकें?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी माननीय सदस्य अलग अलग सवाल नहीं पूछें। इसके अलावा कोई भी माननीय सदस्य उसके बारे में ही सवाल पूछें जो जवाब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिये हैं। इसमें माननीय सदस्यों को चाहिये वे एक ही प्रश्न जो पहले मुख्य मंत्री जी के जवाब में आ चुका है और उसके उत्तर के बारे में इलयूसीडियेट कर के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अलग से नहीं होगा। एक माननीय सदस्य, एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी भी रह गयी है?

श्री अध्यक्ष : बहुत सी बातें रह गयी हैं इसमें क्या है? आप स्थान ग्रहण करें। आपको पूछना है तो आप अलग से प्रश्न किसी दिन पूछ लें क्वेश्चन आवर के अन्दर प्रश्न देकर। मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा थोड़ा सा निवेदन है, मैं एक छोटा सा प्रश्न मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जयपुर शहर के विकास के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है? दूसरे क्या राज्य सरकार ने जयपुर नगर परिषद को मनोरंजन कर की राशि देने का कोई फैसला किया है? क्या माननीय मुख्य मंत्री यह आश्वासन देंगे···

श्री अध्यक्ष : मैं किसी ऐसे वाद-विवाद की आज्ञा नहीं दूंगा। मुख्य मंत्री ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उसके बाद उस पर मैं किसी भाषण को अलाउ नहीं करूंगा।

अब प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपना जो अभिभाषण यहां दिया और

(श्री अध्यक्ष)
जिस पर धन्यवाद का प्रस्ताव श्री हीरालाल जी देवपुराजी ने रखा और जिसका समर्थन श्री प्रद्युम्नसिंहजी ने किया उसे पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 29-3-72 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बज कर 32 मिनिट पर बुधवार दिनांक 29 मार्च, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

शुद्धि--पत्र

(मंगलवार दिनांक 28 मार्च, 1972)

स्तम्भ संख्या 1		पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1		6	अध्यंक्ष	अध्यक्ष
6		5	इक्वायरी	इनक्वायरी
23		9	बैठो	बैठने
24	अन्तिम से	6	आशान्ति	अशान्ति
26		13	वा ाा	वाला
29	अन्तिम से	14	श्री गिरवीरीलाल	श्री गिरधारीलाल
31		15	परिवर्वन	परिवर्तन
50		4	बढ़ेगी	बढ़ेंगे
55		3	इक्कम	इन्कम
56	अन्तिम से	8	कांग्रस	कांग्रेस
61	,,	13	नहां	नहीं
65		3	सखेव	संकेत
66		5	थे	ये
68		16	करुंग	करूंगा
69		1	श्री रघनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
70		5	किस	किसी
70	अन्तिम से	6	करक	करके
72		12	-4 साल	14 साल
75	अन्तिम से	10	श्री वृद्धि चण्द्र जन	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
83	,,	12	मेरा	मेरी
94	अन्तिम से	14	अर्ज किया	अर्ज करना
110		16	को	की
111	अन्तिम से	4	हूं	है
115	,,	18	नवाई	दवाई
129		1	(श्री घासराम यावव)	(श्री घासीराम यादव)
129		2	आबर	अलवर
129	अन्तिम से	3	वेदना होत है	वेदना होती है

1		2	3	4
134	अन्तिम से	13	जावन	जीवन
140		9	जागीरदायी	जागीरदारी
142	शीर्ष		वद विवाद	वाद विवाद
142	अन्तिम से	16	रिोर्ट	रिपोर्ट
151		2	आ रही हूं	Delete
179	अन्तिम से	1	आ	हुआ
187		4	आपकी	आपको
188		16	राजस्थन	राजस्थान
189		18	आध	आधे
193		1	(श्री बरकतुल्ला खान)	(श्री बरकतुल्ला खां)
205		9	जानकार	जानकर
214		6	सालिंग	सिलिंग
216		13	पूरी	पूरा
217	अन्तिम से	2	श्री केशरनाथ	श्री केदारनाथ
232	,,	9	चहता हुं	च
232		3	और	Delete